द्वितीय माला, खण्ड ५५—अंक ६०

गुरुवार, ४ मई, १९६१
१४ वैशाख, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ५५ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

द्वितीय माला, खंड ५५—अंक ५१ से ६१—२२ अप्रैल से ५ मई, १९६१/२ से १५ वैशाख १८८३ (शक)

पृष्ठ

अंक ५१—शनिवार, २२ अप्रैल, १९६१/२ वैशाख, १८८३ (शक)

वित्त विधेयक

खण्ड २ से १७, १ तथा प्रथम और द्वितीय अनुसूची . ५९९९–६००३

पारित करने का प्रस्ताव . . ५९८३–६००३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तिरासीवां प्रतिवेदन . . . ६००४

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)—

विचार करने का प्रस्ताव —अस्वीकृत . . ६००४

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम का) ६००४

विचार करने का प्रस्ताव

परिचालित करने का संशोधन—स्वीकृत . . . ६००४–६००६

अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण, विनियमन तथा नियंत्रण) विधेयक (श्री नारायणन कुट्टि मेनन का) ६००७-१९

विचार करने का प्रस्ताव —अस्वीकृत . ६००७–१९

अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बालमीकी का)

विचार करने का प्रस्ताव ६०१९

दैनिक संक्षेपिका . . . ६०२०–२१

**अंक—५२ सोमवार, २४ अप्रैल, १९६१
४ वैशाख, १८८३ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४, १६८५, १६८७, १६८९, १६९१, १६९२, १६९५ से १६९८, १७००, १७०२ से १७०५ और १७०७, १७०८, १७१०, १७०९ और १६९० ६०२३–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८६, १६८८, १६९३, १६९४, १६९९, १७०१ और १७०६ . . ६०४८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७२६ से ३७५४, ३७५६ से ३७७३ और ३७७५ से ३७८२ . . . ६०५२–७४

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव	
१. पूर्व कजोरा कोयला खान में दुर्घटना . .	६०७४–७५
२. रूरकेला में आदिवासी कर्मचारियों की कथित गिरफ्तारी	६०७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——	
बिलासपुर में चावल के लाने ले जाने के लिए वैगन	६०७७–७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६०७८
कलकत्ता क्षेत्र में बिजली के बारे में वक्तव्य	६०७८
आय-कर विधेयक ——पुरस्थापित .	६०७९
तार विधियां (संशोधन) विधेयक——	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन अस्वीकृत हुए .	६०७९–८०
औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक——	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत हुए . .	६०८०–८१
दण्ड विधि संशोधन विधेयक .	.६०८१—६०१३
विचार करने का प्रस्ताव .	.६०८१——६१०१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	.६१०१—६१०३
भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमों के बारे में प्रस्ताव	६१०३——०८
दैनिक संक्षेपिका . .	६१०९——१४

अंक ५३ मंगलवार, २५ अप्रैल, १९६१/
५ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १७११, १७१२, १७१४ से १७१६, १७१९ से १७२१, १७२३ और १७२५ से १७३० .	६११५—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १७१३, १७१७, १७१८, १७२२ और १७२४	६१३९—४१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८३ से ३८४५ और ३८४७ से ३८६०	६१४१—७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	६१७८–७९
भाखड़ा बांध के बिजली घर में दुर्घटना——	
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	६१७९–८०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य——	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवेज) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य——	
लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति	६१८०
तीसरा प्रतिवेदन——	

विषय	पृष्ठ
उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	६१८०—८५
राज्य-सभा द्वारा पास किया गया विचार के रूप में . .	६१८०—८४
खंड २, ३, और १	६१८४
पारित करने का प्रस्ताव	१६८४—८५
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक .	६१८५—९७
विचार प्रस्ताव .	६१८५—९१
खंड २, ३ और १ .	६१९२
पारित करने का प्रस्ताव . .	६१९२—९७
उड़ीसा अनुदानों की मांगें १९६१–६२ . . .	६१९७—६२०८
इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर-इंडिया इंटरनैशनल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	६२०८—२१
उड़ीसा की अनुदान की मांगों के बारे में . .	
दैनिक संक्षेपिका	६२२२—२७

अंक ५४—बुधवार, २६ अप्रैल, १९६१/
६ बैशाख, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३१, १७३२, १७३७ से १७४३ और १७४५ से १७५०	६२२९—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३३ से १७३६, १७४४ और १७५१ से १७५३	६२५४—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३८६१ से ३९६६, ३९६८ से ३९७१ और ३९७३ से ३९७९ . . .	६२६०—६३०८
दिनांक २८–३–१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ के उत्तर में शुद्धि	६३०८
स्थगन प्रस्ताव—	
कुछ डाक तथा तार यूनियनों को शिकायतें पेश करने से रोकना	६३०८—११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	
उड़ीसा में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को नौकरी से निकालना	६३११–१२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६३१२–१३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौरासीवां प्रतिवेदन	६३१३
समिति के द्वारा द्वारा निर्वाचन .	६३१३–१४

विषय	पृष्ठ
१. भारतीय खान स्कूल की प्रशासक परिषद् . . .	६३१३–१४
२. राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिए सलाहकार समिति बोर्ड	६३१४
उड़ीसा की अनुदानों की मांगें ––१९६१–६२ . .	६३१४–१६
अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक	६३१९–२६
विचार करने के लिये प्रस्ताव . .	६३१९–२५
खण्ड १ और २ .	६३२५
पारित करने का प्रस्ताव .	६३२५–२६
विधि व्यवसायी विधेयक––	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६३२६–३९
दैनिक संक्षेपिका	६३४०–४७

गुरुवार, २७ अप्रैल, १९६१

अंक ५५––

७ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५४ से १७५८, १७६० से १७६३ और १७६६ से १७६९ . .	६३४९–७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५९, १७६४ और १७७० से १७७६ .	६३७१–७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८० से ५०२६ और ४०२८ से ४०४७	६३७६–६४०२
स्थगन प्रस्ताव––	
कलकत्ता में बिजली का बन्द होना	६४०२–०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६४०३–०४
प्राक्कलन समिति ––	
कार्यवाही का सारांश	६४०४
२२ अप्रैल, १९६१ को पूर्व कजोरा कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	६४०४–०५
सभा का कार्य	६४०५–०६
उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१––पुरस्थापित	६४०६
विधि व्यवसाई विधेयक	६४०६–३३
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६४०६–२०
खंड २, ४ से २३, २५ से २८, ३१ से ५७, ३, २४, २९, ३०, अनुसूची तथा खंड १ .	६४२०–३३
पारित करने का प्रस्ताव .	६४३३–३४

विषय	पृष्ठ
आयकर विधेयक, १९६१ .	६४३४--३९
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	६४३४--३९
अशोक होटल में गो मांस परोसे जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	६४४०--४६
दैनिक संक्षेपिका	६४४७--५१

अंक ५६--शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९६१/८ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १७७७, १७७८, १७८३ से १७८७, १७८९ से १७९१, १७९३, १७९४ और १७९६ से १७९८	६४५३--७४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १७८२, १७८८, १७९२ और १७९५ .	६४७५--७८
अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४८ से ४१२९, ४१३१ और ४१३२	६४७८--६५१५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
बैसाखी के अवसर पर जमना में डूब कर मरने की घटनायें	६५१५---१६
प्राक्कलन-समिति . .	६५१६--१७
(१) कार्यवाही सारांश	
(२) एक सौ अठतीसवां प्रतिवेदन	
राज्य सभा से संदेश	६५१६
विशेषाधिकार समिति--	
बारहवां प्रतिवेदन .	६५१७
सभा का कार्य . . .	६५१७--१८
कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक--पुरस्थापित	६५१८
उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१--पारित	६५१८--१९
आयकर विधेयक	६५१९--३१
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	६ १९--३१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
चौरास्सीवां प्रतिवेदन . .	६५३१
धर्म परिवर्तन कर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प--अस्वीकृत	६५३१--४३
व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प	६५४३--४५
दैनिक संक्षेपिका	६५४६--५१

विषय	पृष्ठ
अंक ५७—सोमवार, १ मई, १९६१/११ वैशाख, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७९९, १८००, १८०२, १८०३, १८०५ से १८०८, १८१०, १८११, १८१३ और १८२०	६५५३—७५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८१०, १८०४, १८०९, १८१२, १८१४ से १८१९ और १८२१ से १८३२	६५७६—८५
अतारांकित प्रश्न संख्या ४१३३ से ४२४० और ४२४२ से ४२४९	६५८५—६६३४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
हावड़ा पुरी एक्सप्रेस की दुर्घटना .	६६३४–३५
कलकत्ते में बिजली की कमी के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में	६६३५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६६३५–३६
राज्य-सभा से सन्देश	६६३६–३७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	६६३७
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में	६६३७
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन	६६३७–३८
विशेषाधिकार समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन	६६३८–३९
आयकर विधेयक, १९६१	६६३९—४३
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	६६३९—४३
दिल्ली नगरीय क्षेत्र काश्तकार सहायता विधेयक	६६४३—६५
विचार करने का प्रस्ताव	६६४३—६२
खंड २ और तीन	६६६३—६५
दैनिक संक्षेपिका	६६६६—७३
अंक ५८—मंगलवार, २ मई, १९६१/१२ वैशाख, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८३३ से १८३६, १८३८, १८४० से १८४४ और १८४६ से १८५०	६६७५—९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५	६६९८—६७०२

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३६, १८४५ और १८५१ से १८५६ . ६७०२--०७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२६० से ४३२६ ६७०७--४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

अंगुल परगने के लोगों से "वैद्यकरण शुल्क" की वसूली ६७४१--४२

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में--

न्यू एज में प्रकाशित कुछ बातें ६७४२-४३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६७४३--४५

भारती रेलवे (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . . ६७४५

दिल्ली (नगरीय-क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक ६७४६--४६

खंड ३ से ६ और १ ६७४६-४७

पारित करने का प्रस्ताव . . ६७४७--४६

भारतीय बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक . ६७४६-५०

विचार करने का प्रस्ताव ६७४६-५०

खंड १ और २ . ६७४६-५०

पारित करने का प्रस्ताव . ६७५०

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १६५८-५६ ६७५०--५८

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १६६१--पारित ६७५८-५६

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १६५८-५६ ६७५६-६०

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १६६१--पारित ६७६१--६३

कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . . ६७६३--६७

भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रवें और अठारहवें अधिवेशन के बारे में प्रस्ताव . ६७६८--७५

दैनिक संक्षेपिका ६७७६--८२

अंक ५६--बुधवार, ३ मई, १६६१/१३ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८६० से १८६४, १८६६, १८६८, १८७१ से १८७४, १८७६ से १८७६ और १८८२ . ६७८४--६८०७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७, १८६९, १८७०, १८७५, १८८०, १८८१ और १८८३ से १८९८	६८०७—१६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३२७ से ४३३५, ४३३७ से ४४६५, ४४६५-क, ४४६५-ख, ४४६५-ग और ४४६५-घ	६८१७—७८
स्थगन प्रस्ताव—	
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान का लापता होना	६८७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय ब्रिटिश और यूरोपीय नौवहन समवायों के बीच मिल जुल कर काम करने की व्यवस्था	६८७९—८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६८८०—८४
अनुपस्थिति की अनुमति	६८८४—८५
सदस्य की गिरफ्तारी	६८८५
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक	६८८५—९७
विचार करने का प्रस्ताव	६८८५—९३
खंड २ से ५ तथा १	६८९३—९४
पारित करने का प्रस्ताव	६८९४—९७
दिल्ली दुकान तथा संस्थान (संशोधन) विधेयक	६८९७—६९१९
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६८९७—६९१७
खंड २ से ५ तथा १	६९१७—१९
पारित करने का प्रस्ताव	६९१९
सालारजंग संग्रहालय विधेयक	६९१९—२०
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
भाखरा नंगल परियोजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा	६९२०—२१
दैनिक संक्षेपिका	६९२२—३०

अंक ६० गुरुवार, ४ मई, १९६१/१४ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८९९, १९०४, १९०५, १९०७ से १९११, १९१४ और १९१५	६९३१—५७

विषय	पृष्ठ

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . ६६५७—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६००, १६०१, १६०३, १६०६, १६१२, १६१३, १६१६, १६१६-क और १६१७ से १६२५ . . ६६५६—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४६६ से ४५७३, ४५७५ से ५४८७, ४५८६ से ४५६२, ४५६४ से ४६०६, ४६०६-क और ४६०६-ख . ६६७६—७०२४

भारतीय विमान बल के डकोटा विमान के लापता होने के बारे में वक्तव्य ७०२४—२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

यू० पी० के एक गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में आग लगाने की कथित घटना . . ७०२५—२६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ७०२६—२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश . . . ७०२८

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—

कर्यवाही सारांश ७०२८

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति संबंधी समिति—

कार्यवाही सारांश ७०२८

राज्य-सभा से सन्देश . . . ७०२६

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन ७०२६

सालारजंग संग्रहालय विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ७०२६—५३

खंड २ से २८ और खंड १ ७०४६—५३

पारित करने का प्रस्ताव . ७०५३

सदस्य को सजा ७०५३

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—

राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार . . . . ७०५४—५६

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७०५६—६३

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा ७०६३—६५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ७०६६—७५

विषय	पृष्ठ
अंक ६१—शुक्रवार, ५ मई, १९६१/१५ वैशाख, १८८३ (शाक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९२५, १९२९, १९३३ से १९४०, १९४२, १९४३ से १९४५, १९४७, १९४९ और १९४९-क १९४२-क, .	७०७७—९७
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ से २१ . . .	७०९८—७१०४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९२७, १९२८, १९३० से १९३२ और १९४१	७१०४—०७
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६०७ से ४६२६, ४६२८ से ४६६४ और ४६६६ से ४७०३	७१०७—४६
स्थगन प्रस्ताव	७१४६—४८
स्वदेशी काटन मिल्स में ताला बन्दी	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	७१४८-४९
१. दिल्ली में मकान बनाने वाले मजदूरों की हड़ताल ।	
२. पाकिस्तानी पानी संसाधन विशेषज्ञों द्वारा कलकत्ता पत्तन की यात्रा।	
३. रानीगंज की कोयले की पट्टी क्षेत्र की कुछ कोयला खानों की घटनायें।	
४. व्यापारियों और उत्पादकों के पास रूई का बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाना ।	
५. पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण के सीमांत डिवीज़न में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के शस्त्रागार से कुछ शस्त्राशत्रों का कथित गायब हो जाना ।	
६. अलीपुर में खंड क्षेत्र में बाढ़ आने का खतरा ।	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७१४९—५१
राउरकेला में आदिवासी विस्थापित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य	७१५१
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	७१५२
कार्यवाही सारांश	
याचिका संबंधी	७१५२
कार्यवाही सारांश	
प्राक्कलन समिति	
कार्यवाही सारांश	७१५२
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	७१५२
प्राक्कलन समिति	७१५२
एक-सौ पैंतीसवां, एक-सौ छतीसवां और एक-सौ सैंतिसवां प्रतिवेदन	

विषय	पृष्ठ
लोक लेखा समिति . .	७१५३
सैंतीसवां प्रतिवेदन ।	
याचिका समिति	७१५३
बारहवां प्रतिवेदन ।	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के उत्तर की शुद्धि .	७१५३
पुंजीकुन्नू नैमांम, जिला त्रिवेन्द्रम में हुए विस्फोट के बारे में वक्तव्य	७१५३–५४
विधेयक–पुरस्थापित	७१५४
१. काफी (संशोधन) विधेयक	
२. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	
भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक .	७१५४––६०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में .	७१५६
संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक १९६१–पुरस्थापित	७१६१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	७१६१––६५
वृद्धावस्था पेंशन विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का)–पुरस्थापित .	७१६५
अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बाल्मीकी का)–वापिस	
विचार करने का प्रस्ताव	७१६५––९३
संविधान (संशोधन) विधेयक . . .	७१९३
(धारा २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् का)	
विचार करने का प्रस्ताव	
पंजाब में सेवाओं के एकीकरण के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	७१९४––९९
बिदाई संबंधी उल्लेख . . .	७१९९
दैनिक संक्षेपिका	७२००––०९
तेरहवां सत्र के कार्यवाही सारांश . . .	७२१०––१२

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न के किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—586 (Ai) LSD—8-7 61—125.

लोक सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, ४ मई, १९६१
१४ वैशाख १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा प्रविधिक जानकारी संस्था

†*१८९९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ७ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा प्रविधिक जानकारी संस्था स्थापित करने के बारे में डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी समिति की सिफारिशें सरकार को इस बीच प्राप्त हो गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन कबिर) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) समिति ने सिफारिश की है कि इस समय वैज्ञानिक और प्रविधिक सूचना के लिए केन्द्रीय संस्था चालू करने की कोई आवश्यकता नहीं है और देश की वास्तविक आवश्यकताओं का विचार करते हुए भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक लेख्य बन्धन केन्द्र का उपयुक्त विस्तार किया जाना चाहिए ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** समिति द्वारा इस सुझाव के स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**श्री हुमायन् कबिर :** समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया और स्थिति का सर्वेक्षण करके इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यदि भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक लेख्यबन्धन केन्द्र का थोड़ा सा विकास हो सके तो वह यह कार्य कर लेगा ।

†**श्री तंगामणि :** क्या कोठारी समिति का पूर्ण प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

582 (Ai) LSD—1.

†**श्री हुमायन् कबिर:** मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मैंने पहले एक अवसर पर सभा को यह बताया भी था कि भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक लेख्यबन्धन केन्द्र यह कार्य कर रहा है। नये निकाय के लिए जो सिफारिश की गई थी उसकी हमने स्वयं जांच की और उसे एक विशेषज्ञ समिति को निर्दिष्ट किया और वह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वह केन्द्र यह कार्य कर सकेगा। मुझे विश्वास है कि सभा समितियों का अनावश्यक द्विगुणन नहीं चाहती है।

रूरकेला इस्पात कारखाना

†*१९०४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला में स्थित एल० डी० इस्पात संयंत्र अभी हाल में इस्पात कारखाने के टनेज आक्सीजन संयंत्र से आक्सीजन प्राप्त न होने के कारण तेरह दिन बन्द रहा;

(ख) आक्सीजन की सप्लाई के बन्द हो जाने के क्या कारण थे और इस वजह से कितनी हानि हुई; और

(ग) इस्पात कारखाने के प्राधिकारियों ने इस प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए क्या पूर्वोपाय किये हैं?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) हां, श्रीमान्; ८ मार्च से ग्यारह दिन तक।

(ख) और (ग). आक्सीजन संयंत्र अकसमात् यांत्रिक दोष उत्पन्न होने के कारण बन्द रहा क्योंकि उसको सुधारने में कुछ दिन लग गये।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** मैं जानना चाहता हूं कि उत्पादन में कुल कितना नुकसान हुआ और उसकी पूर्ति कौन करेगा—ठेकेदार या अन्य लोग?

†**सरदार स्वर्ण सिंह:** नुकसान की पूर्ति कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता है। यदि कार के खराब हो जाने की तरह यह मशीन भी खराब हो जाती है तो कोई उसके नुकसान की पूर्ति नहीं करता है। ये सामान्य संचालन जोखिमें हैं जिनका सामना करना ही होता है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या वह ठेकेदार से समुचित परीक्षा करके लिया गया था? यदि हां, तो इस खराबी के कारण कुल कितना नुकसान हुआ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह:** मैं नहीं जानता कि उसे औपचारिक रूप से ग्रहण कर लिया गया है या नहीं। यदि उसे अभी औपचारिक रूप से ग्रहण नहीं किया गया है तो उसे संभरणकर्ता को ठीक करना होगा। परन्तु उत्पादन का नुकसान ऐसी चीज है जिसकी पूर्ति संभरणकर्ता भी नहीं कर सकता है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या सरकार द्वारा ग्रहण किये जाने के पूर्व इस संयंत्र की परीक्षा की गई थी? यदि नहीं, तो क्या यह निर्णय कर लिया गया है कि इस खराबी के कारण उत्पादन में हुई हानि की पूर्ति संभरणकर्ता द्वारा की जायेगी या नहीं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह : इस मामले में जो यांत्रिक खराबी थी उसे बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता था यदि आवश्यक पुर्जे उपलब्ध हो जाते परन्तु वे शीघ्र नहीं मिल सके । आवश्यक पुर्जे मिलने में कुछ समय लग गया तभी उन्हें फिट किया जा सका और कनवर्टर चालू हो गया । ये संचालन सम्बन्धी सामान्य खराबियां हैं जिनके लिए हम संभरणकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं ।

†श्री ब्रजराज सिंह : ऐसे सामान्य मामलों के लिए पूर्वविधान के रूप में सामान्य पुर्जे क्यों नहीं रखे जाते हैं ताकि इस प्रकार काम न रुके ? इसके अतिरिक्त अन्तिम हानि सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†सरदार स्वर्ण सिंह : सामान्य पूर्वविधान किये गये थे । परन्तु खराबियां तो पूर्वविधानों के बावजूद भी उत्पन्न हो ही जाती हैं । जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, संयंत्र १२ दिन तक बन्द रहा । प्रतिदिन औसतन १२ "ब्लो" की दर से उत्पादन की हानि मोटे तौर से ४३०० टन इस्पात पिण्ड होगी ।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात मंत्रालय ने इस मामले के बारे में जांच कराने का निर्णय किया है और क्या पहले भी इस प्रकार के गत्यावरोध हो चुके हैं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : प्रत्येक गत्यावरोध के मामले में जांच की जाती है । प्रबन्धकों को यह देखना होता है कि वह गत्यावरोध आकस्मिक था अथवा किसी दोष के कारण और तब उस दोष के सुधार के लिए उचित उपाय किए जाते हैं ।

†श्री नरसिंहन : माननीय मंत्री ने कहा कि एक नया पुर्जा लाया गया था । क्या उसका मूल्य बताया जा सकता है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे पास उसकी सूचना नहीं है ।

साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध

†*१६०५. †श्री अरविन्द घोषाल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कुम्भार :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने की एक प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या सरकार को विधि मंत्रालय के विचार प्राप्त हो गए हैं ? विधि मंत्रालय का मत क्या है ?

†**श्री दातार** : सरकार को कुछ निकायों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा उन पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : कौन कौन से दलों को साम्प्रदायिक समझा जाता है ?

†**श्री दातार** : सरकार द्वारा निर्णय किए जाने तक माननीय सदस्य को प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार यह तय कर सकी है कि साम्प्रदायिक दल की परिभाषा क्या है ? क्या उसमें राजनैतिक दलों के रूप में कार्य करने वाले दल भी सम्मिलित हैं अथवा केवल साम्प्रदायिक आधार पर निर्मित संगठन ही ?

†**श्री दातार** : पहले सरकार को साम्प्रदायिक दल की व्याख्या करनी होगी और तभी कानून बनेंगे ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान विधि मंत्रालय के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का बैन लगाया जाना संविधान के अनुकूल नहीं है और यदि मिनिस्ट्री ने इस बात का विचार नहीं किया तो उन्होंने उस पर कैसे निर्णय दे दिया और वक्तव्य दे दिया और यदि यह मामला विचाराधीन है तो यह समस्या इस समय कहां पर है ?

†**श्री दातार** : इन सब पहलुओं पर विचार किया जा रहा है कि क्या इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है और यदि हां, तो किस तरह और क्या कानून बनाया जाना चाहिए ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं ने जो पूछा है उसका जवाब नहीं मिला.....

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह किसी साम्प्रदायिक दल के हैं ? पहले मैं उन लोगों को मौका दूंगा जो साम्प्रदायिक दलों से संबंधित हैं ? श्री वाजपेयी ।

†**श्री वाजपेयी** : यदि ऐसा है तो मैं प्रश्न नहीं पूछना चाहता ।

†**अध्यक्ष महोदय** मुझे गलत नहीं समझा जाना चाहिए । मैंने सोचा कि जिन्हें सामान्यतः इस नाम से पुकारा जा सकता है उन्हें प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाना चाहिए । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं जनसंघ को साम्प्रदायिक दल कहता हूं । **(अन्तर्बाधा)** यदि कोई साम्प्रदायिक दल नहीं है तो मैं अगला प्रश्न लूंगा ।

†**श्री वाजपेयी** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : प्रश्न मेरे नाम में है अतः मुझे भी अवसर दिया जाना चाहिए । **[अन्तर्बाधा]**

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सभा में किसी साम्प्रदायिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं है तो फिर चिन्ता क्या है ?

†**श्री वाजपेयी** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । किस बात पर विचार किया जा रहा है ? क्या सरकार साम्प्रदायिक दलों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है चाहे उनका कार्य

†मूल अंग्रेजी में

धार्मिक एवं सांस्कृतिक मामलों तक ही सीमित हो अथवा वह साम्प्रदायिक दलों द्वारा राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रहे हैं? क्या बात विचाराधीन है?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** साम्प्रदायिक समस्या हमारे सामने अत्यन्त गंभीर है और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि इस बुराई को दबाने के लिए कुछ निश्चित कार्यवाही अवश्य करनी होगी जो देश के विभिन्न भागों में फैली हुई है और जिसके लिए कुछ संगठन भी आंशिक रूप में जिम्मेदार हैं। जो भी कानून बनाया जायेगा वह उन्हीं दलों पर लागू किया जायेगा जो साम्प्रदायिक हैं। जैसा कि मेरे सहयोग ने कहा, साम्प्रदायिक संगठनों की अभी हम सही व्याख्या नहीं कर सकते हैं परन्तु वह व्याख्या कानून अथवा प्रशासकीय आदेश में अवश्य रखी जानी होगी। केवल उन्हीं दलों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी जो वास्तव में साम्प्रदायिक हैं और विभिन्न साम्प्रदायों के बीच दुर्भावना उत्पन्न करते हैं।

कठिनाई यह है कि कुछ दल कहते हैं कि वे साम्प्रदायिक नहीं हैं परन्तु वे कार्य ऐसे करते हैं जिनसे साम्प्रदायिक कटुता उत्पन्न होती है। यह हमारी मुख्य कठिनाई है। परन्तु इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है। जहां तक किसी दल विशेष को गैर कानूनी घोषित करने का संबंध है, यह ठीक है कि यह भी इस समस्या को हल करने का एक तरीका हो सकता है। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि इन दलों के साथ सैद्धान्तिक स्तर पर कार्यवाही करना अधिक अच्छा है परन्तु ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें सरकार को हस्तक्षेप करना पड़े और कानूनी कार्यवाही करनी पड़े। हमने इस समस्या के संबंध में चर्चा की थी। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। फिर भी इतना और बता दूं कि हमने निर्वाचन आयोग क भी यह मामला निर्दिष्ट किया है। हम साम्प्रदायिक संगठनों के संबंध में उनकी राय जानना चाहते हैं। हमने इस मामले पर विचार किया है और हम उनकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरा सुझाव है कि हमें इस मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय और दिया जाना चाहिये और जब हम किसी निर्णय पर पहुंच जायेंगे तो सभा को सूचित कर दिया जायेगा।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार द्रविड़ कड़गम को एक साम्प्रदायिक दल समझती है?

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या सांप्रदायिक दलों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों पर भी प्रतिबन्ध लगाया जायेगा अथवा केवल उन्हीं दलों पर जो राजनीति में भाग लेते हैं, यद्यपि वे केवल साम्प्रदायिक दल हैं? यदि किसी सम्प्रदाय अथवा धर्म से संबंधित कोई छोटा सा दल है और वह सामाजिक तथा आर्थिक सुधार करना चाहता है तो क्या उस पर भी प्रतिबन्ध लगाया जायेगा? वह केवल इतना जानना चाहते थे कि साम्प्रदायिक दलों द्वारा राजनीति में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा अथवा उनके द्वारा किए जाने वाले सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों पर भी। यह प्रश्न था जो श्री वाजपेयी ने पूछा था।

†**श्री त्यागी :** मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार द्रविड़ कड़गम को एक साम्प्रदायिक दल मानेगी?

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। पहले पिछले प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यह सर्वथा स्पष्ट है कि यदि कोई पिछड़े वर्ग का संगठन है और वह केवल अपने हित के लिए कार्य करता है तो उसको साम्प्रदायिक संगठन कह कर उसके

---

†मूल अंग्रेजी में

विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जैसा मैंने कहा था यदि कोई साम्प्रदाय राजनैतिक प्रयोजन के लिए दूसरे सम्प्रदाय के लिए कठिनाई . . . .

†अध्यक्ष महोदय: राजनीति का लाभ उठाना चहाता है।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री: उत्पन्न करता है तो उस दल अथवा संगठन के विरुद्ध कार्यवाही अवश्य करनी होगी। (अन्तर्बाधा)।

†श्री त्यागी: क्या मंत्रालय द्रविड़ कड़गम को एक साम्प्रदायिक दल समझता है? वे चुनावों में भाग ले रहे हैं, खुली सभायें करते हैं और सीता को वेश्या तथा राम को शराबी कहते हैं। इस इस प्रकार की बातें हो रही हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे दल को अवैध घोषित किया जायेगा?

†अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री बता चुके हैं कि जिस प्रकार के साम्प्रदायिक दल पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा अथवा जिसका राजनीति में प्रवेश वर्जित किया जायेगा। उसकी वास्तविक व्याख्या के संबंध में अभी विचार किया जा रहा है। उसे विधि मंत्रालय को निर्दिष्ट किया गया है। जब निर्णय हो जायेगा तो हमें सूचित किया जायेगा। इस सभा को सूचित किये बिना ऐसे कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई भी अधिनियम पारित नहीं किया जायेगा। इसलिए उस अवसर पर हमें इस मामले पर विचार करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा। अभी माननीय मंत्री से उसकी व्याख्या करने के लिए कहना व्यर्थ है।

†श्री त्यागी: मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उस योजना का विचार चुनावों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है अथवा देश के दैनिक जीवन की सुरक्षा के लिए? इन निकायों को कानून तथा व्यवस्था की दृष्टि से गैर कानूनी घोषित किया जायेगा अथवा चुनावों की सुरक्षा के लिए प्रयोजन क्या है?

†श्री वाजपेयी: अथवा ऐसा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति दृढ़ बनाने के लिए किया जा रहा है?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री: मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि अभी हमने यह निश्चय नहीं किया है कि हम किसी साम्प्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करेंगे या नहीं। जैसा कि मैंने कहा था, ऐसी संभावना अवश्य है परन्तु अभी तक हमने निश्चय नहीं किया है।

दूसरे, मुझे श्री त्यागी के यह पूछने पर आश्चर्य हो रहा है कि क्या हम यह कार्यवाही चुनाव में कुछ लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कर रहे हैं। यह बहुत आश्चर्य की बात है। इस प्रकार के मामलों में हमें जनता के सामान्य हित को ध्यान में रख कर ही विचार करना चाहिये। (अन्तर्बाधायें)

†अध्यक्ष महोदय: यह विवादास्पद मामला है। अनेक माननीय सदस्य अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यदि माननीय मन्त्री अभी जानकारी दे सकते हों तो मैं कुछ और प्रश्नों की अनुमति दूंगा। परन्तु वे कहते हैं कि यह मामला निर्वाचन आयोग को निर्दिष्ट किया गया है और उसके विचाराधीन है।

†श्री तंगामणि: समाचार पत्रों में कुछ और कहा गया है. . . . . . .

†अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। समाचार पत्र तो हमेशा कुछ न कुछ निकाला ही करते हैं जिसमें थोड़ा सा तथ्य भी होता है परन्तु अधिकांश में काल्पनिक चित्र ही रहता है। ऐसी परिस्थितियों में माननीय मन्त्री से अधिकृत वक्तव्य देने के लिये कहना व्यर्थ है जबकि वह यह कह रहे हैं कि वह उस

†मूल अंग्रेज़ी में

पर विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जब इस मामले के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हो जायेगा और उसे सभा के सामने रखा जायेगा तब सभा को उस पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा और तब विभिन्न सुझाव दिये जा सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिये। मैं निश्चय ही अवसर दूंगा। सभा की जानकारी के बिना कुछ नहीं किया जायेगा। इस बीच यदि सरकार कोई कार्यवाही कर रही है तो प्रत्येक अवस्था में उसकी सूचना सभा को देना आवश्यक नहीं है।

†**श्री रंगा :** यद्यपि माननीय मन्त्री ने श्री त्यागी के सुझाव पर रोष प्रकट किया है परन्तु क्या यह सच नहीं है कि इस प्रश्न पर सरकार ने तभी गम्भीरतापूर्वक विचार किया है जबकि उस पर उनके दल द्वारा जिसमें एक समय मैं भी था—दो बार विचार किया जा चुका है ? क्या यह भी सच नहीं है कि उन्होंने इस मामले पर विचार प्रारम्भ करने के पूर्व अन्य दलों के नेताओं से परामर्श करने का तनिक भी कष्ट नहीं किया ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** माननीय सदस्य का कथन सही नहीं है। इस मामले पर उस समय विचार नहीं किया गया था जबकि दल ने चुनाव के सम्बन्ध में विचार किया था। वास्तव में यह प्रश्न जबलपुर के उपद्रवों के तुरन्त बाद ही लिया गया था। जब सरकार ने इन उपद्रवों में यह देखा कि साम्प्रदायिक भावनायें बहुत प्रबल हैं और उनको भड़काने वाले लोग मौजूद हैं तो उसने सोचा कि सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही करने का विचार किया जाना आवश्यक है इस प्रकार यह प्रश्न जबलपुर के उपद्रवों के तुरन्त बाद ही सामने आया था। उसका चुनावों से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। मुझे दुख है कि वह श्री त्यागी के भुलावे में आ गये। वास्तव में कांग्रेस दल ने यह विचार किया कि ये उपद्रव चुनावों के निकट आने पर भड़क उठते हैं और कुछ दल उसका लाभ उठाते हैं और लोगों के वोट प्राप्त करने के लिये उनकी भावनाओं को भड़काने का प्रयत्न करते हैं। अतः कांग्रेस दल ने सोचा कि क्या इसको रोकने के लिये कोई कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि वे लोग चुनावों का दुरुपयोग अपने स्वार्थ की प्राप्ति के लिये न कर सकें।

†**श्रीनारायणन् कुट्टि मेनन :** माननीय मन्त्री ने कहा कि मामला निर्वाचन आयोग को निर्दिष्ट किया गया है और वह विचाराधीन है। कल के समाचार पत्रों में हमने यह पढ़ा था कि विधि मन्त्री ने, जिन्हें यह मामला कानूनी राय देने के लिये निर्दिष्ट किया गया है, बम्बई में यह कहा है कि वर्तमान संविधान के अन्तर्गत राजनैतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाना प्रायः असम्भव और गैर-कानूनी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** कुछ भी हो, अभी मन्त्रालय ने उसकी सूचना नहीं भेजी है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** हम यह जानना चाहेंगे कि विधि मन्त्रालय को क्या निर्देश किया गया है—क्या वह कुछ राजनैतिक दलों की जांच है, जिनके नाम सरकार द्वारा दिये गये हैं, कि उन्हें राजनैतिक संगठन माना जाना चाहिये या नहीं ? उदाहरण के लिये मुस्लिम लीग का नाम दिया जा सकता है। क्या ऐसे दलों के नाम दिये गये हैं और उनके बारे में विचार किया जा रहा है अथवा विधि मन्त्रालय को सामान्य प्रश्न निर्दिष्ट किया गया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** सामान्य प्रश्न निर्दिष्ट किया गया है। हमने किसी दल का नाम नहीं दिया है। दलों के नाम साम्प्रदायिक संगठनों के बारे में अन्तिम व्याख्या स्वीकार कर लिये जाने के बाद ही दिये जायगे। विधि मन्त्रालय को सामान्य प्रश्न ही निर्दिष्ट किया गया है। जहां तक निर्वाचन आयोग का सम्बन्ध है, जिस पहलू का श्री रंगा ने निर्देश किया था, उसे भी अपनी राय देनी है कि क्या चुनावों के सम्बन्ध में हम साम्प्रदायिक संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सम्पत** : क्या सरकार यह समझती है कि वर्तमान कानून साम्प्रदायिक कटुता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों अथवा संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये अपर्याप्त है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिये वर्तमान कानूनों के विस्तार क्षेत्र और उनकी पर्याप्तता के सम्बन्ध में विचार किया है, जिसके कारण जबलपुर के उपद्रव हुए, और नए कानून की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हमने वर्तमान कानूनों की भी जांच की है। वास्तव में हमने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत कुछ प्रभावोत्पादक कार्यवाही करने के लिये कहा है। दूसरी राय यह है कि हमारे पास साम्प्रदायिक स्थिति और साम्प्रदायिक संगठनों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त शक्ति नहीं है। जबलपुर और सागर के उपद्रवों से ऐसा ही मालूम पड़ता है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं : क्या भावनात्मक एकता और साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों के दमन का प्रश्न सर्वप्रथम कांग्रेस के भावनगर सम्मेलन में आया था और एक समिति नियुक्त की गई थी ? जबलपुर के उपद्रव होने के पूर्व ही कांग्रेस संसदीय दल द्वारा एक अन्य समिति नियुक्त की गई थी...... (**अन्तर्बाधायें**)।

†**श्री नाथपाई** : हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या करते हैं अथवा करना चाहते हैं। हम तो यह जानना चाहते हैं कि सरकार क्या करती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह सरकार से क्या जानना चाहते हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : यह कहा गया है कि यह कार्यवाही दल ने आगामी चुनावों के कारण की है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका प्रश्न क्या है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मेरा प्रश्न यह है कि कांग्रेस संगठन तथा कांग्रेस दल द्वारा इस सम्बन्ध में सूत्रपात जबलपुर के उपद्रव के बहुत पहले किया गया था और उसका चुनावों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री त्यागी** : गृह मन्त्रालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा १५३-क, जो साम्प्रदायिक तनाव के सम्बन्ध में है, का कितनी बार सहारा लिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मेरे प्रश्न का क्या हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मामला अभी विचाराधीन है। मैं कोई गलत धारणा नहीं पनपने देना चाहता हूं। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये और देखना चाहिये कि सरकार वास्तव में क्या करती है। यह बताना अनुपयुक्त नहीं होगा कि जब मैं १९४८ में कांग्रेस दल का मन्त्री था तो मैंने उस स्थान से, जिस पर अब श्री त्यागी बैठते हैं, महात्मा गांधी की हत्या के तुरन्त पश्चात एक संकल्प प्रस्तुत किया था कि किसी भी धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक दल को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाना चाहिए। वह संकल्प हमने पारित किया था परन्तु उसे उस प्रकार लागू नहीं किया गया है। उसको प्रभावी बनाने के लिये विधेयक पेश करने के बदले वे वैसा करने की विभिन्न युक्तियां निकाल रहे हैं। जबलपुर के उपद्रव को चरम सीमा समझा गया है। इसलिये हमें उनको विचार करने का अवसर देना चाहिये। मैं उसके सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर दूंगा ताकि सरकार समस्त सम्बन्धित दलों के हित में निर्णय कर सके।

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या वह निर्णय अगले चुनाव के काफी पहले कर लिया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे विश्वास है कि अगले चुनाव के पूर्व ही कुछ कर लिया जायेगा।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** हां, श्रीमान, हम जो कुछ भी करेंगे वह चुनावों के काफी पहले ही कर लेने का प्रयत्न किया जायेगा।

जहां तक श्री जैन के प्रश्न का संबंध है, मुझे केवल इतना ही कहना है कि गृह-कार्य मंत्री होने के नाते मैं यह जानता हूं कि भावनगर सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया गया था।

†**श्री हेम बरूआ :** मैं एक औचित्य प्रश्न पेश करना चाहता हूं। आप अनेक बार बता चुके हैं कि प्रश्नों का घंटा जानकारी प्राप्त करने के लिये होता है। मेरा विचार कुछ भिन्न है। मैं समझता हूं कि प्रश्नों का घंटा सरकार को निरन्तर सावधान रखने के लिये होता है। परन्तु यहां श्री जैन कांग्रेस दल की ओर से प्रचार कर रहे हैं..... **(अन्तर्बाधायें)**।

†**कुछ माननीय सदस्य :** नहीं।

†**कुछ माननीय सदस्य :** यह ठीक है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझ गया हूं कि औचित्य प्रश्न क्या है। मैं देखता हूं कि कुछ माननीय सदस्य प्रश्नों के घंटे का उपयोग प्रचार के प्रयोजन के लिये करते हैं। मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठाई है वह भी इसके अपवाद नहीं है। जब मैं पूछता हूं कि "प्रश्न क्या है" तो वे कहते है कि "मैं प्रश्न पर आने वाला हूं।" परन्तु उनकी बात रिकार्ड में आ जाती है तब मैं कुछ नहीं कर सकता। अन्ततः मैं देखता हूं कि प्रश्न कोई नहीं होता है। मैं उस अंश को कार्यवाही से निकालना नहीं चाहता। माननीय सदस्य को चिंता नहीं करनी चाहिये क्योंकि जब उन पर सभा के बाहर का प्रचार का असर नहीं होता है तो सभा के अन्दर के प्रचार का भी कोई असर नहीं होगा। **(अन्तर्बाधायें)**।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** मैं एक औचित्य प्रश्न रखना चाहता हूं। विधि मंत्री के भाषण के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था। अब वह आ गये हैं। उनसे स्पष्टीकरण करने के लिये कहा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न।

नवानगर के जाम साहब का बालाछेदी महल

†*१९०७. **श्री रामकृष्ण रेड्डी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने नवानगर के जामसाहब का बालाछेदी में स्थित महल खरीद लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस कीमत पर और किस प्रयोजन के लिये ;

(ग) क्या खरीदे गये महल की हालत अच्छी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) से (ग). उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रामकृष्ण गुप्त : इस इमारत का क्रय मूल्य नई इमारत के निर्माण की तुलना में कैसा है

†सरदार मजीठिया : संघ सरकार ने उसकी खरीद नहीं की है इसलिये मुख्य प्रश्न के भाग (ख), (ग) और (घ) उत्पन्न नहीं होते। इसलिये माननीय सदस्य का यह अनुपूरक प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री रंगा : क्या ऐसी खरीद का प्रश्न विचाराधीन है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : नहीं, श्रीमान ।

†श्री पु० र० पटेल : क्या जामनगर में कोई सैनिक स्कूल स्थापित किया जाना है और उसके बारे में कोई बातचीत चल रही है ?

†श्री कृष्ण मेनन : सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई बात नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : क्या नवानगर में कोई स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ?

†श्री पु० र० पटेल : नवानगर नहीं जाकनगर में । कौन सा स्थान चुना गया है अथवा चुने जाने का विचार किया जा रहा है ? क्या वह जामनगर के निकट है ?

†श्री कृष्ण मेनन : वह एक भिन्न प्रश्न है।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न में कहा गया है :

"क्या संघ सरकार ने नवानगर के जामसाहब का बालाछेदी में स्थित महल खरीद लिया है वह किस नगर का निर्देश कर रहे हैं ?"

†श्री पु० र० पटेल : वह जामनगर के आसपास है ।

†अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या एक स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिये महल खरीदने का कोई प्रस्ताव है ?

†श्री कृष्ण मेनन : यदि पृथक प्रश्न पूछा जाये तभी मैं उत्तर दे सकता हूं क्योंकि उस पर अनेक अनुपूरक प्रश्न होंगे। यह प्रश्न केवल इस इमारत की खरीद के संबंध में है। हमने इस इमारत के संबंध में कोई बातचीत नहीं की है और न उसे खरीदा है।

श्री छ० म० केदारिया : क्या इसी प्रयोजन के लिये राजपिपला के वाडिया महल का कोई प्रस्ताव था और उसका क्या परिणाम निकला ?

†श्री कृष्ण मेनन : इसका भी वही उत्तर है। हमने राजपिपला में किसी इमारत के लिये बातचीत नहीं की है।

तंजोर जिले में तेल

†*१९०८. श्री नारायण स्वामी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य के तंजोर जिले के डेल्टा क्षेत्र में तेल पाये जाने की संभावना है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में तेल मिलने की संभावनाओं की जांच करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) और (ख). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कावेरी बेसिन में, तंजोर जिले के डेल्टा क्षेत्र को सम्मिलित करके, भूतत्वीय एवं भूभौतिकीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। अभी तक किये गये सर्वेक्षण कार्य के परिणाम तेल की खोज के हित में मालूम होते हैं। क्षेत्र की अनुसंधान संबंधी छिद्रण के लिये उपयुक्तता के संबंध में कुछ निश्चित कह सकने के पूर्व कुछ और भूतत्वीय एवं भूभौतिकीय कार्य किया जाना होगा ।

†**श्री नारायण स्वामी :** क्या इस संबंध में किन्हीं विदेशी विशेषज्ञों को नियोजित किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं अनेक वार बता चुका हूं कि ऐसे कार्य के लिये विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** यदि उस क्षेत्र में तेल निकल आयेगा तो क्या अनुसंधान कार्य तंजोर क्षेत्र में किये जाने पर बल दिया जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** इसका उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता हूं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या उस बेसिन में कोई भूकम्पीय परीक्षण प्रारम्भ किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** बहुत सा भूकम्पीय कार्य किया गया है और किया जा रहा है ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम् :** हम चार वर्षों से यह सुनते आ रहे हैं कि अनुसंधान कार्य किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि यह अनुसंधान कार्य कब से चल रहा है और क्या उसके तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पूर्व पूर्ण हो जाने की आशा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** कभी कभी अनुसंधान कार्य में बहुत समय लग जाता है जो तीन से लेकर पांच वर्ष तक चलता है । अभी हमें इतना समय नहीं हुआ है । हम किसी प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । आशा है कि तीसरी योजना अवधि के समाप्त होने के पूर्व हमें मालूम हो सकेगा ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** माननीय मंत्री ने कहा था कि जब तक और आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे कोई निर्णय नहीं किया जा सकेगा । ये आंकड़े प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** हमें जो परिणाम प्राप्त हुये हैं उनका हम निर्धारण करने जा रहे हैं । आशा है कि बरसात के बाद अक्तूबर-नवम्बर के आसपास हम निर्णय कर लेंगे ।

†**श्री तंगमणि :** समाचारपत्रों में यह निकला था कि माननीय मंत्री ने इसके संबंध में राज्य के मंत्रियों से चर्चा की थी और उन्होंने यह कहा था कि अनुकूल परिणामों के कारण कुछ छिद्रण कार्य भी शुरू किये जाने की संभावना है । यदि यह सही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या छिद्रण कार्य तीसरी योजना अवधि में प्रारम्भ हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री के० दे० मालवीय : मैं बड़ी उत्सुकता से यह प्रतीक्षा कर रहा हूं कि प्रविधिज्ञ हमें इस प्रकार के निष्कर्ष बतायें ताकि वहां छिद्रण प्रारम्भ किया जा सके।

†श्री त० ब० विठ्ठल राव : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का जो प्रतिवेदन परिचालित किया गया था उसमें यह कहा गया था कि भूतत्वीय मापांकन किया गया है और गुरुत्व-एवं-चुम्बकीय सर्वेक्षण भी किया गया है। यह भी कहा गया था कि कुछ तेल पाये जाने के संकेत भी प्राप्त हुये हैं। यदि ऐसा है तो उस क्षेत्र में छिद्रण कार्य क्यों नहीं शुरू किया जाता ?

†श्री के० दे० मालवीय : क्योंकि हम कुछ और भूकम्पीय आंकड़े उपलब्ध हुये बिना, जिनको प्राप्त करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, छिद्रण कार्य प्रारम्भ करना वांछनीय नहीं समझते हैं।

†श्री सम्पत : लगभग एक वर्ष पूर्व माननीय मंत्री ने इस क्षेत्र में भूकम्पीय कार्य प्रारम्भ करने के लिये भूकम्पीय यंत्र मिलने में कुछ कठिनाईयों का उल्लेख किया था। क्या उन कठिनाईयों को दूर कर लिया गया है और कार्य प्रारम्भ हो गया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : भूकम्पीय कार्य प्रारम्भ करने में कोई कठिनाई नहीं है। वह वहां चल रहा है। हम कुछ और आंकड़े प्राप्त करना चाहते हैं परन्तु वे अभी इतने पर्याप्त नहीं प्राप्त हो सके हैं कि छिद्रण कार्य प्रारम्भ किया जा सके। हम कुछ और आंकड़े प्राप्त होने की आशा कर रहे हैं। जैसे ही वे प्राप्त हो जायेंगे--और हमें अगले जाड़ों तक उनके मिलने की आशा है--हम छिद्रण प्रारम्भ कर देंगे।

†श्री नरसिंहन् : क्या ट्राम्बे और तंजोर क्षेत्र के भूतत्वीय क्षेत्र, जैसे कि अभी तक संकेत मिले हैं, समान हैं और यदि ऐसा है तो तंजोर क्षेत्र में भी छिद्रण तथा अन्य कार्य उतनी ही निष्ठा के साथ क्यों नहीं किये जा रहे हैं जैसे अन्य क्षेत्रों में किये जा रहे हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कहते हैं कि वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व कुछ और प्रयोग करना चाहते हैं। माननीय सदस्य उनसे यह कह रहे हैं कि अभी तक जो प्रयोग किये गये हैं वही पर्याप्त हैं और दोनों स्थानों के आंकड़े समान हैं। क्या माननीय सदस्य कोई विशेषज्ञ हैं ?

†श्री नरसिंहन् : मैं तो मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि क्या वे समान हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल सकता था ?

†श्री के० दे० मालवीय : बात यह है कि भूतत्वीय दृष्टि से समान क्षेत्र हो सकते हैं। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसी बात के आधार पर छिद्रण प्रारम्भ कर दें। छिद्रण बहुत महंगा कार्य है और हमें बहुत सावधानी बरत कर ही ऐसी जोखिम उठानी चाहिये।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि यदि संकेत अनुकूल होंगे तो सैम्पिल प्राप्त होते ही छिद्रण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : यही प्रश्न पहले पूछा जा चुका है।

†मूल अंग्रेजी में

अंकलेश्वर का तेल

+

*१६०६. { श्री खुशवक्त राय :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार और दो विदेशी तेल शोधक कम्पनियों में अंकलेश्वर के तेल को साफ करने के बारे में समझौता हो गया है ;

(ख) समझौते की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) ये कम्पनियां कब से यह काम प्रारम्भ करेंगी ?

†खान और तेल मंत्री (श्री केशव देव मालवीय) :(क) जी नहीं, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अभी बातचीत की जा रही है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री खुशवक्त राय : हिन्दी में भी जवाब दीजिये ।

†मैं ने हिन्दी में प्रश्न पूछा था अतः मुझे हिंन्दी में उत्तर मिलना चाहिए ।

†श्री के० दे० मालवीय : क्षमा कीजिये, मैं भूल गया ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अंग्रेजी तो खूब जानते हैं ।

[दूसरे प्रश्न का उत्तर हिन्दी में भी पढ़ा गया]

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कठिनाई आ रही है बातचीत के संबंध में ?

श्री के० दे० मालवीय : बातचीत के संबध में कठिनाई तो यह है कि वे कम्पनियां हम से कम से कम तेल लेना चाहती हैं, और ऐसी दलीलें पेश करती हैं जिन से कि हम उन की कम मात्रा को मान लें। लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तेल उन को दें। इसी संबंध में कुछ बातचीत चल रही है । आशा है कि जल्दी फैसला हो जायेगा ।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : जब कोई माननीयि सदस्य हिन्दी में प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर भी हिन्दी में दिया जाता है । मेरा अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य अंग्रेजी जानते हैं वे अन्य लोगों के हित के लिए अंग्रेजी में ही अपने प्रश्न पूछा करें क्योंकि अन्यथा हम कुछ नहीं समझ पाते हैं ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उसका अनुवाद किया जा सकता है ।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : मैं अनेक बार कह चुका हूं कि हम यहां हिन्दी की परीक्षा देने नहीं आये हैं। बहुत से माननीय सदस्य अब हिन्दी सीखने में सर्वथा असमर्थ हैं। मैं चाहता हूं कि सभा में जो कुछ कहा जाता है उसको प्रत्येक सदस्य समझ सके। अतः इस प्रकार की बात नहीं कही जानी चाहिए कि चूंकि प्रश्न की सूचना हिन्दी में दी गई थी इसलिए उत्तर भी हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए। मेरा विचार है कि प्रश्न किसी भी भाषा में भेजे जा सकते हैं। यदि माननीय मंत्री अंग्रेजी में उत्तर देते हैं तो जो सदस्य हिन्दी में उत्तर चाहते हैं वे यह कह सकते हैं कि वे अंग्रेजी नहीं समझते हैं अतः उत्तर हिन्दी में दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार जो लोग हिन्दी नहीं जानते हैं वे किसी भी प्रश्न का अंग्रेजी में उत्तर दिए जाने के लिए कह सकते हैं। यदि माननीय सदस्य इसकी मांग नहीं करेंगे तो मैं मंत्री जी से दोनों भाषाओं में उत्तर पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि उस में समय बरबाद होता है। मैं आशा करता हूं कि अब तक बांयी ओर के माननीय सदस्य भी कुछ हिन्दी समझने लगे होंगे।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : जब टेक्नीकल विषय आ जाता है तब हम नहीं समझ पाते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : मैं महत्वपूर्ण मामलों में अनुवाद की अनुमति दूंगा।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : हम किसी सिद्धान्त के कारण ऐसा नहीं कह रहे हैं। जब तेल जैसी चीजों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम कुछ नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है जबकि हम उसे समझना जरूर चाहते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अपना उत्तर अंग्रेजी में दें।

†श्री नाथपाई : श्रीमान् आपने कहा कि "प्रश्न किसी भी भाषा में भेजे जा सकते हैं।" संभवतः आपका तात्पर्य दोनों में से किसी भाषा से था। यदि आप किसी भी भाषा की अनुमति दे दें तो हमें बहुत खुशी होगी।

†अध्यक्ष महोदय : मेरा तात्पर्य अंग्रेजी अथवा हिन्दी में से किसी भाषा से था।

†श्री के० दे० मालवीय : श्रीमान्, संभवतः तेल कम्पनियां यह समझती हैं कि उन्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि उनकी शोधनशालाओं को बहुत कम तेल का शोधन करना पड़े। दूसरी ओर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग उतनी मात्रा देना चाहता है जितनी कि उस के विचार से उचित है। परन्तु प्रश्न यह है कि ये दो शोधनशालायें कितने तेल का शोधन करती हैं।

†श्री ना० नि० पटेल : क्या उन समवायों के नाम बताए जा सकते हैं?

†श्री के० दे० मालवीय : बर्मा शैल और स्टेंडर्ड वैकुअम आयल कम्पनी।

†श्री पु० र० पटेल : इन समवायों को कितना तेल दिए जाने का विचार है?

†श्री के० दे० मालवीय : इस के बारे में बातचीत चल रही है।

†श्री प्र० गं० देव : क्या उन समवायों के साथ कोई प्रविधिक जानकारी संबंधी करार किया गया है?

†श्री के० दे० मालवीय : जानकारी संबंधी करार क्या होता है?

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी प्रश्न नहीं समझ सके।

†श्री प्र० गं० देव : क्या उन समवायों के साथ कोई प्रविधिक जानकारी संबंधी करार किया गया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : मैं नहीं जानता कि इन शोधनशालाओं से तेल लेने के लिए कहने के प्रश्न का जानकारी संबंधी करार से क्या संबंध है । इसका जानकारी संबंधी करार से कोई संबंध नहीं है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह निर्णय कर लिया गया है कि ये विदेशी सार्थ हमारे देश में कितनी राशि विनियोजित करेंगे और यदि हां, तो ब्याज की दर आदि का ब्यौरा क्या है ?

†श्री के० दे० मालवीय : पूंजी विनियोजन का कोई प्रश्न नहीं है । प्रश्न सीधा सादा यह है कि ये शोधनशालायें हमारे अपरिष्कृत तेल को साफ करने के लिए सहमत हो जायें । यदि अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी तो वे विनियोजित करेंगी ।

†श्री गोरे : क्या बम्बई की इन शोधनशालाओं द्वारा साफ किए जाने वाले तेल की मात्रा अभी विचाराधीन है अथवा उस ठेके में यह कहा गया है कि हम जितना भी तेल भेजेंगे वह उन्हें साफ करना ही होगा ?

†श्री के० दे० मालवीय : मूल करार में केवल यह कहा गया है कि यदि हम कोई कच्चा तेल भेजेंगे तो वे कुछ शर्तों के अधीनस्थ उसे साफ करने का प्रयत्न करेंगी । अतः हम उन से अपना तेल साफ करने के लिये अनुरोध कर रहे हैं और बातचीत संतोषजनक रुप से चल रही है और मुझे आशा है कि कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकेगा ।

†श्री प्र० गं० देव : क्या अंकलेश्वर का साफ किया हुआ तेल इन विदेशी समवायों के माध्यम से बेचा जायेगा अथवा आयल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या इसका भी करार में उल्लेख है ?

†श्री के० दे० मालवीय : मुझे ठीक नहीं मालूम अतः मैं कुछ नहीं कह सकता हूं ।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बर्मा शैल शोधनशाला में ३० लाख टन का अधिकतम क्षमता के बाराबर उत्पादन हो रहा है और यदि सरकार कैम्बे में अपनी शोधनशाला की स्थापना होने तक उस से अपना कच्चा तेल साफ कराने के लिए उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाना स्वीकार करती है तो उसका मतलब यह होगा कि जब हमारी शोधनशाला कैम्बे में चालू हो जायेगी तब वह अधिक कच्चे तेल का आयाता करेगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : नहीं, श्रीमान्; ऐसा नहीं है । हम उनसे दीर्घकालीन व्यवस्था के आधारा पर जो तेल साफ करायेंगे उस के बदले में उन्हें अपने तेल की मात्रा बढ़ाने की अनुमति नहीं देंगे । इस दीर्घकालीन व्यवस्था से गुजरात में अपनी शोधनशाला की स्थापना के प्रस्ताव पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

†श्री त० ब० विट्ठलराव : क्या अंकलेश्वर और कैम्बे में ४० लाख टन से अधिक तेल का उत्पादन किए जाने की कोई संभावना है ताकि हम बर्मा शैल और गुजांरात की तेल शोधनशाला को बीस-बीस लाख टन तेल का संभरण कर सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री के० दे० मालवीय : मैं इन मात्राओं को स्वीकार नहीं कर सकता हूं ।

†श्री त० ब० विट्ठलराव : परन्तु बर्मा शैल को तो आप २० लाख टन देने जा रहे हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : हम स्वयं एक शोधनशाला स्थापित करने जा रहे हैं । हम उत्पादन की मात्रा के पूर्वानुमान के आधारा पर किसी समवाय के साथ कोई करार कैसे कर सकते हैं क्योंकि यदि उतना उत्पादन नहीं हुआ तो क्या होगा ? क्या आपने इस बात का विचार कर लिया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : मैं सभा में अनेक बार बता चुका हूं कि बम्बई की शोधनशालाओं में १,५०० टन तेल भेजने का प्रस्ताव है । यह मात्रा उस के अतिरिक्त है जो हम गुजरात की शोधनशाला के लिए रख रहे हैं । यह १,५०० टन तेल अंकलेश्वर में किस्म और मात्रा स्थापित करने के लिए कहीं न कहीं भेजना ही होगा । इसके बिना कच्चे तेल का दीर्घ-कालीन आधार पर उत्पादन नहीं किया जा सकता । अभी हम ने शुरुआत ही की है अतः १,५०० टन तेल बम्बई में साफ किए जाने के लिए आसानी से रक्षित किया जा सकता है ।

†अध्यक्ष महोदय : दूसरी शोधनशाला के प्रभावित किए बिना ?

†श्री के० दे० मालवीय : जी, हां ।

कुछ माननीय सदस्य उठे— ।

†अध्यक्ष महोदय : सारा घण्टा तेल के प्रश्न पर ही खत्म नहीं किया जा सकता है ।

नाट्य संगठनों को अनुदान

†*१९१०. श्रीमती मैमूना सुलतान : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल में बहुत से नाट्य संगठनों को नये नाटकों की रचना के लिए अनुदान स्वीकृत किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कितने नाट्य संगठनों को अनुदान देने की मंजूरी दी गयी है, और

(ग) कितना अनुदान देने की मंजूरी दी गयी है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) बीस संगठनों को सभा-पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार सहायता दी गई थी ।

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नाट्य संगठनों की संख्या जिन्हें १९६०-६१ में सहायता दी गई
आन्ध्र प्रदेश	१
आसाम	१
गुजरात	१
केरल	३
मद्रास	१
महाराष्ट्र	२
मनीपुर प्रशासन	१
मैसूर	१
उड़ीसा	२
पंजाब	२
पश्चिमी बंगाल	५

(ग) ७,५०० रुपए प्रति नाटक की दर से।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : मैं जानना चाहती हूं कि इन संगठनों को ये अनुदान देते समय मंत्रालय ने किन-किन बातों पर विचार किया था ? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि अनुदान देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी—वे प्रत्यक्षतः केन्द्र द्वारा दिये गये थे अथवा राज्यों पर छोड़ दिया गया था ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस योजना का विस्तृत प्रचार किया गया था और शर्तें घोषित की गई थीं और अनुदान घोषित की गई शर्तों के अनुसार ही दिए गए थे।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इस प्रयोजन के लिए कोई प्रार्थनापत्र आमंत्रित किए गए थे और यदि हां, तो कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : ६९ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इन संगठनों को नाटक तैयार करने के लिए कोई सुझाव दिए गए थे कि वे किस प्रकार के हों ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हां, श्रीमान्। घोषित की गई शर्तों में यह गहा गया था कि दल को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी जैसे उनकी पर्याप्त ख्याति होनी चाहिए, वे रजिस्टर्ड होने चाहिएं और उन्होंने कुछ न्यूनतम संख्या के नाटक तैयार किए हों। उनसे कहा गया था कि उन्हें दो नाटकों के लिए भी सहायता मिल सकती है यदि उन में से एक रवि बाबू पर शताब्दि समारोह के लिए हो।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मौजूदा हालात के पेशे नजर वजारत कल्चुरल एफेअर्स ने इस बात को जेर गौर लिया है कि यह थिएटर ऑरगेनाइजेशन कौमी यकजहती के बनाने में काफी काम कर सकता है, और क्या इस सिलसिले में वजारत ने थिएटर आरगेनाइजेशन को आइडिया दिया है कि वह जो ड्रामा पेश करें वह कौमी यकजहती पर हो ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर** : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री सम्पत** : क्या मंत्रालय ने इस अनुदान के योग्य नाटकों का चुनाव करने के लिए गैर-सरकारी व्यक्तियों की कोई परिषद् अथवा बोर्ड स्थापित किया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह योजना का पहला ही वर्ष था । हमने कुछ शर्तें रखी थीं कि वे संगठन रजिस्टर्ड होने चाहिएं, वे सौ खेल दिखा चुके हों और वे कम से कम तीन नाटक बना चुके हों । जिन दलों द्वारा ये शर्तें पूरी होती थीं उनकी राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश की गई थी और हमने उन्हें सहायता दी थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न सीधा साधा यह है कि क्या चलचित्र मंत्रणा समिति जैसी कोई मंत्रणा परिषद् है अथवा प्रत्येक बात विभाग द्वारा ही की जाती है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस मामले में गत वर्ष कोई मंत्रणा परिषद् नहीं थी ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या माननीय मंत्री की जानकारी में यह बात आई है कि जिन दलों को सरकार से यह वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है उनमें से कुछ दलों ने कुछ ऐसे नाटक बनाये हैं जिनमें देश के कतिपय राजनैतिक नेताओं की, कांग्रेस को सम्मिलित कर के, खिल्ली उड़ाई गई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हमने यह सहायता राज्य सरकारों की सिफारिश पर प्रतिष्ठित दलों को दी है । जहां तक नाटकों का सम्बन्ध है, इस वर्ष एक रवि बाबू सम्बन्धी नाटक चुना गया है । मैं ऐसा कोई रवि बाबू सम्बन्धी नाटक नहीं जानता हूं जिसमें किसी राजनैतिक दल की खिल्ली उड़ाई गई हो ।

†**श्री तिरुमल राव** : उन्होंने कहा कि दो नाटक होने चाहिएं जिन में से एक रवि बाबू से सम्बन्धित है । दूसरे नाटक पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस वर्ष किसी भी दल ने रवि बाबू से भिन्न विषय का कोई नाटक नहीं चुना है । यद्यपि यह उन पर छोड़ दिया गया था परन्तु उन सभी ने रवि बाबू सम्बन्धी नाटक ही चुना है ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या सरकार को इसकी कोई जानकारी है कि ऐसे कितने गैर-सरकारी संगठन हैं जो हिन्दी नाटकों से भिन्न नाटक बना रहे हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जसा मैंने कहा था, हमें ६९ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे। हमारे पास इसका कोई ब्यौरा नहीं है कि देश में कितने संगठन हैं। बहुत से अव्यवसायिक संगठन भी हैं और इन सब के आंकड़े एकत्रित करने में जितना समय और शक्ति खर्च होगी उसकी तुलना में परिणाम नगण्य होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

कुछ माननीय सदस्य उठे —

†**अध्यक्ष महोदय** : छोटे से मामले को भी बहुत तूल दिया जाता है और एसा प्रदशित किया जा रहा है मानों समस्त संसार नाटकों पर ही अवलम्बित हो। अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोंडल के भूतपूर्व शासक की गिरफ्तारी

†*१६११. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री आसर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोंडल के भूतपूर्व शासक को बंगलौर में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) गोंडल के शासक को १७ अप्रैल, १९६१ को बंगलौर में शासकीय भेद अधिनियम की धारा ३(ख) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था ।

(ख) १४ अप्रैल, १९६१ को गोंडल के शासक को हिन्दुस्तान एयरक्रैफ्ट लिमिटेड के हवाई अड्डे के निषिद्ध क्षेत्र में फोटो खींचते हुए और एक सुपरसॉनिक विमान की ओर कैमरा किए पाया गया था । चूंकि तथ्यों से शासकीय भेद अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का संकेत मिला, अतः उन्हें १७ अप्रैल, १९६१ को गिरफ्तार कर लिया गया जब कि वह बम्बई के लिए रवाना होने वाले थे । उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है । मामले की मैसूर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या उन्होंने पुलिस के सामने कोई बयान दिया है और, यदि हां, तो क्या ?

†**श्री दातार :** मुझे उसकी जानकारी नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी उठे––

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह यह चाहते हैं कि जांच के दौरान ही सब बात सभा को प्रकट कर दी जायें ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** जी, नहीं । मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या गोंडल के भूतपूर्व शासक को सरकार से कोई निजी थैली मिल रही है और क्या इस घटना के परिणाम-स्वरूप वह बन्द कर दी जायेगी और क्या वह स्वतंत्र दल के सदस्य भी हैं ?

†**श्री दातार :** मामला अभी जांच की प्रारम्भिक अवस्था में है । जांच चल रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** गोंडल के भूतपूर्व शासक जासूसी के मामले में अन्तर्ग्रस्त हैं और यदि उन्हें कोई निजी थैली मिल रही है तो कम से कम उसे बन्द कर देना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें निजी थैली मिल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब कार्यवाही के लिए सुझाव हैं ?

†**श्री नाथपाई** : क्या उनका कैमरा जब्त कर के फिल्म को धुलवाया गया है और यदि हां, तो क्या फिल्म से यह मालूम हुआ है कि वह चित्र हवाई अड्डे पर खड़े सूपरसॉनिक विमान का था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : वह हिन्दुस्तान एयरक्रैफ्ट का रक्षित क्षेत्र है। वह टैलिस्कोपिक कैमरा लिए हुए थे, जो साधारण नहीं होता है । अतः वह अधिकारियों ने ले लिया और पुलिस के पास है ।

†**श्री नाथपाई** : यह ठीक है परन्तु . . .

†**श्री कृष्ण मेनन** : माननीय प्रतिरक्षा मंत्री का तात्पर्य यह है कि फोटो लेने का प्रत्यन करना भी अपराध है और उन्हें उसी अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया।

†**श्री नाथपाई** : यह सर्वथा ठीक है और इससे हम संतुष्ट हैं। परन्तु सभा को यह जानने का अधिकार है कि उस फिल्म को धुलवाया गया है अथवा नहीं ? हम यह बात भी जानना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस सभा को न्यायालय बनने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। इन सब बातों की जांच बाद में की जायेगी । अभी इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि उस व्यक्ति को एक निषिद्ध क्षेत्र में एक टेलिस्कोपिक कैमरा लिए हुए गिरफ्तार किया गया जिससे बहुत गड़बड़ की जा सकती है । अभी इतना ही ज्ञान लेना पर्याप्त है । यदि सभा में इससे अधिक कुछ कहा जायेगा तो उससे मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस के प्रभावित होने का भय रहेगा और ऐसा मैं नहीं करना चाहता ।

†**श्री नाथपाई** : हम सही जानकारी मांग . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री हरवानी।

†**श्री अन्सार हरवानी** : ज्ञात हुआ है कि गोंडल के महाराजा के साथ कुछ अन्य राजकुमार भी बन्दी किए गए हैं। हम उन राजकुमारों के नाम जानना चाहते हैं।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : हमें उसकी जानकारी नहीं है । जहां तक हमारी जानकारी है । केवल गोंडल के भूतपूर्व शासक को ही गिरफ्तार किया गया था । जैसाकि आप ने कहा था यह अधिक अच्छा होगा कि हम जांच पूरी होने तक प्रतीक्षा करें ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : एक प्रश्न श्रीमान् ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अनुमति नहीं देता हूं । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

+

†*१६१४. { डा० सुशीला नायर :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्रीमती मंजुला देवी :
श्रीमती सत्यभामा देवी :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त की गयी समिति की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह सिफारिश की गयी है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लड़कियों को अपने पिता की कृषि-सम्पति में हिस्सा प्राप्त करने का जो अधिकार दिया गया है, उसे समाप्त कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा लड़कियों को प्रदान किये गये अधिकारों को कम किये जाने से बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**डा० सुशीला नायर** : पिछले वर्ष दिसम्बर में इस सभा के कई माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न पूछा था जिस मे उन्होंने मंत्री महोदय का ध्यान पंजाब विधान सभा द्वारा पारित एक संकल्प की ओर दिलाया था और उस संकल्प के परिणामस्वरूप नियुक्त की गयी इस समिति द्वारा यह सिफारिश किये जाने के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है । मंत्री महोदय का कहना है कि इस ओर उनका ध्यान नहीं दिलाया गया है । क्या मंत्री महोदय इस मामले की जांच करेंगे और यह देखेंगे कि भू-सम्पति की पैतृकता समेत लड़कियों के अधिकार सुरक्षित रखे जायें ?

†**श्री अ० कु० सेन** : प्रश्न समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के बारे में नहीं है परन्तु इस समिति की रिपोर्ट के बारे में है । प्रश्न यह है कि क्या सरकार का ध्यान इस समिति की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है । अब, जांच करने के बाद, हमारी जानकारी यह है कि पंजाब विधान सभा द्वारा स्थापित की गयी इस समिति ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है । यह प्रश्न प्राप्त होने के बाद हमने पंजाब सरकार से पूछ ताछ की और हमें बताया गया है कि इस समिति ने अभी कोई रिपोर्ट नहीं दी है । अतः जब तक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो जाती और हमें उस में निहित बातों का पता नहीं चल जाता, इस समय महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने का या रक्षा करने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को देखते हुए कि पंजाब सरकार और विधान सभा ने इस बात पर वाद-विवाद किया और इस बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया कि क्योंकि कृषि-भूमि राज्य सूची में आती है, पिता की भूमि सम्पत्ति में लड़की के अंश के लिये विधान बनाना केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

ने इस स्थिति की जांच की है ? इस बारे में कानूनी स्थिति क्या है और क्या, जैसा हमने यहां पास किया है, यह कानून कानून की दृष्टि से पूर्णतः संरक्षित है।

†**श्री अ० कु० सेन** : हमारी यह राय है कि यद्यपि पंजाब विधान सभा अपने क्षेत्र के बारे में इस प्रकार का विधान बना सकती है, परन्तु इस कानून को राष्ट्रपति की अनुमति तो चाहिये ही ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या यह सामाजिक विधान भारत में किसी राज्य में कहीं पर क्रियान्वित किया गया है और व्यवहार में लाया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। अगला प्रश्न ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : प्रश्न का शीर्षक यही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

आसाम के उपद्रवों के जांच करने के लिए आयोग

\+

†*१९१५. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री तंगामणि :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार गोहाटी में गोली चलाये जाने और गोरेश्वर के दंगों के बारे में जांच आयोग की उपपत्तियों पर अभी तक विचार कर रही है ;

(ख) उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने में इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी गयी हैं ;

(घ) इस बात को देखते हुए कि संसद् द्वारा जांच समिति भेजे जाने और लोक-सभा तथा राज्य-सभा में वाद विवाद होने के पश्चात् यह जांच करवाई गयी थी, इन रिपोर्टों को सभा पटल पर कब रखा जायेगा ; और

(ङ) मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने इन रिपोर्टों की जांच पूरी नहीं की है और उस के बाद ही इनको प्रकाशित करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

(ग) हम ने गोहाटी गोलीकांड सम्बन्धी रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। गोरेश्वर कांड की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है ।

(घ) और (ङ). वास्तव में गोहाटी में गोलीकांड को जांच करने के लिये जांच आयोग राज्य सरकार ने ३ अगस्त, १९६० को स्थापित किया था जब कि संसद् के दोनों सदस्यों का शिष्टमण्डल ८ अगस्त, १९६० को स्थापित किया गया था । आयोगों की रिपोर्टों पर अभी राज्य सरकर विचार कर रही है जो उन्हें गोपनीय मान रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा

†मूल अंग्रेजी में

उनकी पूरी जांच कर लेने और रिपोर्टों पर अपने विचार निर्धारित कर लेने के बाद रिपोर्टों के प्रकाशन के बारे में निर्णय किया जायेगा। इस बारे में राज्य सरकार से अभी पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : २० मार्च को भी इस सभा में ऐसा ही उत्तर दिया गया था। कि रिपोर्टों पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस बात को देखते हुए कि इस बारे में आसाम सरकार अनुचित विलम्ब कर रही है, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : अभी हाल ही में हमें गोहाटी कांड और गोली-कांड के बारे में आसाम सरकार से रिपोर्ट की प्रति मिली है। हमें गोरेश्वर कांड की रिपोर्ट नहीं मिल सकी। जब तक राज्य सरकार इस बारे में अपने विचार निर्धारित नहीं कर लेती, तब तक सभा पटल पर रिपोर्ट की प्रति रखना संभव नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मंत्री महोदय ने बताया है कि गौहाटी गोलीकान्ड के बारे में जांच आयोग संसदीय समिति बनाने से पूर्व स्थापित किया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संसदीय समिति की एक सिफारिश यह है कि गोरेश्वर कांड और वहां होने वाले अन्य कांडों की जांच की जाये, क्या उनकी उपपत्ति पर विचार करने का इस सभा का अधिकार नहीं है ?

† **ी लाल बहादुर शास्त्री** : मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। परन्तु प्रश्न यह है कि जब तक राज्य सरकार रिपोर्ट पर विचार पूरा नहीं कर लेती और इस बारे में अपने विचार निर्धारित नहीं कर लेती, हम आगे नहीं बढ़ सकते।

†**श्रीमती रेणुचकवर्ती** : इसको कब अन्तिम रूप दिया जायगा और राज्य सरकार और हमारे बीच क्या पत्र-व्यवहार हुआ है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वास्तव में हम राज्य सरकार से यह कहेंगे कि वे यथा संभव शीघ्र अंतिम निर्णय पर पहुंचें।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने कुछ बड़े पुलिस अधिकारियों को, जिनके विरुद्ध रिपोर्टों के निर्देश हैं, बचाने के प्रयत्न में .....

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। माननीय सदस्य वही शिकायत कर रहे हैं जो उन्होंने श्री जैन के विरुद्ध की थी।

†**श्री हेम बरुआ**: जी, नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : और वह क्या कर रहे हैं ?

†**श्री हेम बरूआ** : मैं और तरह से प्रश्न पूछूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा है। उन्होंने उन सब पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जानकारी दी है जो वे कहते हैं कि दोषी हैं। मैं अब कुछ समय तक उनको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरूआ : आसाम में एक आन्दोलन हुआ है ...

†अध्यक्ष महोदय : वह जानकारी अथवा अपने विचार न बतायें ।

†श्री हेम बरूआ : प्रश्न यह है कि क्या कुछ बड़े पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिये . . .

†अध्यक्ष महोदय : यह गलत है । मैं इस प्रकार की बातें नहीं कहने दूंगा।

†श्री हेम बरूआ : क्योंकि ..

†अध्यक्ष महोदय : उस सरकार के विरूद्ध, जिसका कोई उत्तराधिकारी यहां नहीं है, ये सब बातें कहने का कोई तात्पर्य नहीं है । क्या माननीय सदस्य में वहां जाकर वहां से चुनाव लड़ने, विधान सभा में जाने और सरकार को निकालने की हिम्मत है ? किसी पर कटाक्ष करने का कोई तात्पर्य नहीं है। वहां भी सैकड़ों सदस्य हैं । यदि हर कोई हमारी संसद को बुरा भला कहता रहे तो हमारा क्षेत्राधिकार क्या रह जाता है ? (अन्तर्बाधा) माननीय सदस्य ने कहा है कि जहां तक उस सरकार का संबंध है, किसी को लाभ देने के ख्याल से वे इसमें विलम्ब कर रहे हैं। माननीय सदस्य, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने, जिन्होंने प्रश्न रखा है, पूछा कि "विलम्ब का क्या कारण है "? मंत्री महोदय ने बताया, "हम उन्हें यथा संभव शीघ्र देने के लिये कह रहे हैं "। किसी सरकार पर कटाक्ष करने की अनुमति नहीं दी जा सकती । उस सरकार को बनाये रखना या निकाल फेंकना उस विधान मंडल के सदस्यों के हाथ में है ।

†श्री हेम बरुआ : यदि यह कटाक्ष या निन्दा है तो निन्दा क्या है ?

†अध्यक्ष महोदय : निन्दा यह है । (अन्तर्बाधा) । शांति, शांति । यदि माननीय सदस्य वह अंग्रेजी भी नहीं समझते जिसका उन्होंने स्वयं प्रयोग किया था तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। निश्चित रूप से उनका कहना है—यह एक भड़काने वाली बात है—कुछ पुलिस अफसरों को जो गलत कार्यवाही के लिये दोषी हैं, बचाने के लिये रिपोर्ट मे विलम्ब हो रहा है । मैं नहीं जानता कि ऐसा कहने से उनका क्या मतलब है, "मैं नहीं समझता कि निन्दा क्या है ।" वह नियमित रूप से निन्दा करते हैं । यह अनुचित है कि उस सरकार की निन्दा की जाये जहां पर एक उत्तरदायी विधान मंडल है वे उसे रख भी सकते हैं और उखाड़ भी सकते हैं।

†श्री अ० कु० सेन : उन पदाधिकारियों के विरूद्ध भी जो इस सभा में नहीं हैं।

†अध्यक्ष महोदय : यह गलत है ।

†श्री हेम बरुआ : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के हेतु । किसी के विरूद्ध कोई व्यंगवक्रोक्ति करने का मेरा कोई इरादा नहीं है । परन्तु मैं आसाम में सार्वजनिक सभाओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा जहां प्रस्तावों द्वारा लोग इन रिपोर्टों के प्रकाशन की मांग कर रहे हैं। क्योंकि वहां कुछ भ्रम हुआ है ।

†अध्यक्ष महोदय : इरादों को तो ईश्वर ही जानता है । परन्तु सदस्य जो भाषा प्रयोग करते हैं उससे उनके इरादों का पता चल जाता है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या मैं झूठा हूं ? यदि मेरे इरादे पवित्र हैं और यदि आप मुझे गलत समझें. .

†अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को कोई उपाधि नहीं दे रहा हूं । मेरा यह विचार नहीं है । वह अपने आपको कुछ भी कहें । परन्तु मैं यह नहीं.....

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : जो कुछ आप मेरे बारे में सोचते हैं, मैं उसका बुरा नहीं मानता । जब मैं कहता हूं कि मेरा इरादा पवित्र है, जो कुछ आप कहते हैं वह मेरी निन्दा है । मैं इस पर इस तरह सोचता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि वे इस प्रकार बाधा डालते रहे तो मैं उन्हें यहां नहीं रहने दूंगा । जो कुछ मैंने कहा वह यह है कि लोगों का इरादे से पता नहीं चलता है । जब मैं निश्चित रूप से कहता हूं तो इसमें निन्दा रहती है ।

डा० सुशीला नायर उठीं––

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मैं स्वयं संभाल लूंगा । यह गलत बात है । मैं इस माननीय सदस्य को बहुत बार क्षमा कर चुका हूं । जब वह कोई भाषा इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इससे निन्दा होती है—वह कहते हैं कि उनका यह इरादा नहीं है––मैं यह कहता हूं कि हम लोगों को इरादों से नहीं परखते परन्तु उस भाषा से जो वह इस्तेमाल करते हैं । जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की वह सरकार और अधिकारियों के विरुद्ध ठीक नहीं है । फिर आगे वह कहते हैं ' "क्या मैं झूठा हूं ?" मैं यह कभी नहीं कहूंगा कि वह झूठे हैं । कोई भी माननीय सदस्य झूठा नहीं है । प्रत्येक माननीय सदस्य अच्छा व्यक्ति है । अब हम आगे कार्यवाही करते हैं ।

†श्री त्यागी : मैं आशा करता हूं कि यह आपका विनिर्णय है ।

†श्री रंगा : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? सरकार ने कुछ समय पूर्व दंगों के उन दिनों में होने वाली स्थिति के लिये सामान्य जांच का आश्वासन दिया था । क्या सरकार ने आसाम में हुये दंगों की सामान्य जांच करने के लिये एक जांच समिति अथवा आयोग नियुक्त करने की संभावना पर विचार किया है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : हम उसे आवश्यक नहीं समझते ।

†डा० सुशीला नायर : मैं इस पर आपका विनिर्णय चाहती हूं । क्या कोई माननीय सदस्य अध्यक्ष को यह कह सकता है, जो कुछ आप मेरे बारे में सोचते हैं, मैं उसकी परवाह नहीं करता । मैं कुछ और बात सोचता हूं ?"

†श्री रंगा : मेरे प्रश्न का क्या उत्तर मिला ? सरकार ने यह कहा था कि उचित समय आने पर और स्थिति सामान्य होने पर वह दंगों के मामले के लिये एक सामान्य जांच आयोग स्थापित करने की संभावना पर विचार करेंगे । और मैंने इस बारे में प्रश्न पूछा है ।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : दो जांच समितियां नयुक्त की गयी थीं । उन्होंने अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं । अभी राज्य सरकार इन प्रतिवेदनों पर अपने विचार निर्धारित नहीं कर सकी है । इन परिस्थितियों में कोई अन्य जांच समिति नियुक्त करना उचित नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं अल्प सूचना प्रश्न लेता हूं ।

श्री तंगामणि उठे––

†अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

†श्री तंगामणि : इस प्रश्न की मैंने भी सूचना दी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । माननीय सदस्य प्रश्नों की सूचना देते हैं । मैं उन लोगों को भी अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे देता हूं जिन्होंने प्रश्न की सूचना नहीं दी थी । मैं चारों ओर ध्यान रखता हूं । जब मैं यह देखता हूं कि किसी प्रश्न का पर्याप्त उत्तर दिया जा चुका है तो कुछ ऐसे सदस्य भी हो सकते हैं जिनका नाम प्रश्न में हो परन्तु उनको अवसर न मिल सका हो । यदि इस प्रकार का आग्रह किया जाता है तो मैं माननीय सदस्यों का नाम केवल उसी प्रश्न के लिये पुकारूंगा जिसकी उन्होंने सूचना दी है । और मैं उन्हें अन्य प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा । मेरा मतलब है कि यह माननीय सदस्यों का अधिकार नहीं है, जिसका वे दावा करते हैं । यह तो मुझे देखना है किसी प्रश्न का पर्याप्त उत्तर दिया जा चुका है या नहीं ।

अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेते हैं ।

†डा० सुशीला नायर : मेरी बात का क्या हुआ ।

†अध्यक्ष महोदय: इसमें कोई हानी नहीं है ।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : क्या हम जान सकते हैं कि माननीय सदस्या डा० सुशीला नायर द्वारा उठाई गयी बात के बारे में आपका क्या निर्णय है ?

†श्री नाथ पाई : औचित्य प्रश्न क्या है ?

†अध्यक्ष महोदय : औचित्य प्रश्न यह है । मैंने समझा कि श्री हेम बरुआ ने जोश में जो कहा मुझे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिये । उन्होंने कहा, "जो कुछ आप कहते हैं, मैं उसकी परवाह नहीं करता कि मेरे बारे में आपकी क्या राय है ।' (अन्तर्बाधा) शांति, शांति । मैंने वही बात कही । मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है । उन्होंने कहा, "जो कुछ आप मेरे बारे में सोचते हैं, मैं उसकी परवाह नहीं करता"-- उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था । डा० सुशीला नायर का कहना है कि अध्यक्ष के विरुद्ध ऐसी बातें रिकार्ड में न आयें । मैंने सोचा कि मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिये । परन्तु यह बुरी बात है । बाज दफा माननीय सदस्य आपे में नहीं रहते और उन्हें अध्यक्ष के अधिकार का ध्यान नहीं रहता। मैं उनके विरूद्ध कोई कड़ी कार्यवाही करना नहीं चाहता ।मैंने उन्हें कई बार टोका परन्तु फिर भी वे जिद्द करते हैं । अतः अध्यक्ष के विरुद्ध यह अनुचित बात है जिसका मतलब है सारी सभा की निन्दा करना । मैं उनसे इसको वापस लेने के लिये कहूंगा ।

†श्री नाथ पाई : श्रीमान् जी हम आपसे और प्रधान मंत्री जी से सहमत हैं । परन्तु उन्हें भी कुछ अच्छे ढंग से बर्ताव करना चाहिये । यदि कोई ऐसे शब्द कहे गये हैं जो आपके लिये अनादर-सूचक हैं तो वे वापस लिये जायेंगे । क्या हम जान सकते हैं कि वे क्या शब्द हैं जिन पर आपत्ति है और वह उन्हें वापस ले लेंगे ।

†अध्यक्ष महोदय : रिपोर्टर महोदय वे शब्द पढ़ें—इस समय रिपोर्टर वास्तविक शब्द ढूंढ नहीं पा रहे हैं । परन्तु मुझे कोई शंका नहीं है कि जोश में आकर माननीय सदस्य ने ऐसा कह दिया, परन्तु मैं नहीं समझता कि उनका यह मतलब था । यदि शब्द मिलें तो वह निश्चित रूप से उसे वापस ले लेंगे । अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेते हैं ।

†श्री हेम बरुआ : श्रीमान्‌जी अध्यक्ष पर कोई कटाक्ष करने का मेरा कोई इरादा नहीं था । जहां तक मैं जानता हूं मैं इस सभा में सदैव आपके प्रति वफादार रहा हूं और यदि मैंने कोई कटाक्ष किया हो या ऐसे शब्द कहें हो जिनका यह अर्थ लगाया जा सकता हो, तो मुझे बड़ा खेद है । जहां तक मुझे याद है मैंने ऐसे कोई शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किये। यदि मुझे वह शब्द बताये जायें तो मैं उन्हें वापस ले लूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी म

†**श्री स० मो० बनर्जी** : फिर वह भी अपने रिमार्क वापस लें।

†**श्री तंगामणि** : यदि माननीय सदस्या द्वारा कहे गये शब्द भी वहां न मिलें तो वह भी उन्हें वापस ले लें।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेते हैं।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

सेना पदाधिकारी द्वारा आत्महत्या

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २६ अप्रैल, १९६१ को एक सेना पदाधिकारी ने आत्म-हत्या करने का प्रयत्न किया ;

(ख) क्या वह ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी में काम कर रहा था ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या कथित पदाधिकारी अभी भी अस्पताल में हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) २६ अप्रैल, १९६१ को दिल्ली छावनी के सैनिक अस्पताल में एक सेना पदाधिकारी दाखिल किया गया जिसकी गर्दन पर घाव था। यह अभी पता नहीं है कि यह आत्म हत्या के प्रयत्न का मामला है या नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) उन परिस्थितियों का पता नहीं है जिनमें इसको चोट लगी। मामले की जांच के लिये एक जांच न्यायालय का आदेश दे दिया गया है।

(घ) १ मई, १९६१ को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह पदाधिकारी अभी भी अहस्पताल में है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह मामला पुलिस को सौंपा गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इस समय कोई मामला नहीं है। इस व्यक्ति की गर्दन में जख्म है और वह अस्पताल में है। हमें पता नहीं है कि उसने आत्म-हत्या करने या ऐसा ही कोई कार्य करने का प्रयत्न किया है। हमने जांच न्यायालय का आदेश दे दिया है। जब तक जांच न्यायालय रिपोर्ट नहीं कर देती, कोई और कार्यवाही नहीं की जा सकती।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह पदाधिकारी, जब अस्पताल में था, बेहोश था। क्या उसे होश आ गया है और क्या उसके बाद उसने कमांडिंग अफसर को कोई वक्तव्य दिया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : १ मई, १९६१ को इस पदाधिकारी की ऐसी हालत नहीं थी कि वह इस बारे में कोई वक्तव्य दे सके कि उसको चोट कैसे आई।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस पदाधिकारी के कब्जे में कोई पत्र था और यदि हां, तो उसमें क्या लिखा था?

†श्री कृष्ण मेनन : वह जांच का विषय है।

†श्री स० मो० बनर्जी : वह पत्र भी तो जांच का भाग बनेगा? क्या अब उस बारे में पूछ भी नहीं जा सकता?

सदस्य द्वारा कही गई कुछ बातों के बारे में

†अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ ने जो शब्द इस्तेमाल किये थे, वे इस प्रकार हैं :

"जो कुछ आप मेरे बारे में सोचते हैं, मैं उसका बुरा नहीं मानता।" "मैं उसकी परवाह नहीं करता" अथवा "मैं बुरा नहीं मानता" एक ही बात है। वह कहना ठीक नहीं है। "मैं बुरा नहीं मानता"। मैंने कभी उनके बारे में कोई बात नहीं सोची। जब मैं यह कहता हूं कि मैंने कभी उनके बारे में कोई बात नहीं सोची तो मेरा तात्पर्य यह है कि मैंने कभी उनकी उपेक्षा नहीं की है। अतः मैंने केवल यह कहा कि उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल किये जिनसे कटाक्ष का भाव निकलता है और ऐसी सरकार के विरुद्ध बात कहीं गयी जो उसका उत्तर देने को यहां नहीं है और जैसा कि विधि मंत्री ने बताया, पदाधिकारियों की भी निन्दा की गयी जिन्हें वहां अपने बचाव का अधिकार नहीं है। मैं केवल माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता था कि कोई भी सदस्य किसी सरकार पर, जो यहां नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष नहीं करेंगे। माननीय सदस्य ने मेरी बात गलत समझी। उन्होंने कहा कि उसमें कोई कटाक्ष नहीं था। मैंने कहा कि किसी व्यक्ति के बारे में उसके शब्दों से अन्दाजा लगाया जा सकता है न कि उसके इरादों से। फिर उन्होंने कहा:

"जो कुछ आप मेरे बारे में सोचते हैं, मैं उसका बुरा नहीं मानता।" मैं नहीं जानता कि ऐसा कहना या यह कहना कि 'जो कुछ आप मेरे बारे में सोचते हैं, मैं उसकी परवाह नहीं करता' ठीक है। फिर उन्होंने कहा है :

"जब मैं यह कहता हूं कि यह मेरा पवित्र इरादा है, जो कुछ आप कहते हैं, वह मेरे पर व्यंग है।" उनके विरुद्ध कोई व्यंग नहीं है। यह किसी अन्य पर व्यंग है। उनका कहना है 'जब मैं कहता हूं कि यह मेरा पवित्र इरादा है'। उनका विचार यह हो सकता है कि उन्होंने व्यंग न किया हो अथवा जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किये, उसका यह मतलब न हो। परन्तु इस सभा में उचित और सुन्दर कार्यवाही, सभा की मर्यादा, और अध्यक्ष के आदर के हित में मैं उन्हें परामर्श देता हूं कि वे ऐसे शब्द प्रयोग न किया करें। यद्यपि जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह नितान्त 'परवाह' नहीं है परन्तु यह कुछ और है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी रूप में अध्यक्ष पर छींटाकसी की बात रिकार्ड में आये। मैं उन्हें राय दूंगा कि वे यह शब्द वापस ले लें।

†श्री हेम बरुआ : अध्यक्ष पर कोई कटाक्ष करने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। 'मैं बुरा नहीं मानता' ये शब्द तो प्रसंग से लिये गये हैं। अगर आप प्रसंग देखें तो आपको

---

†मूल अंग्रेजी में

पता चलेगा। कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। प्रसंग यह है। आपने मेरी नीयत पर शक किया। मुझे दुःख हुआ और उस कारण मैंने ये शब्द कह डाले। यदि आप यह समझे कि उनसे कटाक्ष होता है अथवा आपके अधिकार को अथवा अध्यक्ष के अधिकार को चेलेंज दिया जाता है तो जैसा प्रधान मंत्री जी ने कहा है, मैं इन शब्दों को वापस लेता हूं।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या वह वक्तव्य दिये बिना इसको वापस नहीं ले सकते ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या कांग्रेस दल इस सदस्य को ठीक नहीं कर सकता ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: भविष्य में यदि सामान्य नियमों का पालन किया जाये तो अच्छा होगा। यदि इस सामान्य नियम, कि जब अध्यक्ष महोदय बोल रहे हों, तो कोई सदस्य खड़ा न हो, का पालन किया जाये तो इससे संभवतः ऐसी बातें ही नहीं उठेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे यह बात मानें। अब तक मैं पृथक् पृथक् सदस्यों को संभालता रहा हूं परन्तु इस अवसर पर मैं विभिन्न दलों के नेताओं से अपील करूंगा कि वे अपने सदस्यों को इस नियम का पालन करने का परामर्श दें। इसका केवल यही उपाय है। यदि मैं यह पाऊंगा कि जब मैं बोल रहा होऊं और एक से अधिक सदस्य खड़े हो जाये अथवा कुछ सदस्य मुझे बाधा पहुंचाये तो मुझे उन सदस्यों को इस सभा से बाहर भेजने का अधिकार लागू करना पड़ेगा। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह प्रक्रिया अपनाने को कहता हूं। उन्हें बार बार यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब यह मामला समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नई कम्पनियों के निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिये आवेदन

†*१६००. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई कम्पनियों में निर्गमित अंशों से अधिक अंश खरीदने के लिये आवेदन प्राप्त होने की जानकारी है ;

(ख) क्या कुछ संस्थापक इन अंशों के लिए विभिन्न नामों से स्वयं ही आवेदन पत्र भेज देते हैं,

(ग) क्या यह सच है कि कुछ नये शेयरों का मूल्य मार्केट में बहुत अधिक है, और

(घ) सरकार इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) सरकार को पता है कि कई नये मामलों में अधिक पूंजी लगाई गई है।

(ख) इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ). वर्ष १९६० के तेजी के समय कुछ नये शेयर अधिक लाभ पर बताये गये परन्तु यह तरीका बहुत अच्छा नहीं है। नये मामलों की संख्या और राशि हाल के महीनों में काफी बढ़ी है और इससे नये शेयरों के मूल्य पर सामान्यतः स्थायी प्रभाव पड़ा।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार प्रवृत्ति की लगातार देखभाल कर रही है और कुप्रवृत्तियों को रोकने के लिये यथा-वश्यक उचित उपाय करेगी।

बिटुमन (डामर) का निर्माण

†*१६०१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हमारा देश बिटुमन (डामर) सड़क बन्धकी के मामले में अब तक कितनी आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सका है, और

(ख) बम्बई स्टेनवाक तेल शोधक कारखानों में बिटुमन का आजकल कितना उत्पादन होता है और १६६१–६२ में उसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). बर्मा-शेल और स्टैनवैक शोधन कारखानों में डामर का निर्माण होने से देश बिटुमन (डामर) सड़क बन्धकी के मामले में आत्म-निर्भर हो गया है। स्टैनवैक शोधन कारखाने में डामर का वतमान उत्पादन लगभग १,२०,००० मीटरिक टन वार्षिक है और वर्ष १६६१ के अन्त तक इसके लगभग १,२५,००० मीटरिक टन वार्षिक तक बढ़ जाने की आशा है।

मनीपुर में 'मे थे'[२] लोग

†*१६०३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक मनीपुर में 'मेथे' लोगों के उद्भव के बारे में अनुसन्धान करने का कोई कार्य हाथ में लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां।

(ख) 'मेथे' लोग पूर्वी सीमान्त से आये लगते हैं। परन्तु इसमें और अध्ययन की आवश्यकता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में तेल शोधन क्षमता में वृद्धि

†*१६०६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गैर-सरकारी क्षेत्र में तेल शोधन क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति दी जाये अथवा न दी जाये;

(ख) क्या इस बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Bitvmen Road Binder.

[२]Meitis.

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ) वर्तमान करारों को देखते हुए विस्तार कार्य नहीं किया जायेगा।

वित्त मंत्रालय के संगठन तथा रीति विभाग का कार्य

*१६१२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय की १९६०–६१ की रिपोर्ट के पृष्ठ १७ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में व्यय विभाग के संगठन तथा रीति विभाग (आर्गेनाइजेशन एण्ड मैथड डिवीजन) ने कितने अध्ययन प्रसंग तैयार किये तथा परिचालित किये;

(ख) उन पर कहां तक चर्चा की जा चुकी है और उसका क्या फल निकला;

(ग) इन अध्ययन प्रसंगों पर चर्चा करने से प्रशासन सम्बन्धी समस्याओं पर सामूहिक चिन्तन और विचार-विनिमय में कहां तक प्रोत्साहन और सहायता मिली है; और

(घ) क्या संगठन तथा रीति विभाग की गतिविधियों और उसके अब तक के कार्य तथा अध्ययन के विषयों का व्योरा टेबल पर रखा जायेगा ?

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): (क) सात ;

(ख) और (ग). मामलों की छानबीन के बारे में विचार करने के लिए अब तक २२ बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में विभिन्न स्तरों के २३५ अफसरों ने भाग लिया। मुझे मालूम हुआ है कि इन बैठकों को आमतौर से पसन्द किया गया है और मान लिया गया है कि ये दिलचस्प और जानकारी बढ़ाने वाली होती हैं और प्रशासनिक कामों को निबटाने में जो भूलचूक और गलतियां होती हैं उन्हें बताकर ये अच्छे प्रशासन का मार्ग दिखलाती हैं।

(घ) संगठन और प्रणाली एकक के कार्यों का विवरण वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है और माननीय सदस्य ने उसी का जिक्र किया है। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है।

बमवर्षक जेट विमान

†*१६१३. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी प्रविधिक सहायता से जैसे नई किस्म के बमबर्षक जेट विमान बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो यह सहायता किस देश से प्राप्त हो रही है ; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†मूल अंग्रेजी में

क्यूबा पर हुए आक्रमण के विरुद्ध दिल्ली में विरोध प्रदर्शन

†*१९१६. **श्री तंगामणि** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यूबा पर हुए आक्रमण के विरोध में २१ अप्रैल, १९६१ को दिल्ली में अमरीकी राजदूतावास के सामने एक प्रदर्शन हुआ था ;

(ख) क्या प्रदर्शन कारियों को राजदूतावास से १०० गज के फासले पर रोक लिया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया था जिससे बहुत से व्यक्ति घायल हो गये थे, जिनमें दिल्ली के कुछ कम्युनिस्ट नेता भी थे ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि जलूस में जो झंडे थे उन पर केवल यही लिखा था "क्यूबा के मामले में दखल न दो"[1] ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ । परन्तु जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के घेरे को तोड़ दिया तो पुलिस को दूतावास की इमारत में उनको घुसने से रोकने के लिये दखल देना पड़ा ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) प्रदर्शनकारी झंडे ले रहे थे जिन पर यह लिखा था :

"क्यूबा के मामले में दखल न दो "

"यान्की सामन्तशाही समाप्त करो "

केरल के बैंकों का विलय

†*१९१६-क. **श्री कोडियान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के बैंकों का, जिन्हें ऋण चुकाने की कानूनी मोहलत दी गयी है, विलय करने का विचार छोड़ दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन बैंकों के भावी क्रियाकलाप के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). बैंकों को एक यूनिट में विलय करने का प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं समझा गया और इसलिये इस पर आगे जोर नहीं दिया गया।

(ग) इन बैंकों को पृथक रूप से अन्य बैंकों के साथ विलय करने की योजना को बैंकिग समवाय अधिनियम की धारा ४५(४) के अधीन प्रकाशित किया जा चुका है और यह आशा की जाती है कि ये योजनायें, जून, १९६१ के मध्य तक लागू कर दी जावेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]"Hands off Cuba"

आयल इंडिया लिमिटेड

†*१६१७. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ७ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, जो बर्मा/आसाम आयल कम्पनियों तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्योग है, मार्केट में २५ करोड़ रुपये के ऋण-पत्र जारी करने की योजना को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेज मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पटियाला में चलते फिरते बैंक का बन्द किया जाना

†*१६१८. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ पटियाला द्वारा, जिसकी मालिक सरकार है, १० वर्ष पहले पटियाला में जो चलता फिरता बैंक चालू किया गया था, उसे बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां ।

(ख) चलता फिरता बैंक इसके चालू होने के समय से ही हानि पर चल रहा है ।

सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन

†*१६१९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन ने अपने चौथे अधिवेशन में प्रधान मंत्री की उस प्रस्थापना को, जो उन्होंने एक पृथक पहाड़ी राज्य की उनकी मांग के विकल्प के रूप में दी थी, मानने में अपनी असमर्थता प्रकट की है और अपनी मूल मांग को दुहराया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

582 (Ai) LS—3.

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) इस निर्णय पर पहुंचने के सम्बन्ध में पर्वतीय स्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा बताये गये औचित्य को ध्यान में रख कर इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा

*१९२०. श्री भक्त दर्शन : क्या शिक्षा मंत्री २३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति को तेज करने के लिये किस प्रकार का कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) उस पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय होने का अनुमान है ;

(ग) उस खर्चे का कितना अंश केन्द्रीय सरकार वहन करेगी ; और

(घ) उस कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति कहां तक तेज हो जाने की आशा की जाती है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६४]

(ग) अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(घ) प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने योग्य बच्चों में से जितनों ने विभिन्न वर्षों में स्कूलों में दाखिला लिया है उनकी प्रतिशत संख्या नीचे बताई जा रही है । इसकी तुलना करने से मालूम होगा कि इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ।

वर्ष	६ से ११ वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में से प्राथमिक कक्षाओं में दाखिला लेने वाले बच्चों की प्रतिशत संख्या
१९५५–५६	३३ ·५ प्रतिशत
१९६०–६१ (अनुमानित)	४५.१ प्रतिशत
१९६५–६६ (लक्ष्य)	६८.६ प्रतिशत

कांगो में भारतीय सैनिकों में क्षयरोग

†*१९२१. { श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगो में भेजे गये कुछ गुरखा सैनिकों में क्षय-रोग के कुछ चिह्न मिले हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इन सैनिकों के भारत से प्रस्थान करने के पूर्व इनका एक्सरे नहीं लिया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कांगो में भारतीय सैनिकों के बीच क्षयरोग को फैलने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) संयुक्त राष्ट्र सेना के अधीन सेवा के लिये कांगो भेजे गये भारतीय सैनिकों में से क्षय रोग के केवल एक सैनिक का पता चला है ।

(ख) और (ग). आवश्यक समझे जाने वाले मामलों में एक्सरे परीक्षण किये गये और प्रत्येक मामले का पूर्व इतिहास देखा गया ।

(घ) सामान्य प्रक्रिया के अनुसार क्षयरोग से पीड़ित सैनिक को पृथक किया गया है और अस्पताल भेज दिया गया है ।

भुवनेश्वर (उड़ीसा) में जल संभरण

†*१९२२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उड़ीसा की राजधानी भुनवेश्वर में पिछले कुछ दिनों में पीने के पानी की भीषण कमी की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) उड़ीसा की राजधानी में पीने के पानी का संभरण करने के लिए क्या तात्कालिक कदम उठाये गए हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं । परन्तु उड़ीसा सरकार से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि इस समय भुवनेश्वर कस्बे के कुछ उच्च-स्तरीय जोनों में विशेषतः गर्मी के महीनों में पानी की कमी है ।

(ख) कस्बे भर में उचित रूप से वितरण के ख्याल से कुछ जिलों में पानी के संभरण को नियंत्रित रखना है । अधिक कठिनाई अनुभव करने वाले स्थानों में पानी एक गाड़ी द्वारा संभरित किया जा रहा है जिसमें ८०० गैलन पानी का टैंक स्थायी रूप से लगा हुआ है । १००० गैलन पानी ले जाने वाले एक ट्रेलर के साथ एक अन्य गाड़ी भी प्रयोग में लाई जा रही है। ये गाड़ियां पांच घंटों के समय में १० से १२ ट्रिप लगाती हैं ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये जापान की सहायता

†*१९२३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में जापान से कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त होने की संभावना है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये जापान सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता की रकम के बारे में इस समय कुछ नहीं बताया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित बैंकों द्वारा चीनी के कारखानों को ऋण

†*१९२४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि अनुसूचित बैंकों को चीनी के कारखानों को माल के बदले दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि करने की अनुमति दे दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). २१ अप्रैल, १९६१ से चीनी के भंडार पर अनुसूचित बैंकों द्वारा अन्तिम राशि देने पर भारत के रक्षित बैंक द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध हटा दिये गये हैं।

चीनियों द्वारा भारतीय वायु-क्षेत्र का अतिक्रमण

†१९२५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३ और १५ मार्च १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८७ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के विरोध-पत्रों और भारतीय वायु सेना की सतर्कता के बावजूद भी इस बीच कतिपय स्थानों पर चीनी वायुयानों ने भारतीय वायु-क्षेत्र का अतिक्रमण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन अतिक्रमणों सम्बन्धी एक विवरण टेबल पर रखा जायेगा ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार के अतिक्रमणों की रोक-थाम के लिये कौन से ठोस व सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी हां, । हमारी यही धारणा है ।

(ख) १७ मार्च, १९६१ को भारतीय सीमा का एक बार अतिक्रमण हुआ था।

(ग) विदेशी हवाई जहाजों द्वारा अपने क्षेत्रों में अतिक्रमणों की रोक थाम के लिये सरकार सभी मुमकिन यत्न कर रही है । यह तो मानना पड़ेगा, कि इन यत्नों के विस्तार प्रगट करना, राष्ट्र की सुरक्षा के हित में नहीं है ।

पंजाब में सम्पदा शुल्क

†४४६६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ में पंजाब में सम्पदा-शुल्क के तौर पर कुल कितनी रकम एकत्र की गयी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : ९,६०,४१२ रुपये ।

पंजाब में राजस्व संग्रह

†४४६७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने पंजाब राज्य में वर्ष १९६०–६१ के दौरान करों और अन्य राजस्व उपायों के जरिये कितनी रकम एकत्र की ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : वर्ष १९६०–६१ में पंजाब राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में १९,९९,१२,२०० रुपये (अस्थायी आंकड़े) एकत्र किये गये। रेलवे यात्री किराया कर की वसूली की जानकारी ३१ जनवरी, १९६१ तक की है और उसको इस में शामिल कर लिया गया है।

दिल्ली में प्रौढ़ शिक्षा के लिये स्कूल

†४४६८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में वर्ष १९६१–६२ में प्रौढ़ शिक्षा के लिये खोले जाने वाले स्कूलों की संख्या और ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: वर्ष १९६१–६२ में प्रौढ़ शिक्षा के लिये ५ स्कूल खोले जायेंगे। ये स्कूल सायंकाल में चलेंगे और प्रायमरी से हायर सेकेन्डरी तक नियमित कक्षायें लगेंगी। इन में दिल्ली बोर्ड की हाई स्कूल, हायर सेकेन्डरी, रत्न, भूषण, और प्रभाकर परीक्षाओं में प्रायवेट तौर पर बैठने वाले प्रौढ़ों के लिये कक्षायें भी लगेंगी।

पंजाब में करों की बकाया

†४४६९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में मिल-मालिकों से आय कर, धन-कर, और उपहार कर के रूप में बकाया रकम वसूल की गयी है !

(ख) यदि नहीं तो १ अप्रैल, १९६१ को उन के विरुद्ध कितनी रकम बकाया है, और

(ग) ३१ मार्च, १९६१ तक कितनी रकम वसूल की गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ?

उड़ीसा के कालिजों के होस्टलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थी

†४४७०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा में कालिजों के होस्टलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को रखने के बारे में अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ;

(ख) क्या इस बारे में उड़ीसा सरकार ने कोई प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या पग उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा सरकार से लिया गया ऋण

†४४७१. **श्री कुम्भार :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के मंत्रियों, अध्यक्ष और विधान सभा सदस्यों ने अपने इस्तेमाल के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा राज्य की सरकार से ऋण लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने पृथक पृथक किस प्रकार का ऋण लिया ; और

(ग) उस के भुगतान का क्या स्वरूप है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). उडीसा सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

टैगोर जन्म शताब्दी समारोह

†४४७२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैगोर जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर उर्दू भाषा में अनुवाद के लिये टैगोर की कौन सी कृतियां चुनी गयी हैं ; और

(ख) उन लेखकों के क्या नाम हैं जिन को साहित्य अकादमी ने अनुवाद-कार्य दिया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). साहित्य अकादमी ने रवीन्द्रनाथ टैगोर की जन्म शताब्दी के अवसर पर टैगोर की निम्नलिखित रचनाओं को उर्दू में अनुवाद करने और प्रकाशित करने के लिये चुना है। अनुवाद अनुवादकों के नाम पुस्तक के नाम के साथ दिये गये हैं।

१. **एकोत्तरशती** (टैगोर की १०१ कवितायें) —श्री आर० एस० फारिक।

२. **एकविंशति** (टैगोर की २१ लघु कथायें)—अबुल हयात बर्दवानी।

३. **टैगोर के तीन नाटक** (राजा, डाकघर और रक्ता कारबी)—प्रो० एम० मुजीब।

४. **गोरा** (उपन्यास)—श्री एस० सज्जद जहीर।

५. **चोखर बाली** (उपन्यास) —श्री एस० आविद हुसैन ।

६. **जोगाजोग** (उपन्यास) —श्री एस० ए० आर० काजमी 'राजा' मझारी ।

पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिये होस्टल की इमारत

†४४७३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में आवास योजनाओं के लिये पंजाब को आवंटित धन राशि में से अनुसूचित जातियों के लिये होस्टल की इमारत बनाने के लिये कोई धन राशि खर्च की गयी है ; और

(ख) इस वर्ष कितनी होस्टल इमारतें बनाकर तैयार की गयीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) और (ख). राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी मांगी गयी है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को होस्टल के लिये अनुदान

†४४७४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष १९६०–६१ में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को होस्टलों के निर्माण के लिये कुल कितनी धनराशि का ऋण अथवा अनुदान दिया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : वर्तमान होस्टलों के सुधार और पूरा करने के लिये, ३,२४,६६९.१७ रुपये का अनुदान। कोई ऋण नहीं दिया गया।

दिल्ली में अविवाहित लड़कियों का अपहरण

†४४७५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ दिसम्बर, १९६० को ३० अप्रैल, १९६१ की अवधि में वर्ष १९५९–६० में इसी अवधि की तुलना में दिल्ली में अविवाहित लड़कियों के अपहरण के कितने मामलों की रिपोर्ट की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : १–१२–१९६० से ३०–४–१९६१ तक की अवधि में वर्ष १९५९–६० में इसी अवधि में २३ मामलों के विरूद्ध अविवाहित लड़कियों के अपहरण के २९ मामलों की रिपोर्ट की गयी।

औषधीय जड़ी बूटियों का सर्वेक्षण

†४४७६. **श्री नारायणस्वामी** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की भारत में औषधीय जड़ी-बूटियों के सर्वेक्षण की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब दक्षिण भारत में प्रचलित सिद्ध वैद्य पद्धति के अनुसार औषधीय पौधों, लताओं और जड़ आदि का सर्वेक्षण किया जायेगा ; और

(ग) मद्रास राज्य में कितने जड़ी बूटी उद्यान लगाये जायगे ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) भारत का वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग देश की औषधीय जड़ी बूटियों का विभिन्न प्रकार के पुष्पों के सामान्य समन्वेषण के भाग के रूप में सर्वेक्षण करता है, परन्तु केवल औषधीय जड़ी बूटियों के सर्वेक्षण की कोई पृथक योजना नहीं है।

(ख) जी, नहीं। इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ग) मद्रास राज्य में भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग का एक प्रादेशिक जड़ी बूटी उद्यान है जो कोयम्बटूर में स्थित है, जहां औषधीय पौधों के एक पृथक जड़ी बूटी उद्यान का विकास किया गया है। उस राज्य में कोई नया जड़ी बूटी उद्यान लगाने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

†४४७७. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजनाओं के अधीन वर्ष १६६०–६१ और १६६१–६२ में अन्य पिछड़े वर्गों के कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गयीं ; और

(ख) इस छात्रवृत्ति के लिये कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६५]

आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जाति के छात्रों को छात्रवृतियां

†४४७८. श्री इ० मधुसूधन राव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजनाओं के अधीन वर्ष १६६०–६१ और १६६१–६२ में आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी गयीं ; और

(ख) इस छात्रवृत्ति के लिये कितने छात्रों ने आवेदन दिया ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ठ ६ अनुबन्ध संख्या ६६]

वर्ष १६६०–६१ में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया माल

†४४७६. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १६६०–६१ में विभिन्न बन्दरगाहों और हवाई अड्डों पर सीमा-शुल्क के अधिकारियों द्वारा पकड़े गये सोने और अन्य कीमती सामान का कुल क्या मूल्य है ;

(ख) तस्कर व्यापार के लिये कितने व्यक्ति पकड़े गये ; और

(ग) उनमें कितने विदेशी हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) १ अप्रैल, १६६० से ३१ मार्च, १६६१ तक की अवधि में विभिन्न बन्दरगाहों और हवाई अड्डों पर सीमा-शुल्क, भूमि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा लगभग २.१३ करोड़ रुपये मूल्य का सोना और अन्य कीमती सामान पकड़ा गया ।

(ख) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा ।

इनामी बांडों की लाटरी

†४४८०. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १६६०–६१ में प्रत्येक राज्य में १०० रुपये के और ५ रुपये के इनामी बांडों की बिक्री से कुल कितनी रकम प्राप्त हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : वर्ष १९६०–६१ में प्रत्येक राज्य में इनामी बांडों की बिक्री निम्न प्रकार हुई :

राज्य	(हजार रुपयों में)
१. आंध्र प्रदेश	४०,२९
२. आसाम	१९,३५
३. बिहार	५०,१०
४. बम्बई	१,९२,४५*
५. दिल्ली	९८,७०
६. गुजरात	४५,३७†
७. हिमाचल प्रदेश	१,५२
८. जम्मू तथा काश्मीर	४,४७
९. केरल	३९,३३
१०. मद्रास	३,५८,००
११. मध्य प्रदेश	५१,५२
१२. महाराष्ट्र	१,६९,६६†
१३. मनीपुर	३३
१४. मैसूर	५४,७३
१५. उड़ीसा	१०,५८
१६. पंजाब	६९,५३
१७. राजस्थान	३६,९०
१८. त्रिपुरा	६९
१९. उत्तर प्रदेश	१,३२,६७
२०. पश्चिम बंगाल	१,४१,७५
कुल	१५,१७,९४

*अप्रैल, १९६० के लिये।
†मई, १९६० से।

आन्ध्र प्रदेश में विश्वविद्यालयों को अनुदान

†४४८१. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में आंध्र प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों को (विश्वविद्यालयों के नाम और दी गयी धनराशि समेत) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितना अनुदान दिया और दिया जायेगा ; और

(ख) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन विश्वविद्यालयों में प्रत्येक में विद्यार्थियों को अनुसंधान के लिये कितनी छात्रवृत्तियां दी गयी हैं और दी जावेंगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) दिया गया अनुदान :

(१९६०-६१)	रुपये
आंध्र विश्वविद्यालय	२६,६६,२१५.६७
उस्मानिया विश्वविद्यालय	२७,३५,०४८.८०
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय . . .	१०,०३,७७७.२२

(१९६१-६२)

अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

दिया जाने वाला अनुदान

इस समय इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(ख) अनुसंधान के लिये दी गयी छात्रवृत्तियां

	१९६०–६१	१९६१–६२ (आज तक)
आंध्र वि वविद्यालय	१३	४
उस्मानिया विश्वविद्यालय .	८	—
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय . . .	६	—

अनुसंधान के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्तियां

इस समय इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

आन्ध्र प्रदेश में विज्ञान मन्दिर

†४४८२. **श्री इ० मधुसूदन राव : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०–६१ में आन्ध्र प्रदेश में आरम्भ किये गये विज्ञान मन्दिर पूरे हो गये हैं;

(ख) क्या राज्य में वर्ष १९६१–६२ में कुछ नये विज्ञान मन्दिर आरम्भ किये जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो उनके लिये स्थानों के क्या नाम हैं?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) वर्ष १९६०–६१ में आन्ध्र प्रदेश में कोई विज्ञान मन्दिर स्थापित नहीं किया गया।

(ख) और (ग). विज्ञान मन्दिरों के स्थान राज्य सरकारों के परामर्श से निश्चित किये जाते हैं। वर्ष १९६१–६२ में अब तक आन्ध्र प्रदेश में कोडूर (जिला कडप्पा) में एक विज्ञान मन्दिर स्थापित किया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

रीजनल इंजीनियरिंग कालिज, वारंगल के लिये इमारत

†४४८३. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में वारंगल में रीजनल इंजीनियरिंग कालिज की इमारत और होस्टल के निर्माण के बारे में अब तक क्या प्रगति की गयी है;

(ख) निर्माण-कार्य पर अब तक कुल कितना धन खर्च किया जा चुका है और कितना खर्च किया जाना बाकी है; और

(ग) क्या निर्माण-कार्य के निर्धारित समय के भीतर पूरा होने की आशा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) और (ख). दो होस्टल ब्लाकों और एक भोजन कक्ष, एक कर्मशाला यूनिट और एक इंजीनियरिंग प्रयोगशाला यूनिट पर निर्माण-कार्य जारी हैं और उनके अगले ३-४ महीनों में पूरा होने की आशा है। न इमारतों पर अब तक ७.८६ लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं और उनके पूरा करने पर अभी ७.६८ लाख रुपये और खर्च किये जाने की आशा है।

(ग) समूचा निर्माण कार्यक्रम तीन प्रावस्थाओं में किया जा रहा है और यदि आवश्यक इमारती सामान मिलता रहा तो यह निर्धारित समय के अनुसार पूरा हो जायेगा।

आन्ध्र प्रदेश को इस्पात का आवंटन

†४४८४. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में आन्ध्र प्रदेश सरकार को इसकी परियोनाओं के निर्माण के लिये इस्पात का कुल कितना आवंटन किया गया है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के पृथक पृथक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या इसको इस्पात का संभरण न होने के कारण क्या किसी परियोजना पर आघात पहुंचा है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) भारत सरकार किसी राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिये पृथक आवंटन नहीं करती। राज्य सरकार को एक कोटा दिया जाता है जो अपनी परियोजनाओं समेत विभिन्न उपभोक्ताओं को, उनकी प्राथमिकता के अनुसार, आवंटन करती हैं। वर्ष १९६०-६१ में और वर्ष १९६१-६२ की प्रथम छमाही में आन्ध्र प्रदेश सरकार को चादरों (१४ गज से पतली) और तारों के बारे में ४२९९ टन और ४६५० टन का इस्पात के कोटे का आवंटन किया गया। अन्य प्रकार के इस्पात का पूरी मात्रा में संभरण किया गया।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तथापि, नागार्जुन सागर परियोजना को इस्पात के संभरण के बारे में कठिनाई को सरकार के ध्यान में लाया गया है और इस परियोजना के लिये अपेक्षित इस्पात के संभरण की व्यवस्था की गयी है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आन्ध्र प्रदेश में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†४४८५. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में अब तक आन्ध्र प्रदेश में जिन स्थानों का भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया, उनके क्या नाम हैं; और

(ख) सर्वेक्षण दल की क्या उपपत्तियां हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) वर्ष १९६०–६१ में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा श्रीकाकुलम्, विशाखापटनम, पूर्व और पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, गुन्टूर, कुरनूल, कडप्पा, चित्तोड़, नेल्लोर, खम्माम, वारंगल, करीमनगर और हैदराबाद जिलों के कुछ भागों में भूतत्वीय सर्वेक्षण किये गये। वर्ष १९६१–६२ के लिये भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यक्रम १ अप्रैल, १९६१ से आरम्भ हुआ है और भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के पदाधिकारी क्षेत्र में हैं। पूर्व गोदावरी, नेल्लोर, वारंगल, श्रीकाकुलम्, विशाखापट्नम, कडप्पा, कुरनूल, गुन्टूर, अनन्तपुर, महबूबनगर, कृष्णा और पश्चिम गोदावरी के जिलों के कुछ भागों में भूतत्वीय सर्वेक्षण करने की प्रस्थापना है।

(ख) वर्ष १९६०–६१ में किये गये सर्वेक्षण की उपपत्तियों के, एकत्र किये गये नमूनों के सम्बन्ध में विश्लेषणात्मक, शिला सम्बन्धी और अन्य आवश्यक जांच किये जाने के पश्चात् सितम्बर, १९६१ तक उपलब्ध होने की संभावना है। इनका संक्षिप्त सार वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल किया जायेगा जिसकी प्रतियां, भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के रिकार्डों के रूप में प्रकाशित होने के बाद, निश्चित रूप से संसद् पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

आन्ध्र प्रदेश में स्मारक

†४४८६. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में से प्रत्येक के संधारण के लिये कितना आवंटन किया गया है;

(ख) नागार्जुन सागर स्थान के स्मारकों को बनाने में अब तक क्या प्रगति की गयी है; और

(ग) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में उपरोक्त भाग (ख) के बारे में किये गये और किये जाने वाले खर्च का क्या व्यौरा है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) यह जानकारी प्राप्त करने में जो श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। तथा वर्ष १९६१–६२ में १,२३,००० रुपये की अपेक्षा वर्ष १९६०–६१ में १,३२,००० रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(ख) सभी स्वीकृत स्मारकों के बड़े पैमाने के नमूनों की तैयारी समेत पुनर्निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। संग्रहालय की इमारत बन रही है।

(ग) वर्ष १९६०–६१—३१–१–६१ तक १,१०,६६० रुपये

वर्ष १९६१–६२—२,००,००० रुपये (आयव्ययक उपबन्ध)

आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी

†४४८७. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार ने वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या पग उठाये हैं; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इस कार्य के लिये खर्च किये गये और किये जाने वाली रकम का क्या ब्यौरा है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). वर्ष १९६०–६१ में राज्य सरकार को निम्नलिखित कार्यों के लिये अनुदान दिये गये :

१. राज्य में हाई और हायर सेकेन्डरी स्कूलों में हिन्दी अध्यापक नियुक्त करना (८२,०५४ रुपये)

२. गवर्नमेंट बेसिक ट्रेनिंग स्कूल, खैरताबाद, हैदराबाद में ४० विद्यार्थियों के लिये हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चालू करना (१५,०२० रुपये) (वर्ष १९५९–६० में मंजूर किया गया यह अनुदान इस्तेमाल नहीं किया गया था और उसे वर्ष १९६०–६१ में खर्च करने की अनुमति दे दी गयी थी। भारत सरकार शत प्रतिशत खर्चा करती है)

३. हिन्दी के प्रचार के लिये राज्य सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करना (इसके लिये कोई पृथक आंकड़े नहीं दिये जा सकते क्योंकि पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन योजनाओं के अनुसार अनुदान मंजूर नहीं किये जाते।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की आन्ध्र प्रदेश शाखा को इमारत बनाने के लिये ३०,००० रुपये के कुल स्वीकृत अनुदान में से प्रथम किश्त के तौर पर १०,००० रुपये दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष १९६१–६२ में खर्च की जाने वाली रकम के बारे में जानकारी केवल वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद ही दी जा सकती है।

आन्ध्र प्रदेश में खेलों के लिये अनुदान

†४४८८. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में खेलों का स्तर उठाने के लिये आंध्र-प्रदेश को कुछ अनुदान दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) किन संस्थाओं को?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां श्रीमान्।

(ख) ३३३७५० रुपये।

(ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६७]**

आन्ध्र प्रदेश में स्कूलों और कालेजों में खेलों के मैदानों के लिये अनुदान

†४४८९. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या १९६०–६१ में स्कूलों और कालेजों में खेलों के मैदानों का प्रबंध करने के लिये आंध्र प्रदेश को केन्द्रीय सरकार ने कुछ राशि मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो किन स्कूलों और कालिजों को इससे लाभ हुआ है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां श्रीमान्। राज्य सरकार को १,०७,००० रुपये का अनुदान मंजूर किया गया था।

(ख) राज्य सरकार अर्हं संस्थाओं से प्रार्थनाएं न आने के कारण अनुदान का उपयोग नहीं कर सकी।

उत्तर प्रदेश में कोयले का कम संभरण

†४४९०. **राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को उनकी अत्याधिक आवश्यकता के लिये कोयला नहीं मिल रहा है ,

(ख) किन जिलों को मिल रहा है और किन को नहीं; और

(ग) १९६० तक तथा १९६१ में अब तक मथुरा को कोयले के संभरण की क्या स्थिति रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). कोयला नियंत्रक के दफ्तर में, कोयले के अभ्यंश और संभरण संबंधी आंकड़े राज्यवार रखे जाते हैं जिलावार नहीं । कोयल का सम्भरण जिला के आधार पर नहीं अपितु उद्योगवार प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। किसी जिले को कितना कोयला मिलता है, यह कोयला उपेक्षाकृत उद्योगों की संख्या पर निर्भर करता है और उन की क्या प्राथमिकता होती है। सामान्यतया ये प्रयत्न किये जाते हैं कि उद्योगों संबंधी कम से कम आवश्यकता यथा संभव पूरी की जाए।

(ग) उत्तर प्रदेश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मथुरा को अप्रैल, १९६० से मार्च, १९६१ तक की अवधि में विभिन्न प्राथमिकताओं के कोयले की ६४७ गाड़ियों का कुल अभ्यंश था। उन में से वास्तव में २२८ गाड़ियां दी गईं ।

लुडलो कैसल, दिल्ली, के पास स्कूल कैम्पस

†४४६१. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :

क्या शिक्षा मंत्री ७ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लडलो कैसल दिल्ली के समीप एक स्कूल कैम्पस स्थापित करने के बारे में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) भूमि अधिग्रहण कार्यवाही अभी चल रही है।

सेना अधिनियम

†४४६२. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेना अधिनियम में संशोधन करने के बारे में कोई फैसला कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) नहीं श्रीमान्। सेना अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

फिरोजाबाद में आयकर निर्धारण

†४४६३. श्री ब्रजराज सिंह : क्या वित्त मंत्री यह दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में वर्षवार फीरोजाबाद में आयकर का कितना अनुमान लगाया गया है ;

(ख) इन वर्षों में वर्षवार कितनी वसूली की गई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन वर्षों में वर्षवार कितनी राशि बकाया थी, और

(घ) अब तक कितनी राशि बकाया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (घ). आवश्यक जानकारी वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

	हजार रुपयों में		
	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१
(क) फीरोजाबाद में आयकर का अनुमान	८५६	२०८७	१४९९
(ख) की गई वसूली .	७१६	१४५६	१४५२
(ग) बकाया राशि .	९७५	९७९	१५४१
(घ) ३१ मार्च, १९६१ तक बकाया राशि	—	—	१५८८

विदेशों में सिंचाई की शिक्षा

४४९४. **श्री पद्म देव**: क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजकल विदेशों में कितने भारतीय विद्यार्थी सिंचाई की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : भारत सरकार द्वारा प्रशासित छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन कोई विद्यार्थी अध्ययन नहीं कर रहा है ।

लोहे और इस्पात का आयात

४४९५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री**: क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११९७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी पार्टी ने चार्टर किये हुए जहाज द्वारा जहाज भर कर लोहे और इस्पात के सामान का आयात किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस आयात के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया था किन्तु बाद में उसे नियमित कर दिया गया ;

(ग) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के अन्तर्गत इसे नियमित किया गया,

(घ) ६२,००० टन इस्पात के इस आयात के बदले में इस देश से उतना ही निर्यात न करने वाले लोगों के नाम क्या हैं और उन के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है; और

(ङ) क्या कोई सरकारी अधिकारी भी इस मामले में सम्मिलित है और यदि हां, तो अब तक उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य कौन से विशेष ६२,००० टन का जिक्र कर रहे हैं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

†४४९६. **श्री पांगरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने के लिये कितने लोगों पर अभियोग चलाया गया है; और

(ख) कितने लोगों के विरुद्ध दर्ज किए गये मामले वापिस लिये गये ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ३४ लोगों के विरुद्ध १ जनवरी, १९६१ से ३१ मार्च, १९६१ तक के तीन महीनों में विदेशी मुद्राविनियमों का उल्लंघन करने के लिये न्यायालयों में शिकायते दर्ज की गई हैं । एक व्यक्ति जिसे सोना पकड़ने के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, उसे साक्ष्य न मिलने के कारण दंडाधीश ने रिहा कर दिया ।

(ख) कोई नहीं ।

दूसरी लौटरी में इनाम वाले बांड

†४४९७. **श्री पांगरकर** :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री कुन्हन :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ दिसम्बर, १९६० को दूसरी त्रैमासिक लौटरी में कितने पारितोषिक जीतने वाले बांड थे ;

(ख) पारितोषिक देने के लिये कितने पारितोषिक जीतने वाले बांड पेश किये गये थे ;

(ग) रिजर्व बैंक ने कितने पारितोषिक विजेता बांडों का भुगतान कर दिया है;

(घ) कितने बांडों का भुगतान नहीं मांगा गया, और

(ङ) सरकार ने इन के नम्बरों का प्रचार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ताकि बांड वाले लोग पारितोषक ले सकें ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :(क) ५३२६, जिन में ३०९२ जनता ने जीते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) २०६१
(ग) २०२१ } १३ अप्रैल, १९६१ तक
(घ) १०३१

(ङ) जिन पारितोषिक की मांग नहीं की गई उनका विज्ञापन तथा प्रकाशन रिजर्व बैंक द्वारा त्रैमासिक निकाल के परिणामों की सूचियों के भाग के रूप में किया जाता है, जो पारितोषिक बांड बेचने वाले सब दफ्तरों में लगाये जाते हैं और पांच नये पैसे में भी बेचे जाते हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

४४६२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में एक तिहाई न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के बाहर से करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी कार्यान्विति कब तक होगी ; और

(ग) क्या सरकार अन्य सेवाओं के बारे में भी ऐसा ही योजनायें बनाने जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख) : लोक सभा में २ मार्च, १९६१ को प्रश्न संख्या ८५७ के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखें।

(ग) भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिये प्रत्येक राज्य के कैडर (पदालि) में उम्मेदवारों को बांटते समय भारत सरकार पहले से ही इन सेवाओं में राज्य से बाहर के कम से कम ५० प्रतिशत नए अधिकारियों के लिये जाने के सिद्धान्त पर कार्य कर रही है।

पंजाब में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये अनुदान

†४४९९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंच वर्षीय योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिये पंजाब सरकार और पंजाब विश्वविद्यालय को कितना अनुदान दिया गया ;

(ख) क्या पंजाब में उच्च वैज्ञानिक शिक्षा के सामान्य विकास के लिये कोई अनुदान दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) २,५६,०५० रुपये १५ नये पैसे।

(ख) जी, हां।

(ग) ४४,९२,४४६ रुपये।

मदुरै में जैन स्मारक

†४५००. **श्री गुलाम मुहीउद्दीन** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै में केन्द्र द्वारा रक्षित जैन स्मारकों की देख भाल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) कोई निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय सीमा के साथ प्रतिरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा

†४५०१. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक 'अध्ययन दल' को भारतीय सीमा के साथ प्रतिरक्षा प्रबन्धों की व्यापक समीक्षा का काम सौंपा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कब तक अपना प्रतिवेदन पेश करेंगे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). समय समय पर एक विशिष्ठ या सामान्य दृष्टिकोण से प्रतिरक्षा प्रबन्ध किये जा रहे हैं। अतः एक अध्ययन दल के बारे में कोई असामान्य बात नहीं, जो इस समय प्रतिरक्षा प्रबन्धों और समस्याओं का परीक्षण और समीक्षा करने में लगा हुआ है।

ऐसे प्रतिवेदनों की कोई अवधि सीमा नहीं होती। कोई भी संगत सूचना हो या निष्कर्ष या सिफारिश हो उस पर विचार किया जाता है और जहां ठीक हो उपयोग किया जाता है, ऐसे अध्ययन जारी हैं।

सोने का तस्कर व्यापार

†४५०२. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के सप्ताहों में अमृतसर में चोरी छिपे माल लाने ले जाने वाले पुनः तेज हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इनकी गतिविधियों को दबाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) सरकार को यह मानने का कोई कारण नहीं है कि सोने के तस्कर व्यापारी हाल के सप्ताहों में अमृतसर में तेज हो गये हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

४५०३. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९६२ के ग्राम चुनाव के लिये जो एक-सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र विभक्त करने का कार्य पास किये गये विधेयक के अनुसार किया जा रहा है उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस संबंध में किन किन राज्यों ने भारत सरकार के पास सुझाव भेजे हैं ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों के सुझाव प्राप्त होने के बाद राजनीतिक दलों द्वारा दिये गये सुझावों पर भी विचार किया जायेगा और उन्हें स्वीकार किया जायेगा ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) इस आशय का एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६८]**

(ख) निर्वाचन आयोग ने अपने सुझाव तैयार करने के लिये जो जानकारी मांगी है, वह (उत्तर प्रदेश के सिवाय) सभी राज्यों से और (हिमाचल प्रदेश के सिवाय) सभी संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त हो गई है ।

(ग) दो सदस्य निर्वाचन क्षेत्र (उत्सादन) अधिनियम, १९६१ की धारा ४ के अधीन जो सुझाव राजनैतिक दलों ने दिये हैं, निर्वाचन आयोग उन पर उचित रूप से विचार करेगा । आयोग के सुझावों पर जिस व्यक्ति ने भी कोई आपत्ति उठाई या सुझाव दिया है ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे समय और स्थान पर चुने जाने का अवसर दिया जायेगा जो समय और स्थान आयोग ने सार्वजनिक बैठक होने के काफी समय पहले अधिसूचित कर दिया हो ।

मनीपुर नृत्य कालेज और होस्टल की इमारत

†४५०४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर नृत्य कालेज और होस्टल की इमारत का निर्माण पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह इस वर्ष वर्षा ऋतु से पहले पूरा हो जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) नहीं श्रीमान्

(ख) संभावना है कि यह सितम्बर, १९६१ के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

मनीपुरी भाषा का विकास

†४५०५. **श्री ले० अचौसिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुरी को एक आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में विकसित करने के लिये कोई कार्रवाई की गई है ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये सहायक अनुदान दिये गये थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो १९५९–६० और १९६०–६१ में ऐसे अनुदानों की कितनी राशि थी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) हां श्रीमान् । मनीपुरी भाषा के विकास के लिये वित्तीय सहायता की प्रार्थनायें की गई हैं और (हिन्दी के अतिरिक्त आधुनिक भाषाओं के विकास) की योजना के अन्तर्गत उन पर विचार किया गया है ।

(ख) १८,००० रुपये का अनुदान चार मनीपुरी प्रकाशनों के लिये १९५९–६० में दिया गया था, और उन प्रस्तावों में मनीपुर प्रशासन को संशोधन करना था, परन्तु चूंकि प्रशासन ने वर्ष की समाप्ति से पूर्व शोधित प्रस्ताव नहीं भेजे, अनुदान मंजूर नहीं किया गया ।

(ग) कोई नहीं ।

मनीपुर में आदिम जातीय नेताओं का सम्मेलन

†४५०६. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में विभिन्न आदिम जातीय नेताओं का सम्मेलन ५ मार्च, १९६१ को मनीपुर के मुख्य आयुक्त के सभापतित्व में उसके कोर्ट रूप में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मनीपुर की पहाड़ियों में दंगों के बारे में सम्मेलन में कोई निर्णय हुआ था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन में किये गये फैसले के अनुसार "एक आदिम जाति सद्भावना समिति" जिसमें प्रमुख आदिम जातियों के प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों, तथा प्रादेशिक परिषद् के प्रधान के सभापतित्व में तथा मनीपुर के डिप्टी कमिश्नर उसके सचिव थे बनाई गई । दोनों सभाओं, और समिति के सदस्यों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के लिये, क्षेत्रों के संयुक्त दौरे किये जा रहे हैं ।

अमरीका में आर्थिक कार्य के लिये महा आयुक्त

†४५०७. **श्री धर्म लिंगम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में आर्थिक कार्य महा आयुक्त का पद हटा दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जिस काम के लिये पद बनाया गया था, अर्थात् तीसरी योजना की परियोजनाओं के विदेशी मुद्रा व्यय को पूरा करने के लिये बातचीत करना और सहायता प्राप्त करना, वह अभी पूरा नहीं हुआ है ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये बस की सुविधायें

†४५०८. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बहुत से सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर उनके मकानों से ५ से २० मील तक की दूरी पर हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से सरकारी कर्मचारी जो साइकिलो पर दफ्तर आते हैं, प्रातः काल इतनी दूरी से साइकिल चला कर आने के पश्चात् कुशलतापूर्वक काम नहीं कर सकते ।

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को बस की सुविधायें देने का विचार रखती है जो अपने दफ्तरों से ५ मील से अधिक दूर रहते हैं, उनको कम दरों पर मासिक टिकट दिये जायें ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** :(क) केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारी दिल्ली की बस्तियों या आसपास के गांवों में रहते हैं, जो गाड़ियों या सार्वजनिक बसों या दोनों के द्वारा मिले हुये हैं ;

(ख) सरकार को ऐसे किसी मामले का पता नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली की रोहतक रोड पर चमड़ा रंगने के कारखाने

४५०९. **श्री पहाड़िया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चमड़ा रंगने की वर्तमान जगह जो रोहतक रोड पर स्थित है दिल्ली की पुरुषार्थी सोसइटी को दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन चमड़ा रंगने वालों को दूसरी जगह देने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

†**गृह-कार्य संत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** :(क) और (ख). यह भूमि विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास भूमि अर्जन अधिनियम, १९४८ के अधीन शरणार्थी गृह-निर्माण संस्था के लिये ले ली गई है । अभी तक कोई चमड़ा रंगने वाला वहां से नहीं निकाला गया है । चमड़ा रंगने वालों के पुनर्वास के लिये उपर्युक्त स्थान चुनने की चेष्टा की जा रही है । स्थान चुनने के काम में चमड़ा रंगने वालोंकी सभा के मंत्री से भी सहयोग प्राप्त किया गया है ।

भारत में मलाया के विद्यार्थी

†४५१०. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में मलाया के कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों में १९५८–५९ (इस के बाद के वर्ष के लिये सांख्यिकी उपलब्ध नहीं है) में मलाया के २४४ विद्यार्थी पढ़ रहे थे ।

मद्रास राज्य में राजस्व की वसूली

†४५११. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३ से १९५९–६० तक वर्ष वार मद्रास राज्य में करों और अन्य राजस्व साधनों से सरकार ने कितनी राशि वसूल की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १९५२–५३ में १९५९–६० तक मद्रास राज्य में वर्ष वार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं:—

वर्ष	प्राप्त राजस्व (लाख रुपयों में आंकड़े)
१९५२–५३ . . .	४९६१.८२
५३–५४ .	३९८०.२६
५४–५५ .	४३१८.७५
५५–५६ . .	४४३५.७२
५६–५७ . . .	४८७५.५६
५७–५८	५४७१.८२
५८–५९	५७०७.३५
५९–६० . . .	६५१७.९२

मद्रास राज्य की लोहा और इस्पात की आवश्यकताएं

†४५१२. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में मद्रास राज्य की लोहा और इस्पात की क्या आवश्यकता थी ; और

(ख) इस में से कितना संभरण किया गया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख).

१. इस्पात टनों में

	मांग	आवंटन	भेजा गया*
१९५७–५८ . .	४२५७४	१७५८३	२१७७५
१९५८–५९ . .	४७५२७	२४०१७	१४५५४०
१९५९–६० . .	९०१५३	६३९६८	४१५६०
१९६०–६१ . .	८९३२८	७६६९३	७५२२४

*ये आंकड़े चालू और अवशिष्ट आर्डरों के लिये भेजे गये माल के हैं।

२. **कच्चा लोहा**

कच्चे लोहे के आवंटन की प्रणाली १९५९ के उत्तरार्ध से बन्द कर दी गई है। अब उपभोक्ता कच्चे लोहे की अपनी पूरी आवश्यकता के लिये इंडेंट बिना किसी प्राधिकरण दे सकते हैं। राज्य सरकारों से कोई इकट्ठी मांगें नहीं आई हैं। उपभोक्ताओं से इंडैट सीधे आते हैं और पड़ताल के बाद उत्पादकों को भेज दिये जाते हैं। इकट्ठी मांग आवंटन और भेजे गये माल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रतिरक्षा सेवाओं में गुप्त रोग के मामले

†४५१२. **श्री ई० मधुसूदन राव**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में प्रतिरक्षा सेवाओं में गुप्त रोग बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सेना और विमान बल में गुप्त रोग घट रहे हैं। १९५९ में नौ सेना में गुप्त रोगों के थोड़ा बढ़ने की सूचना मिली थी। तथापि १९५० की तुलना में बहुत कमी हुई है।

(ख) नौ सेना में गुप्त रोगों के बढ़ने का कारण नौ सेना की विशिष्ट सेवा की अवस्थाएं हैं अर्थात समुद्र में सेवा, परिवार से बहुत देर के लिये अलग रहना और पत्तन वाले नगरों में लोगों का केन्द्रीकरण। संसार में गुप्त रोगों में सामान्यतया वृद्धि हुई है और नौ सैनिकों में इसकी वृद्धि के कारणों में से यह भी एक कारण हो सकता है, जो अपने कर्तव्य पालन के दौरान विभिन्न पत्तनों में जाते हैं।

(ग) चिकित्सा सेवाएें तीनों सेवाओं में गुप्त रोगों को रोकने के लिये विशेष पाठ्य-क्रमों और लेक्चरों (भाषणों के द्वारा तथा प्रौकिलैक्टिक उपायों के द्वारा गहन प्रचार करती हैं। और इन बीमारियों को बहुत अधिक कम करने में इन के बहुत अच्छे परिणाम हुए हैं।

हांगकांग में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा

†४५१४. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हांगकांग में स्टेट बैंक आफ इंडिया की एक शाखा खोलने की वांछनीयता या संभावना का सरकार विचार कर रही है क्योंकि यह स्वतंत्र पत्तन है;

(क) क्या जीवन बीमा निगम की शाखा को वहां अपना काम करने में कुछ कठिनाई अनुभव हुई है। और

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय मुद्रा का मूल्य हांगकांग की मुद्रा में अधिक है या इस के अंकित मूल्य से बहुत कम है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)**: (क) स्टेट बैंक आफ इंडिया ने अभी तक हांगकांग में शाखा खोलने के प्रश्न पर विचार नहीं किया है।

(ख) हांगकांग में जीवन बीमा निगम की शाखा पर्याप्त काम नहीं कर सकी।

(ग) सब अधिकृत विदेशी सौदे शासकीय विनियम दर पर किये जाते हैं जिस में परिवर्तन नहीं हुआ करता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कोयले का निर्यात

†४५१५. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य व्यापार द्वारा कोयले का निर्यात प्रारम्भ करने का विचार रखती है; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). कोयले के निर्यात का काम राज्य व्यापार निगम को सौंपने का सरकार का कोई विचार नहीं है क्योंकि कोयले के निर्यात का वर्तमान तरीका संतोषजनक समझा जाता है। इस के अतिरिक्त दूसरा कारण यह भी है कि हम अधिक मात्रा में कोयले के निर्यात का कोई विचार नहीं रखते, क्योंकि देश में कोयले का इस्तेमाल बढ़ रहा है ।

उड़ीसा के भूतपूर्व मंत्रियों के लिये कारों के लिये अग्रिम राशियां

†४५१६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) उड़ीसा के भूतपूर्व मिलेजुले मंत्री मंडल के मंत्रियों को कारें खरीदने के लिये अग्रिम राशि दी गयी थी ;

(ख) उन से कितनी कितनी राशि वसूलकर ली गयी है ; और

(ग) प्रत्येक मंत्री की ओर कितनी राशि बकाया रहती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६६]**

आसाम में बंगला को एक राजकीय भाषा के रूप में स्वीकृति के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

†४५१७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल आसाम बंगला भाषी लोक संस्था ने एक अभ्यावेदन पेश किया है जिस में केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन किया गया है कि वह आसाम की सरकारी भाषाओं में से एक भाषा के रूप में स्वीकार कराने के लिये यत्न करे ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या क्या तर्क प्रस्तुत किये हैं; और

(ग) उस के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी, हां ।

(ख) उन्होंने मुख्य तर्क यह दिया है कि उस राज्य की पर्याप्त जनता बंगला बोलती है। ब्रह्मपुत्र वादी के जिलों और शिलांग में भी पर्याप्त लोग बंगला बोलते हैं, इसलिये बंगला को राज्य की एक सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार किया जाये ।

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार के विचार पूछे जा रहे हैं।

उपभोक्ता मूल्य देशनांक में वृद्धि

†४५१८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१–६२ के लिये केन्द्रीय सरकार की आयव्ययक प्रस्थापनाओं में नये करों तथा प्रशुल्कों के लगाये जाने के परिणाम स्वरूप संघ राज्य क्षेत्रों और

---

†मूल अंग्रेजी में

देश के बड़े नगरों जैसे, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कानपुर में जीवन व्यय और उपभोक्ता मूल्य देशनांक बहुत बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना बढ़ा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) जी, हां ।

(ख) फरवरी १९६१ की तुलना में मार्च, १९६१ में उपभोक्ताकृत मूल्य देशनांक निम्नलिखित है :—

	देशनांक कर परिवर्तन से पहले फरवरी, १९६१ (१)	कर परिवर्तन के बाद मार्च १९६१ (२)	प्रतिशत परिवर्तन (१) की तुलना में (२) मे वृद्धि
बम्बई बर्ष जून तक १९३४-१००	४२०	४२३	०.७
कलकता १९४४-१००	१४८.८	१५०	०.७
मद्रास वर्ष जून तक १९३६-१००	४७४.०	४७९.०	१.०
कानपुर १९३९-१००	४८७	४८३	(—)०.८
दिल्ली १९४९-१००	१२३	१२४	०.८

उपभोक्ता मूल्यों में पपिवर्तन कई कारणों से होते हैं । फरवरी से मार्च तक होने वाले परिवर्तनों का मूल कारण केवल नये कर ही नहीं होता ।

बर्मा आयल कम्पनी के साथ बातचीत

†४५१९. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार और बर्मा आयल कम्पनी में आसाम के कुछ क्षेत्रों में खोज संबंधी रियायत के बारे में हो रही बातचीत हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार और बर्मा आयल कम्पनी में आयल इंडिया की बराबर-बराबर हिस्सेदारी के संबंध में एक योजना पर विचार किया जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (घ).जी, हां । क्योंकि बातचीत अभी तक चल रही है, इसलिये इसका व्योरा बताना लोक हित में नहीं है ।

केरल के बैंकों की पुनर्व्यवस्था

†४५२०. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में केरल सरकार के मुख्य मंत्री, उपमुख्य मंत्री और गृह-कार्य मंत्री की केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री और गृह-कार्य मंत्री से केरल के बैंकों की पुनर्व्यवस्था के प्रश्न पर बातचीत हुई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में एक निर्णय भी कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है और वह कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार ने त्रावनकोर फारवर्ड बैंक और बैंक आफ केरल के पुनर्निर्माण और उनको क्रमशः स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर और कनारा बैंक में मिला देने की योजनाओं को मंजूर कर दिया है और आशा है कि उसे १ जून, १९६१ को या उससे पहले कार्यान्वित कर दिया जायेगा ।

भारत के रक्षित बैंक ने बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ४५(क) के अधीन कोट्टायम ओरियेंट बैंक और बैंक आफ न्यू इंडिया को स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर में, वेनाडू बैंक को साऊथ इंडियन बैंक त्रिचूर में और सीसिया मिडलैंड बैंक को कनारा बैंक से मिला देने की योजनायें प्रकाशित कर दी गयी हैं । आशा है कि उन योजनाओं को जून, १९६१ के मध्य में कार्यान्वित कर दिया जायेगा ।

विशेष धातु मिश्रित इस्पात का उत्पादन

†४५२१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष धातुमिश्रित इस्पात के उत्पादन का कार्य कुछ प्रमुख निर्माताओं को सौंप दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके उत्पादन के लिये कितने निर्माताओं को लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ग) उनकी कुल लाइसेंस प्राप्त उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(घ) क्या इस निर्णय के विरूद्ध निर्माताओं में कुछ असन्तोष है ;

(ङ) यदि हां, तो उनकी मांग क्या है ; और

(च) इस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). औजारी और धातु मिश्रित इस्पात की कई किस्में हैं । अतिरिक्त क्षमता की योजना बनाने के लिये अलाय स्टील की केवल उन्हीं किस्मों के लिये प्राक्कलन तैयार किये गये हैं जिनसे न्यूनतम क्रोमियम, निकेल, तथा अन्य मिलाये जाने वाली धातुओं का प्रयोग होता है । इन किस्मों के इस्पात की वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग १०,००० टन है । अनुमान है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसकी संख्या लगभग २००,००० टन प्रति वर्ष हो जायेगी । क्योंकि क्षमता के अनुसार उत्पादन प्रारम्भ करने में कुछ समय लग जाता है, अतः प्रारम्भ में २००,००० टन प्रति वर्ष के उत्पादन के लिये आवश्यक क्षमता के लिये लाइसेंस देने का विचार है । केन्द्रीय अलाय स्टील प्लांट में लगभग ५०,००० टन का उत्पादन होगा । आयुध कारखानों में भी लगभग ३५,००० टन का उत्पादन होगा । स्पेशल अलाय स्टील के निर्माण के लिये कई निर्माताओं से, जिनमें प्रमुख निर्माता भी सम्मिलित हैं, प्राप्त आवेदन पत्र विचाराधीन हैं और आशा है कि इस संबंध में शीघ्र ही कोई निर्णय कर लिया जायेगा ।

(घ) से (च). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सरकारी संगठनों में फेर बदल के सम्बन्ध म डा० एप्पलबी के सुझाव

†४५२२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लोक प्रशासन के प्रसिद्ध अमरीकन विशेषज्ञ, डा० पाल एप्पलबी के इस बयान की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने मंत्रियों को परामर्श और जानकारी देने वाले संगठन में कुछ फेरबदल करने के सुझाव दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) डा० पाल एप्पलबी ने जनवरी से अप्रैल, १९६१ तक भारतीय लोक प्रशासन संस्था के तत्वावधान में निम्नलिखित विषयों पर चार भाषण दिये हैं :—

(१) व्यक्तिगत कार्य प्रेरणा तथा कल्याणकारी राज्य ।

(२) राजनीतिज्ञ तथा प्रशासक ।

(३) 'जनरलिस्ट' और 'स्पेशलिस्ट'

(४) अच्छा प्रशासनकर्त्ता ।

(ख) डा० एप्पलबी द्वारा अभिव्यक्त विचारों पर ध्यान पूर्वक विचार किया जायेगा ।

दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के सांस्कृतिक शिष्ट मण्डल

†४५२३. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वी एशियायी देशों को एक सांस्कृतिक शिष्ट मंडल भेजने का कोई विचार है ;

(ख) उस शिष्ट मंडल के लिये सदस्य चुनने का क्या आधार है ; और

(ग) यह योजना कब तक तय कर ली जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) सदस्यों को उनके रिकार्ड, कार्य अनुभव, उस देश के लिये उपयुक्तता जिस देश को वे भेजे जा रहे हैं और अवसर तथा उपलब्धि को ध्यान में रख कर ही चुना जाता है ।

(ग) सितम्बर-अक्तूबर, १९६१ तक ।

दमदम में चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना

†४५२४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ अप्रैल, १९६१ को शनिवार को दमदम (कलकत्ते) में दो विदेशी गिरफ्तार किये गये थे जिनके पास दो लाख रुपयों की कीमत का तस्कर व्यापार का सोना पकड़ा गया था । और उनके पास फिलिपाइन सरकार द्वारा जारी किये गये विशेष पारपत्र भी थे ; और

(ख) यदि हां, तो मामले का व्योरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). ८ अप्रैल, १९६१ को दमदम हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने दो यात्रियों से जिनके पास फिलिपाइन सरकार द्वारा जारी किये गये दो विशेष पारपत्र थे, लगभग २,२४,००० रुपयों की कीमत का १८.७१३ किलोग्राम सोना पकड़ा था । वह सोना उन यात्रियों ने विशेष रूप से सिलाये गये जेकटों में छिपाया हुआ था । उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें एक मेजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जिसने उन्हें जमानत के अभाव में जेल में भेज दिया ।

सरकारी गाड़ियों के लिये भाड़ा

†४५२५. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी गाड़ियों के लिये भाड़े में पुनरीक्षण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: भाड़े के पुनरीक्षण में विलम्ब का कारण यह है कि भाड़ों के निर्धारण के आधार के संबंध में सभी संबंधित व्यक्तियों से निर्णय करने के यत्न किये जा रहे हैं ।

सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को आगे भेजना

†४५२६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के आवेदन पत्र अस्थायी स्थानों के लिये भी संघ लोक सेवा आयोग को भेजे जा सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के पदाधिकारियों के संबंध में लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). १ मई, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या १८०८ के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कैम्बे से आने वाले अशोधित तेल का संशोधन

†४५२७. **श्री त० ब० विट्ठलराव:** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैम्बे क्षेत्र से आने वाले अशोधित तेल के संशोधन के लिये कोई अन्तरिम प्रबन्ध किया गया है, क्योंकि कैम्बे क्षेत्र में प्रस्थापित तेल शोधक कारखाने की स्थापना में इसे ५ वर्ष का समय लग जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) और (ख). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का १९६१ के अन्त तक अंकलेश्वर तेल के क्षेत्रों से प्रति दिन लगभग १५०० टन प्रति दिन अशोधित तेल का परीक्षणात्मक उत्पादन प्रारम्भ करने का विचार है। जब तक गुजरात में तेल शोधक कारखाना नहीं लगता तब तक इस अशोधित तेल को बम्बई ले जाने का विचार है। इस सम्बन्ध में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और गैर-सरकारी क्षेत्र में बातचीत चल रही है।

कैम्बे के अशोधित तेल को अहमदाबाद और बड़ौदा के उद्योगों द्वारा ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है ।

पालम हवाई अड्डे पर अमरीकन पत्रकार का फोटो लेते हुए पकड़ा जाना

†४५२८. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे पर एक अमरीकन पत्रकार प्रतिरक्षा विभाग के लिये रूस से खरीदे गये विमानों की फोटो लेते समय पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पत्रकार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय विमान बल प्राधिकारियों ने उन फिल्मों को जब्त कर लिया है । इस पत्रकार ने उसके लिये क्षमा मांगी । सरकार विचार कर रही है कि क्या कोई और कार्यवाही करने की जरूरत है या नहीं और यह कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की जाये ।

राजस्थान में जस्ता पिघलाने का कारखाना

†४५२९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने राजस्थान में जस्ता पिघलाने का एक कारखाना लगाने के लिये लगभग १०० लाख डालरों का ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस फर्म को ; और

(ग) वह कारखाना कहां पर स्थापित किया जायेगा ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). भारत के औद्योगिक वित्त निगम के डाइरेक्टरों के बोर्ड ने देवरी (उदयपुर-राजस्थान) में एक इलेक्ट्रोलिटिक जिंक स्मेल्टर (जस्ता पिघलाने का कारखाना) की स्थापना के लिये और टुडू (बिहार) में सीसे और चांदी के उत्पादन के लिये सुविधाओं के विस्तार के लिये मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड कलकत्ता के लिये विदेशों से संयंत्र और मशीनरी के आयात के लिये १ करोड़ रुपयों का ऋण मंजूर कर दिया है और ४.५ करोड़ रुपयों तक की राशि के बराबर स्टर्लिंग की आस्थगित अदायगी के लिये गारंटी देना भी स्वीकार कर लिया है ।

अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशें

†४५३०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग रिपोर्ट के अध्याय ५१ के पैरे १३ और १४ में की गयी अनुशासन सम्बन्धी सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या इन सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान नियमों में संशोधन करना पड़ेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) सभा पटल पर एक प्रति रखी जाती है जिसमें जारी किया गया आदेश लिखा हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७०]**

(ग) जी, नहीं ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देर तक काम करने का भत्ता

†४५३१. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देर तक काम करने के भत्ते के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशों पर कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बारे में शीघ्र ही निर्णय करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि यह विषय कुछ अधिक उलझनपूर्ण है और इस पर विभिन्न सम्बन्धित प्राधिकारों के परामर्श से विचार करना आवश्यक था ।

(घ) विचार लगभग पूरा हो गया है और आशा है कि शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन सुविधाओं के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशें

†४५३२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवहन सुविधाओं के सम्बन्ध में वेतन आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों पर निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). सरकार ने परिवहन सुविधाओं के सम्बन्ध में वेतन आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७१]**

सार्वजनिक छुट्टियों के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशें

†४५३३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय ३५ के पैरा ४५ में सार्वजनिक छुट्टियों के सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसे शीघ्रता से कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (ग). तीन राष्ट्रीय छुट्टियों अर्थात् महात्मा गांधी जयन्ती, स्वातन्त्र्य दिवस और गणतन्त्र दिवस, को सवेतन छुट्टियां मानने के लिये पहले ही आदेश दिया गया है। जहां तक इस सिफारिश का सम्बन्ध है कि यदि किसी कर्मचारी को इन छुट्टियों पर काम से छुट्टी नहीं दी जा सकती तो उसे सामान्य दर से १ $^1/_2$ गुना दर के हिसाब से वेतन दिया जाये, इस बारे में २० मार्च, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या ९६१ के उत्तर में सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया था। समिति ने उसके बारे में अन्तिम रूप से सिफारिश कर दी है और वे अब सरकार के विचाराधीन हैं। आशा है कि शीघ्र ही अन्तिम आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

सैलम में लौह अस्यक के निक्षेप

†४५३४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सैलम नेवेली क्षेत्र में लौह अयस्क के निक्षेपों में कितनी मात्रा में अयस्क उपलब्ध होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : अनुमान है कि सैलम नेवेली क्षेत्र में लगभग ३०४० लाख टन लौह अयस्क है।

दिल्ली में 'शुष्क पत्तन'[1]

†४५३५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सूखी गोदी बनाने की संभावनाओं के बारे में छानबीन करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, इस मांग के विषय में सरकार का क्या रुख है ?

---

[1]Dry Port

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) यद्यपि अभी कुछ समय पहले ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी एक साल पहले इसी तरह की एक योजना सरकार के सामने रखी गयी थी ।

(ख) इस योजना की छानबीन की गयी है और वह अव्यावहारिक समझी गयी क्योंकि प्रवेश की गोदी से लेकर देशीय सूखी गोदी तक मार्गस्थ माल पर नियंत्रण रखने और उनका ठीक ठीक हिसाब किताब रखने में बड़ी पेचीदा प्रक्रिया अपनानी होगी । इसके बजाय, देशीय माल गोदाम की सुविधाएं दिल्ली के लिए की गयी हैं ।

केन्दू के पत्तों के लाइसेंस[1] जारी करने मे भ्रष्टाचार

†४५३६. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य के कालाहांडी, बोलंगीर, सम्बलपुर और अन्य ज़िलों के कुछ कर्मचारी वर्ष १९६१–६२ में केन्दू के पत्तों के लाइसेंस जारी करने के भ्रष्टाचार में शामिल हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) सरकार ने उस पर क्या जांच की है ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं । उड़ीसा के केन्दू पत्ते नियंत्रण आदेश, १९६० के अधीन लाइसेंस जारी रखने करने या नामंजूर करने के बारे में जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध उस आदेश खंड ६ के अधीन २७ अपीलें दायर हुई हैं । राज्य सरकार उन अपीलों पर विचार कर रही है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उड़ीसा की आदिम जाति तथा ग्राम कल्याण विभाग

†४५३७. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० के लिए उड़ीसा के आदिम जाति तथा ग्राम कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां इसी विषय पर अभी हाल के केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को दी जाने वाली सुविधाओं से गैर-अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कितने लोगों ने फायदा उठाया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). जी नहीं । कुछ छोटी मोटी छपाई की गलतियां हुई थीं जिन्हें राज्य सरकारों ने इस बीच ठीक कर लिया है ;

(ग) और (घ). कोई निश्चित मामला सरकारी ध्यान में नहीं लाया गया है ।

---

[1]Kandu leaf licences.

†**मूल अंग्रेजी में**

दिल्ली प्रशासन में औद्योगिक निरीक्षक

†४५३८. **श्री राम गरीब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के उद्योग तथा श्रम निदेशक के कार्यालय में १ मार्च, १९६१ से औद्योगिक निरीक्षकों के कुछ पद मंजूर किये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसी तारीख से कुछ बहुत ऊंची योग्यता वाले औद्योगिक सर्वेक्षकों को उपयुक्त पदों की कमी के कारण नौकरी से मुक्त कर दिया गया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ मैट्रिक पास क्लर्कों और निदेशक के निजी सहायक को, १ मार्च, १९६१ को नौकरी से मुक्त किये गये औद्योगिक सर्वेक्षकों की तुलना में औद्योगिक निरीक्षक के रूप में चुना गया ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). स्थिति बताने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७२]**

चांदमारी से दुर्घटनाएं

†४५३९. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में १९६० में चांदमारी की जगहों में गैर-सरकारी व्यक्तियों को चोट पहुंचने या उनकी मृत्यु की कितनी दुर्घटनाएं हुईं ;

(ख) उनमें से कितनी घातक सिद्ध हुईं ;

(ग) उनको कितनी क्षतिपूर्ति दी गयी ; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या सावधानी बरती गयी और कार्यवाही की गयी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७३]**

(घ) चांदमारी का अभ्यास शुरू करने से पहले मैन्यूवर्स, फील्ड फायरिंग, एण्ड आर्टिलरी प्रैक्टिसेज ऐक्ट, १९३८ में उल्लिखित सावधानी पूरी तरह से बरती गयी है । उनमें ये बात शामिल हैं :—

(१) ढोल पीट कर जनता को चेतावनी दी जाये ;

(२) लाल झंडियों और साइन बोर्डों के प्रदर्शन से जनता को यह चेतावनी देना कि वे रेन्ज क्षेत्र में प्रवेश न करें और उनका प्रवेश रोकने के लिए रेन्ज सीमाओं पर सन्तरी तैनात करना ।

(३) स्थानीय असैनिक अधिकारियों द्वारा इस बात की पुष्टि करना कि रेन्ज क्षेत्र में कोई मनुष्य और पशु नहीं हैं और गोलाबारी शुरुवात करना सुरक्षित है ।

(४) स्थानीय असैनिक अधिकारियों द्वारा असैनिक जनता को इस बात की चेतावनी देना कि वे 'ब्लाइन्डस् ' को न छूएं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) फायरिंग प्रैक्टिस के बाद बगैर फूटी हुई गोलियों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना ।

जानमाल की दुर्घटना कम करने की हर कोशिश की जा रही है । बगैर फूटी हुई गोलियों को उठाने धरने या निषिद्ध घंटों के दौरान फील्ड फायरिंग क्षेत्र में घुसने के खतरों के बारे में जनता को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकारों की पूरी मदद ली जाती है ।

सेना के ट्रकों से दुर्घटनाएं

†४५४०. **श्री हेमराज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में प्रत्येक राज्य में सेना के ट्रक चलने के कारण असैनिक जनता के बीच कितनी दुर्घटनाएं हुईं ;

(ख) उनमें से कितनी घातक सिद्ध हुईं ;

(ग) उन दुर्घटनाओं के लिए कितनी क्षतिपूर्ति दी गयी ; और

(घ) वह दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) ४९६ । राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और यह जानकारी इकट्ठी करना समय और मेहनत के अनुरूप नहीं होगी ।

(ख) ९७ ।

(ग) वास्तव में सैनिक कर्तव्य के लिए तैनात सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेना की गाड़ियां चलाते समय अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए दोषयुक्त कृत्यों के लिए सरकार विधि सम्बन्धी दायित्व से मुक्त होती है । फिर भी जिन मामलों में सर्विस ड्राइवरों को दुर्घटना के लिए उत्तरदायी पाया गया उन मामलों में विधि सम्बन्धी दायित्व मंजूर किये बिना ही कृपापूर्ण क्षतिपूर्ति दी जाती है । कुछ दूसरे मामलों में भी वह दी जाती है जहां दावेदारों को दुर्घटना से कोई खास नुक्सान हुआ हो । इस आधार पर १९६० में हुई दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में ६०८ रुपये १९ नये पैसे की रकम कृपा-पूर्ण क्षतिपूर्ति के रूप में अभी तक दी जा चुकी है ।

(घ) स्कूलों में प्रारम्भिक प्रशिक्षण के अलावा, सर्विस गाड़ियों के ड्राइवरों को यूनिट ट्रेनिंग दी जाती है । जब तक वे कुशल नहीं हो जाते तब तक उन्हें घने क्षेत्रों में गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाती । अक्सर उनकी परीक्षाएं भी ली जाती हैं । मिलिटरी पुलिस के फ्लाइंग स्क्वैड चलती हुई सर्विस गाड़ियों की रफ्तार की जांच भी करते हैं । इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की गई है कि सर्विस गाड़ियों के ड्राइवर यातायात नियमों तथा रफ्तार की सीमा का कठोरता से पालन करें । दुर्घटनाएं कम करने के लिए समय समय पर कई हिदायतें भी जारी की गयी हैं ।

श्री मिलखा सिंह का सेना से त्याग पत्र

†४५४१. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के एस क्वार्टर माहलर मिलखा सिंह ने सेना से त्यागपत्र दे दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) दयापूर्ण आधार पर उसकी अपनी निजी प्रार्थना पर उसे रिहा किया गया था ।

विस्थापित व्यक्तियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र

†४५४२. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विस्थापित व्यक्तियों को मूल तथा प्रतिलिपि, दोनों ही शैक्षणिक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत तथा पाकिस्तानी सरकारों ने मान ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७४]**

एयर फोर्स हेडक्वार्टर्स में अपर डिवीजन क्लर्क

†४५४३. **श्री जगदीश अवस्थी** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ जुलाई, १६४५ को एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स के जो असैनिक अपर डिवीजन क्लर्क्स स्थायी थे उन्हें ६५–३०० रुपये के वेतनक्रम में वापिस लौटने की छूट के आदेश फरवरी, १६६१ में जारी किये गये थे ;

(ख) क्या ये आदेश उन अपर डिवीजन क्लर्कों पर भी लागू होंगे जो २८ जुलाई, १६४५ को स्थायी थे और जो जून, १६४५ से भी पहले उपर्युक्त वेतनक्रम में वेतन ले रहे थे ; और

(ग) सभी क्लर्कों को वर्जित करने के लिए इस भेदभाव का क्या कारण है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) से (ग). जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७५]**

हिन्दी का राजभाषा के रूप में प्रयोग

†४५४४. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय के पत्र-व्यवहार तथा अन्य कार्यालय के काम हिन्दी भाषा में करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से और हिन्दी में कार्य होने की किस प्रकार व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं, और कब तक ऐसे आदेश जारी किये जाने की सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मन्त्री (डा० श्रीमाली) : (क) और (ख). यद्यपि मन्त्रालय के काम-काज का जहां तक सम्बन्ध है, इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किये गये हैं, परन्तु केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में ६ अप्रैल, १९६१ से सारा काम-काज हिन्दी में हो रहा है। इसमें फाइलों पर हिन्दी में टिप्पणी लिखने का काम भी शामिल है। जिन थोड़े से लोगों को हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान नहीं है उनकी सुविधा के लिये हिन्दी की एक कक्षा शुरू की गई है।

(ग) इस विषय पर गृह मन्त्रालय के एक ज्ञापन के अनुसार सचिवालय के चुने हुए ऐसे अनुभागों में जहां हिन्दी जानने वाले कर्मचारी काफी संख्या में हों फाइलों पर हिन्दी में टिप्पणी लिखने की अनुमति प्रयोग के रूप में दी जा सकती है। ज्ञापन में यह भी सुझाव दिया गया है कि आरम्भ में हिन्दी में टिप्पणी ऐसी मिसिलों पर लिखना उपयोगी हो सकता है जिनका सम्बन्ध हिन्दी पत्र-व्यवहार से हो।

इस नीति को क्रमिक रूप से अमल में लाने का विचार है।

मनीपुर में दांडिक मामले

†४५४५. **श्री ले० अचौत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों अर्थात १९५९ और १९६० में मनीपुर की विभिन्न पुलिस चौकियों में दर्ज मामलों की संख्या बढ़ गयी है; और

(ख) इन वर्षों में विभिन्न पुलिस चौकियों में कितने फौजदारी के मामले दर्ज हुए, कितने मामलों की पुलिस ने जांच की, कितने मामले रद्द कर दिये गये, कितने मामले अदालतों में पेश किये गये और उनमें से कितने मामले अदालतों ने गवाही न होने के कारण खारिज कर दिये ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख)

	१९५९	१९६०
फौजदारी के दर्ज मामलों की संख्या . .	१७१०	२१९६
पुलिस द्वारा जांच किये गये मामलों की संख्या .	११२५	७००
रद्द मामलों की संख्या	५४६	६२५
अदालतों में पेश किये गये मामलों की संख्या . .	११२५	७००
गवाही न होने के कारण अदालतों द्वारा खारिज किये गये मामलों की संख्या . .	जांनकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है	

मनीपुर के लिये नालीदार लोहे की चादरें

†४५४६. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में नालीदार लोहे की चादरों के लिये परमिट बिना किसी जांच के दिये जाते हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि मनीपुर में चिंगांगबुम लैकै, लमलोंग में कुछ झूठे व्यक्तियों को नालीदार लोहे की चादरों के परमिट दिये गये थे और चादरें उन्हें दी गयी थीं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

†मूल अंग्रेजी में

स्टाम्प शुल्क

†४५४७. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टाम्प ऐक्ट मनीपुर में लागू है और असम में अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है; और

(ख) क्या स्टाम्प की दरें भिन्न भिन्न हैं और स्टाम्प शुल्क गलत लगाये जाने के कारण हानि होती है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)**: (क) भारतीय स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र में लागू है लेकिन राज्य सूची प्रलेखों पर स्टाम्प शुल्क उन दरों से लगाया जाता है जो उस राज्य क्षेत्र पर अधिनियम लागू करते समय असम में लागू थीं।

(ख) चूंकि असम दरें केन्द्रीय दरों से अधिक ऊंची हैं इसलिये इस कारण सरकार को राजस्व की हानि के बारे में प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में ईंटों का संकट

†४५४८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ईंटों के संकट के बारे में दिनांक १३ अप्रैल, १९६१ के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां तो अब ईंटें मिलने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है; और

(ग) स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) स्लैक कोयले की कमी तथा अन्य बातों के कारण राजधानी में ईंटों की कमी बढ़ गयी। ईंटों का भाव भी अक्तूबर-नवम्बर, १९६० में ३५ रुपये प्रति हजार से बढ़ कर अप्रैल, १९६१ में ४५ रुपये प्रति हजार हो गया है।

(ग) दिल्ली में और अधिक स्लैक कोयला लाने के लिये तथा उसके वितरण पर अधिक कड़ा नियन्त्रण रखने के लिये कार्यवाही की गयी है ताकि ईंटों की जो भटिटयां वास्तव में काम कर रही हैं और जिन्हें सचमुच ही स्लैक कोयले की जरूरत है, सप्लाई की स्थिति ठीक होने के साथ साथ उन्हें वह स्लैक कोयला दिया जाये।

केरल में सरकारी कर्मचारियों द्वारा लेख याचिकाएं

†४५४९. **श्री वें० ईयाचरन :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ से मार्च, १९६१ तक राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन केरल राज्य सरकारी कर्मचारियों ने अपनी वरिष्ठता तथा पदोन्नति के लिये उच्च न्यायालय में कितनी लेख याचिकाएं पेश कीं; और

(ख) उनमें से कितनी याचिकाओं का फैसला हो चुका है और अभी कितनी याचिकाओं का निर्णय बाकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी इकटठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

मन्त्रियों आदि को भत्ता

४५५०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री १३ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५२ के उत्तर के ससबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन मन्त्रियों, राज्य-मन्त्रियों, उपमन्त्रियों और सभा-सचिवों को १९५९-६० में कितना-कितना भत्ता वेतन के अतिरिक्त दिया गया; और

(ख) भविष्य में इस प्रकार के व्यय को कम करने के सम्बन्ध में क्या कोई योजना बनाई गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार): (क) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७६**]

(ख) कोई योजना बनाना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि व्यय को कम से कम कर दिया गया है ।

फार्मों का हिन्दी में छापा जाना

४५५१. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री ब्रजराज सिंह : }

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न कार्यालयों के जिन फार्मों का नियमों अथवा नियम संहिताओं के साथ हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है क्या उनको हिन्दी में छपवाने का कोई निश्चित टाइम-टेबल बना लिया गया है और क्या उस टाइम टेबल के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आदेश सभी मन्त्रालयों को दे दिये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार): यह प्रयत्न किया जा रहा है कि १९६३ तक सभी महत्वपूर्ण नियमों तथा संहिताओं का हिन्दी अनुवाद तैयार हो जाये । इन नियमों तथा संहिताओं का जैसे जैसे हिन्दी अनुवाद तैयार होगा, वैसे ही इन में विहित फार्मों को हिन्दी में छपाने का प्रबन्ध किया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश में राज्य बैंक की शाखायें

४५५२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के किन-किन स्थानों पर भारत के राज्य बैंक की शाखायें खुली हुई थीं;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष अलग-अलग किन-किन स्थानों पर उस बैंक की नई शाखायें खोली गईं; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान वहां के और किन-किन स्थानों पर उस बैंक की शाखायें खोलने का निर्णय किया गया है अथवा विचार किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पहली जुलाई, १९५५ को, जब भारतीय राज्य बैंक (स्टेट बैंक आफ इण्डिया) अस्तित्व में आया, उत्तर प्रदेश में इसकी ४२ शाखाएं थीं। इन स्थानों की जिलेवार सूची इसी के साथ लगी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७७]**

(ख) पहली जुलाई, १९५५ से ३० जून, १९६० तक भारतीय राज्य बैंक ने नीचे लिखे अनुसार उत्तर प्रदेश में ६० शाखाएं खोलीं :

अवधि	शाखाओं की संख्या
१-७-१९५५ से ३०-६-१९५६ तक . . .	३
१-७-१९५६ से ३०-६-१९५७ तक .	४
१-७-१९५७ से ३०-६-१९५८ तक . .	१४
१-७-१९५८ से ३०-६-१९५९ तक	१३
१-७-१९५९ से ३०-६-१९६० तक . . .	२६
	६०

इन स्थानों की सूची इसी के साथ लगी हुई है। **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७८]**

(ग) अगले पांच साल के लिए शाखा-विस्तार-कार्यक्रम के प्रश्न पर भारतीय राज्य बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है।

तिनसोंग, मनीपुर में रुपये के गबन के मामले

†४५५३. **श्री लै० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है कि थानलोन सब-डिविजन, तिनसोंग में रुपये के गबन की कहानी एक गप है और सभी अपराधियों को निर्दोष छोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सच्चे अपराधी का पता लगाने के लिए इस मामले में कोई और कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

वेतन आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति

†४५५४. **श्री लै० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित हो चुकी हैं;

(ख) सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि के कारण मनीपुर और त्रिपुरा के लिए कितना अतिरिक्त वार्षिक खर्च होगा;

(ग) क्या त्रिपुरा और मनीपुर में वेतन क्रम सरकारी निर्णय के अनुसार क्रमशः पश्चिम बंगाल और असम में बराबर के पदों के लिए दिये जाने वाले वेतन क्रमों के बराबर हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो क्या मनीपुर के सम्बन्ध में, महंगाई भत्तों को मिला देने के अतिरिक्त वेतन-क्रम में हाल की वृद्धि पर विचार किया गया तथा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

सर्वे आफ इंडिया के वर्ग ३ के कर्मचारी

†४५५५. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ से १९६० की अवधि में हाथीबरकला लिथो आफिस, फोटो जिन्को आफिस, देहरादून और फोटो लिथो आफिस, कलकत्ता, सर्वे आफ इंडिया के वर्ग ३ के कितने कर्मचारियों को अलग-अलग श्रेणी ५ से श्रेणी ४ में पदोन्नति दी गयी;

(ख) १९५५ से १९६० तक उपर्युक्त आफिसों के कुल कितने श्रेणी ४ कर्मचारियों (वर्ग ३) को अलग-अलग श्रेणी ३ में पदोन्नति दी गयी;

(ग) १९५५ से १९६० तक उपर्युक्त आफिसों के कुल कितने श्रेणी ३ कर्मचारियों (वर्ग ३) को अलग-अलग श्रेणी २ में पदोन्नति दी गयी;

(घ) १९५५ से १९६० तक उपर्युक्त आफिसों के वर्ग ३ के कुल कितने कर्मचारियों को अलग-अलग डिविजन १ में पदोन्नति दी गयी; और

(ङ) १९५५ से १९६० तक उपर्युक्त आफिसों के वर्ग ३ के कुल कितने कर्मचारियों को अलग-अलग सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति दी गयी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य-उपमन्त्री (डा० म० मो० दास) :** (क) से (ङ) यह जानकारी इकट्ठी करने में जो मेहनत और दिक्कत होगी वह उसके परिणामों के अनुरूप नहीं होगी ।

सर्वे आफ इण्डिया के अर्ध-कुशल तकनीकी श्रमिक

†४५५६. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथीबरकला लिथो आफिस और फोटो जिन्को आफिस, देहरादून और फोटो लिथो आफिस, कलकत्ता, सर्वे आफ इंडिया के कुल कितने तकनीकी श्रमिकों को १९५५ से १९६० तक अर्ध-कुशल ग्रेड में पदोन्नति दी गयी है;

(ख) क्या अकुशल तकनीकी श्रमिक की अर्ध-कुशल श्रेणी में पदोन्नति के लिए कोई कसौटी है;

(ग) अर्ध-कुशल तकनीकी श्रमिक को नया वेतन-क्रम देने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (डा० म० मो० दास):** (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी शीघ्रलिपि में प्रशिक्षण

४५५७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो व्यक्ति गृह-काय मंत्रालय द्वारा संचालित कक्षाओं में हिन्दी शीघ्रलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं क्या उनकी नियुक्ति ऐसे अधिकारियों के साथ की जाती है जो हिन्दी जानते हैं;

(ख) क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि अन्य अधिकारी जो हिन्दी में काम कर सकते हैं इन शीघ्रलिपिकों से हिन्दी का काम ले सकें;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर नकारात्मक हों, तो इन शीघ्रलिपिकों का हिन्दी शीघ्रलिपि अभ्यास बनाये रखने के लिये क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अन्तर्गत न आने वाले सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी भी हिन्दी शीघ्रलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं; और

(च) यदि हां, तो ऐसे शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) से (ग). हिन्दी शीघ्रलिपि का पहला कोर्स जुलाई, १९६१ में समाप्त होगा । हिन्दी कार्य में प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं के यथोचित उपयोग के लिये आदेश पहले से ही जारी कर दिये गये हैं ।

(घ) जी हां ।

(च) २१८ ।

भूतपूर्व सैनिक संस्था, कपूरथला

†४५५८. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूव सैनिक संस्था, कपूरथला (पंजाब) से उनकी वर्तमान पेंशनों को बढ़ाने के बारे में सरकार का कोई आवेदन पत्र मिला है;

(ख) यदि हां, तो आवेदन पत्र में क्या लिखा है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) भूतपूर्व सैनिक संस्था, कपूरथला (पंजाब) ने बताया है कि राज्यों के असैनिक कर्मचारियों के पेंशन तो बढ़ा दिये गये हैं परन्तु भूतपूर्व राज्यों के सेनाओं के सैनिकों के पेंशन नहीं बढ़ाये गये हैं । १ अप्रैल, १९५८ से भारतीय सेना पेंशन पाने वालों की पेशनों में अस्थाई वृद्धि के आधार पर संस्था ने प्रार्थना की है कि भूतपूर्व शासकों की सेनाओं के सैनिकों की पैशन बढ़ाने की व्यवस्था भी उसी तिथि से कर दी जाये ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

नौसेना की सूखी गोदी[1]

†४५५९. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में शीघ्र ही एक नयी नौसेना की सूखी गोदी को चालू किया जायेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Naval Dry Dock.

(ख) यदि हां, तो यह कहां पर स्थापित होगी तथा कितनी लम्बी चौड़ी होगी ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) क्रूजर गेविंग डाक (गोदी) नौ सेना गोदी, बम्बई में ही है तथा उसकी लम्बाई-चौड़ाई नीचे दी जाती है :—

अधिकतम लम्बाई	६८५ फीट
प्रवेश पर चौड़ाई	१०० फीट
गहराई	५० फीट ६ इन्च ।

बेंजाइल क्लोराइड

†**४५६०. श्री प्र० चं० बरूग्र : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी, हैदराबाद में बेजांइल क्लोराइड बनाने का हाल में ही कोई नया तरीका निकाला गया है;

(ख) यदि हां, तो पहले तरीके से इस तरीके में क्या लाभ है; और

(ग) बेजांइल क्लोराइड को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए इस तरीके को अपनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी, हां ।

(ख) लाभ यह हैं :—

१. डिकम्पोजिशन और पौलीमेराजेशन को इस्तेमाल नहीं किया जाता है ।

२. अधिक शुद्ध उत्पाद मिल जाता है ।

(ग) भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर करने के लिए कुछ औद्योगिक सार्थों से इस तरीके के बारे में बातचीत कर रहा है ।

गोहाटी तेल शोधन शाला

†**४५६१. श्री प्र० चं० बरूग्रा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही किए गए पुनरीक्षण से पता लगा है कि गौहाटी तेल शोधनशाला पर मूल प्राक्कलनों से ७२ प्रतिशत और अधिक व्यय धन होगा ; और

(ख) यदि हां, तो प्राक्कलन बढ़ जाने के क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). शोधनशाला के स्थापित किये जाने के स्थान की दशा तथा अन्य सुविधाओं पर कोई विचार किए बिना ही नूनमती शोधनशाला पर हुए व्यय के आधार पर इस शोधनशाला के मूल प्राक्कलन १०.५ करोड़ रुपये के बना

†मूल अंग्रेजी में

लिए गये थे। पुनरीक्षित प्राक्कलन में इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। लागत में वृद्धि निम्न कारणों से हुआ है :—

(१) भूमि के लिए अपेक्षित भूकम्पीय दशा को मजबूत बनाना है ;

(२) भूमि, नगर, पानी तथा बिजली आदि का व्यय।

(३) सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के परामर्श से गन्दगी को आसानी से बहाने के लिए विशेष व्यवस्था।

(४) रूमानिया से भूमि स्थान पर यंत्रों सामग्रियों के परिवहन के लिए बढ़ा हुआ भाग।

(५) रूमानिया से आयात किए गए यंत्रों के अतिरिक्त, शोधनशाला को सहायता देने वाले के बदल जाने के कारण, अन्य यंत्रों की आवश्यकता ; और

(६) कार्यवहन पूंजी।

आसाम के लिये नालीदार लोहे की चादरों का आवंटन तथा समाहार

†४५६२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए १६५७–५८ से अब तक प्रत्येक वर्ष की नालीदार चादरों तथा अन्य लोहे की सामग्री की मांग, आवंटन तथा वास्तविक समाहार क्या है ;

(ख) इसी अवधि में आयोजित तथा अनायोजित इंडेंटों के लिए विभिन्न कोटा के अधीन नालीदार चादरों तथा अन्य लौह-सामग्रियों की क्या स्थिति है ;

(ग) क्या समाहार स्थिति का विकास हो रहा है और पर्याप्त भंडार बकाया पड़े हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क)

(टनों में)

(१)			मांग	आवंटन
१६५७–५८			४२,६०४	६,७६३
	चादरें	**अन्य सामग्री**	**चादरें**	**अन्य सामग्री**
१६५८–५६	२६,६०४	२०,४८३	६,६३८	७,६८६
१६५६–६०	४०,६८८	२८,१६१	२०,३६८	२८,२६७
१६६०–६१	५२,१६०	४६,०२७	२२,०३७	४१,५६२

नोट :—१६५७–५८ के लिए श्रेणीवार मांग और आवंटन प्राप्त नहीं है। १६५८–५६ से श्रेणीवार आवंटन आरम्भ किये गये थे।

(२) १६६०–६१ से पहले के श्रेणीवार आंकड़े नहीं रखे गये हैं। १६५७–५८, १६५८–५६, १६५६-६० तथा १६६०–६१ वर्षों में इस्पात की विभिन्न श्रेणियों का कुल लदान क्रमशः ८००८, ४५२०, ७७६२, तथा १५,४६६ टन हैं। अप्रैल, १६६० से फरवरी, १६६१ तक ६,१२१ टन

†मूल अंग्रेजी में

चादरों का लदान किया गया है। चालू तथा बकाया आर्डरों पर किए गए लदानों के आंकड़े भी इसमें शामिल हैं परन्तु अन्य राज्यों के नियंत्रित भांडारधारियों के लदान के आंकड़े इसमें नहीं हैं।

(ख) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत में विदेशी विनियोजन

†४५६३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ३१ मार्च, १९६१ तक भारत में कितना विदेशी विनियोजन था ; और

(ख) पिछले वर्ष से कितना बढ़ गया ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) १९५९ के अन्त तक भारत के गैर सरकारी क्षेत्र में विदेशी विनियोजन ६११ करोड़ रुपये था। ३१ मार्च, १९६१ को विदेशी विनियोजन की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मिलीटरी एस्टेट, आगरा

†४५६४. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रति-रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरा की मिलिटरी एस्टेट की भूमि के पट्टों का लगभग दस वर्ष से नवीकरण नहीं किया है। जिसके कारण इस भूमि पर मकान बना लेने वाले व्यक्ति चिन्तित हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार आगरा की मिलिटरी एस्टेट की भूमि के पट्टों का नवीकरण करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और किस अवधि से ?

†**प्रति-रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) से (घ). आगरा छावनी की निवास की भूमि के कुछ पट्टे जो समाप्त हो गये थे, नवीकरण के लिए लम्बित हैं परन्तु १० वर्ष से अधिक के तो नहीं हैं। इनमें से जो हाल में ही समाप्त हुए हैं, उनमें से कुछ में विशिष्ट उपबन्ध है कि पट्टा देने वाला चाहे तो पट्टा देने से इन्कार कर सकता है। परन्तु सार्वजनिक हित देखते हुए इन पर विचार किया जा रहा है।

दर्शन शास्त्र आदि पर पुरातन भारतीय पुस्तकें

†४५६५. **श्रीमती मैमूना सुल्तान:** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, यंत्र शास्त्र, आयुर्वेद और योग सम्बन्धी पुरातन भारतीय पुस्तकें कितनी उपलब्ध हैं ; और

(ख) ये किन संस्थाओं को उपलब्ध हैं ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). देश की बहुत सी संस्थाओं में ऐसी पुस्तकें इधर उधर बिखरी हुई हैं और समय लगाकर इनकी ठीक संख्या का पता लगाया जा सकता है परन्तु ऐसा करने के लिए परिणाम लाभदायक नहीं होगा।

हिन्दी स्टेनोग्राफर

४५६६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय में काम करने वाले हिन्दी स्टेनोग्राफरों के साथ उनकी सेवायें स्थायी करने तथा उनकी पदोन्नति की दृष्टि से वैसा व्यवहार नहीं किया जाता जैसा अंग्रेजी स्टेनोग्राफरों के साथ किया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक कितने हिन्दी स्टेनोग्राफरों की सेवायें स्थायी की गई हैं और कितनों को पदोन्नति दी गई है ;

(ग) क्या हिन्दी स्टेनोग्राफर भी केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा योजना के अन्दर हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) से (घ). केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा का निर्माण मंत्रालयों की अंग्रेजी स्टेनोग्राफर सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था। तत्पश्चात विभिन्न मंत्रालयों विभागों में हिन्दी स्टेनोग्राफरों की तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हिन्दी स्टेनोग्राफरों के कुछ अस्थायी पद निर्माण किये गये, इन पदों की भरती एतदर्थं की गई थी। ये केन्द्रीय सचिवलय स्टेनोग्राफर सेवा में सम्मिलित नहीं किए गए। क्योंकि इन पदों के लिए निर्धारित योग्यताएं उस सेवा के लिए निर्धारित योग्यताओं से भिन्न थी। अतः इन पद्रों में हिन्दी स्टेनोग्राफरों का स्थायीकरण तथा पद वृद्धि केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के समान नहीं होते। अभी तक कोई भी हिन्दी स्टेनोग्राफर स्थायी नहीं किया गया है, क्योंकि इन पदों में से एक भी स्थायी नहीं है। हिन्दी स्टेनोग्राफरों की भावी आवश्यकता की पूर्ति, केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के सदस्यों को हिन्दी स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण देकर, करने का विचार है।

आन्ध्र प्रदेश में 'पासी' समुदाय

†४५६७. **श्री त० ब० द्विठल राव** : : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के खम्मम जिले में रहने वाले (पासी) समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का कोई प्रतिनिधान मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). जी हां। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में परिवर्तन करने पर सरकार विचार कर रही है। केवल पासी समुदाय के बारे में अलग से कोई निर्णय इस समय नहीं किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में देवगढ़ हाई स्कूल

†४५६८. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के देवगढ़ सबडिवीजन की जनता की मांग के अनुसार देवगढ़ हाई स्कूल को विज्ञान कालिज बनाने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

क्यानाइट अयस्क[1]

†४५६९. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बोनाई सब-डिवीजन में क्यानाइट अयस्क पाया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस धातु का वाणिज्यिक महत्व क्या है ?

†**खान और तेल मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) उड़ीसा के सुकरगढ़ ज़िले में बोनाई सब-डिवीजन में सुलुगुरा के निकट, पिथचोरा के पूर्व, दक्षिण पूर्व, दारलंसारा के उत्तर, कसारा की दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों के निचले हिस्से में क्यानाइट होने का पता लगा है ।

(ख) यह किसी भी आर्थिक महत्व की नहीं है ।

उड़ीसा सरकार सेवा में आदिवासी तथा अनुसूचित जातियां

†४५७०. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा सरकार सेवा में कितने प्रतिशत आदिवासी तथा अनुसूचित जातियों के लोग हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : उड़ीसा सरकार से जानकारी इकट्ठा की जा रही है तथा समय पर सभा पटल पर रखदी जायेगी ।

कवि सूरदास का स्मारक

†४५७१. **श्री हेमराज** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरदास स्मारक समिति, सीही (गुड़गांव) ने प्रसिद्ध कवि का उपयुक्त स्मारक बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Kyanite ores.

गन एण्ड शैल फैक्टरी, काशीपुर

†४५७२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रति-रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काशीपुर की गन एण्ड शैल फैक्टरी के कर्मचारियों के लिए नारीकल बागान, काशीपुर में क्वार्टरों के निर्माण के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**प्रति-रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) काशीपुर में कारखाना बनाने के लिए भूमि नहीं है, इसलिए मजदूरों के लिए क्वार्टर बनाने की योजना में भूमि का अर्जन अत्यधिक मूल्यों पर होगा । कारखाने के निकट मज़दूरों के मकान बनाने के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव की संभावनाओं की जांच करने की आवश्यकता है ।

दिल्ली में बाल अपराध

†४५७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बाल अपराध के मामले बढ़ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली की जेलों तथा अन्य स्थानों पर बाल अपराध के मामलों को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) और (ख) मामले बढ़ नहीं रहे हैं । परन्तु दिल्ली प्रशासन ने बालघर तथा पालन पोषण घर लड़के, लड़कियों के लिए बनाये हैं । बाल सहायता ब्यूरो बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

गोल गुम्बद बीजापुर के चारों ओर बाग

†४५७५. { **श्री सुगन्धि** :
श्री अगाड़ी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीजापुर नगर के गोल गुम्बद के चारों ओर बाग का विकास करने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ;

(ख) १९६०–६१ में कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ग) वर्ष में विभिन्न स्थानों से पौदे तथा क़लमें लाने के लिए पौदों पर कितना धन व्यय किया गया ;

(घ) क्या यह सच है कि अधिकांश पौदे बंगलौर नर्सरी से लाने के बजाये आगरा से लाये गये थे ;

(ङ) पौदों तथा क़लमों पर कितना धन व्यय किया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) क्या क़लमों में पानी देने के लिए आजकल पानी की बहुत कमी है ; और

(छ) यदि हां, तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमन्त्री (डा० म० मो० दास) :** (क) १९६०–६१ में ६३,४८० रुपये ।

(ख) ३०,७८२ रुपये ।

(ग) लगभग ३५० रुपये ।

(घ) जी हां ।

(ङ) क्रमशः ३४० रुपये तथा २५ रुपये ।

(च) जी,हां ।

(छ) प्रारंभिक सर्वेक्षण कर लिया गया है और बाग में निरंतर पानी देने की योजना बनाई जा रही है ।

बीजापुर के निकट बेगम तालाब के निकट वन

†४५७६. { **श्री सुगन्धि :**
श्री अगाड़ी : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीजापुर नगर के निकट पुराने बेगम तालाब के रेतीले भाग में विशाल वन प्रान्त था ;

(ख) बीजापुर नगर के बेगम तालाब क्षेत्र में गत तीन वर्षों में कितने पेड़ काटे गये तथा बेचे गये ;

(ग) यदि हां, तो किस के अधिकार से ; और

(घ) १९५८–५९ से अब तक कितनी धन राशि वसूल गई ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उप-मन्त्री (डा० म० मो० दास):** (क) जी नहीं ।

(ख) खड़े हुए पेड़ नहीं काटे गये थे । सूखे तथा गिरे हुए वृक्ष तथा शाखायें नीलाम से बेचे गये थे ।

(ग) सुपरिंटेन्डैन्ट, पुरातत्व विभाग, दक्षिण पश्चिम सर्किल, औरंगाबाद ।

(घ)	१९५८–५९ .	३१० रुपये
	१९५९–६० . .	१६८ रुपये
	१९६०–६१	अभी मालूम नहीं है

गिरिडीह कोयला खान

†४५७७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिरीडह में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कोयला खान के गदेर खान गढ़े में खनन कार्य आरंभ हो गया है अथवा शीघ्र आरंभ होने वाला है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यहां से कितना उत्पादन होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). इस गढ़े में अभी खनन कार्य आरंभ नहीं हुआ है परन्तु आशा है कि उत्पादन कुछ सप्ताह में आरंभ हो जायेगा ।

(ग) इस गढ़े में उत्पादन पूरा होने पर प्रतिमास लगभग ६००० टन कोयला मिलेगा ।

५०५ आर्मी बेस वर्कशाप

†४५७८. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी के पदच्युत कर्मचारियों को अब तक जनवरी १९६१ के लिए निर्वाह भत्ता तथा पुनरीक्षित वेतनक्रमों के बकाया नहीं दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन):** (क) और (ख). जनवरी १९६१ से पदच्युति की तिथि तक की अवधि के लिए तीन व्यक्तियों का निर्वाह भत्ता इसलिए रोक लिया गया है क्योंकि उन्होंने बकाया धन तथा भांडारों को लौटाने का प्रमाणपत्र नहीं दिया था ।

मालूम हुआ है कि पुनरीक्षित वेतनक्रमों के बकाया का भुगतान इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि लेखा परीक्षा अधिकारियों ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे । ४ अप्रैल १९६१ को सरकार ने स्पष्टीकरण के सामान आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जिन्होंने १ जुलाई, १९५९ तथा १५ सितम्बर १९६० के बीच सेवा छोड़ी है और विकल्प नहीं दिया है, वह दो माह की अवधि में विकल्प दे दें । आशा है कि लेखा परीक्षण अधिकारी मामले शीघ्र ही निबटा देंगे ।

सिंधी भाषा का विकास

†४५७९. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सिंधी नागरिकों ने भाषाई अल्प संख्यकों के आयुक्त को यह अभ्यावेदन किया है कि सिंधी बच्चों को स्कूल में शिक्षा के किसी प्रक्रम पर भी उनकी मातृ-भाषा के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाता ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) सरकार सिंधी भाषा के विकास के लिए क्या कदम उठा रही है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार):** (क) और (ख). विभिन्न सिंधी संस्थाओं से सामान्य किस्म के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । उन सभी राज्यों में, जहां सिंधी बोलने वाले विद्यार्थियों की पर्याप्ति संख्या है, प्राथमिक स्तर पर सिंधी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है । भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त ने माध्यमिक स्कूलों में सिन्धी में शिक्षा देने की सुविधाओं के पर्याप्त न होने की शिकायतों के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया है ।

(ग) आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास की योजना के अधीन सरकार ने सिंधी भाषा के विकास के लिए भी अनुदान दिये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमा परस्थित सैनिकों के लिये क्वार्टर

†४५८०. **श्रीमती मंजुला देवी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमान्त क्षेत्र में स्थित सैनिकों के लिए क्वार्टर बनाये जा चुके हैं ; और

(ख) क्या भारतीय चीन सीमा के लद्दाख और 'नेफा' क्षेत्र में बहुत देर से रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को उन के परिवार के लोगों के साथ रहने की सुविधा प्राप्त है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) विभिन्न स्थानों में रहने के क्वार्टर बनाये जा रहे हैं अथवा बनाये जा चुके हैं। अन्य स्थानों पर, जहां आवश्यक हो, रहने के क्वार्टर बनाने का कार्य हाथ में लिया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं। इन क्षेत्रों में केवल कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था है ।

दिल्ली में राजस्व के 'रिकार्ड' का गुम होना

†४५८१. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, १९५९ में दिल्ली के मुख्य आयुक्त को दिल्ली के कलैक्टर द्वारा १९५२ और १९५९ के बीच राजस्व (वसूली) के रिकार्ड का गैर-कानूनी रूप से अपने पास रखने और गुम कर देने के कथित मामलों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) :** (क) दिल्ली प्रशासन को ऐसे किसी मामले का पता नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय शिक्षा संस्था में वेतन क्रम

४५८२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतन-क्रमों को केन्द्रीय शिक्षा संस्था में किस तिथि से लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : भारत सरकार इस पर विचार कर रही है ।

केन्द्रीय शिक्षा संस्था का प्रयोगात्मक बुनियादी स्कूल

४५८३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय शिक्षा संस्था के प्रयोगात्मक बुनियादी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने पर क्या शोधकार्य किया गया और उस पर छात्रवृत्ति अथवा अन्य रूप में कितना रुपया व्यय किया गया ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि एक पी० एच० डी० का विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय की सम्मत्ति से इस विषय पर अनुसन्धान कर रहा था। उसे २ वर्ष तक २०० रु० प्रतिमास छात्रवृत्ति दी गई थी। दो वर्ष हुए उस की छात्रवृति की अवधि समप्त हो गई ।

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय शिक्षा संस्था में अनुसन्धान-कार्य

४५८४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय शिक्षा संस्था में भारतीय शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में भी कोई शोध कार्य किया गया है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : तीन एम० एड० विद्यार्थियों ने इस विषय पर कार्य किया है और अब एक पी० एच० डी० का विद्यार्थी इस विषय पर काम कर रहा है ।

केन्द्रीय शिक्षा संस्था

४५८५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय शिक्षा संस्था में कितने ईसाई धर्मप्रचारकों ने प्रवेश के लिये आवेदन किया ;

(ख) उन में से कितनों का चुनाव हुआ; और

(ग) उन में से कितनों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि दाखिले के प्रार्थनापत्रों से संबंधित अभिलेख दाखिला चाहने वालों की जाति और व्यवसाय को ध्यान में रख कर नहीं रखा जाता है ।

(ख) ४

(ग) ४

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था की इमारत

†४५८६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था की एक नयी ईमारत बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या लागत आई है; और

(ग) इस इमारत की विशेषतायें क्या हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) लागत का स्वीकृत प्राक्कलन ४,५१,२८५ रु० है । ठेकेदारों द्वारा बिल पेश किये जाने के बाद पता चलेगा कि कुल लागत कितनी आयी है ?

(ख) एक विवरण [देखिए परिशिष्ठ ६, अनुबन्ध संख्या २९] संलग्न है ।

दिल्ली की सड़कों पर पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों पर प्रतिबन्ध

†४५८७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उस समय, जब कि यातायात बहुत अधिक होता है, मुख्य सड़कों पर, पशुओं से खींचे जाने वाले वाहनों को चलाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस प्रतिबन्ध को सामूहिक रूप से उल्लंघन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जी, हां, जिला मैजिस्ट्रेट दिल्ली के दो आदेशों [प्रतियां संलग्न हैं--**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८०**] में बतायी गयी सड़कों पर ।

(ग) जी, नहीं :

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

भारत-नेपाल सीमा पर मुद्रा की कमी

†**४५८९. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत नेपाल सीमा पर स्थित बेरागनिया कस्बे (बिहार) में पिछले कुछ समय से १ रु० और २ रु० वाले नोटों की कमी पड़ गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ।

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). भारत सरकार को इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली । किन्तु राज्य सरकार और रिजर्व बैंक से रिपोर्ट मांगी गयी है ।

सशस्त्र सेनाओं के मुख्य कार्यालय में अर्ध-स्थायी लोअर डिवीजन क्लर्क

†**४५९०. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४-१९५८ के दौरान कुछ प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों से कुछ अर्ध-स्थायी लोअर डिवीजन क्लर्कों को सशस्त्र सेनाओं के मुख्य कार्यालय, दिल्ली में स्थानान्तरित किया गया था;

(ख) क्या सशस्त्र सेनाओं के मुख्य कार्यालय के प्रशासन द्वारा इन क्लर्कों के वहां प्रवेश के समय इन के अर्ध स्थायी पदों को रद्द कर दिया गया था;

(ग) क्या इस बारे में विधि मंत्रालय से सलाह ली गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उस मंत्रालय की राय क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां । उन लोगों के फालतू हो जाने और उन लोगों द्वारा नयी नियुक्तियां स्वीकार किये जाने के बाद ही उन का स्थानान्तरण किया गया था ।

(ख) उन के अर्ध-स्थायी पद को समाप्त करने के लिये कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किया गया था किन्तु यह निश्चय किया गया है कि जिस दिन उन लोगों के नाम पिछली नौकरियों से काटे गये थे उस दिन से उन का अर्ध-स्थायी पद समाप्त हो गया था । किन्तु ऐसे व्यक्तियों को अर्ध स्थायी बनाने के प्रश्न पर मुख्य कार्यालय में उन की नियुक्ति के पश्चात पहली जुलाई से विचार किया जाता है और इस प्रयोजन के लिये उन की पहली नौकरी का भी नियमों के अनुसार ध्यान रखा जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में कल्याण अधिकारी

†४५९१. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय और सशस्त्र सेना-मुख्य-कार्यालय नई दिल्ली में, कल्याण अधिकारियों के पदों के लिये क्या अर्हतायें निर्धारित हैं;

(ख) क्या इन पदों पर आजकल काम करने वाले व्यक्तियों में ये अर्हतायें हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का उन्हें कब बदलने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) से (ग). प्रतिरक्षा मंत्रालय सशस्त्र सेना मुख्य-कार्यालय में कल्याण अधिकारियों के पदों पर अवर-सचिव/असैनिक स्टाफआफिसर (ग्रेड १) की नियुक्ति हो सकती है। चुने हुए आफिसरों को अपने वेतन-क्रम के अनुसार वेतन मिलता है उन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता आदि नहीं मिलता। कल्याण अधिकारी का कार्य यह है कि वह सामान्य प्रशासनिक समस्याओं से परिचित हो और कल्याण-कार्यों में उस की रुचि होनी चाहिये। यद्यपि इस प्रकार की कोई अर्हतायें निर्धारित नहीं की गई हैं किन्तु नियुक्ति करते समय इन बातों पर ध्यान रखा जाता है।

सरकारी नौकरियों में राजनैतिक पीड़ित

†४५९२. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार राजनैतिक पीड़ितों को केन्द्रीय सरकार की सेवा में आने और तदोपरान्त तरक्की आदि देने के सिलसिले में, क्या रियायतें देती हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) :** जब अर्हता संबंधी शर्तें पूरी होती हों और उम्मीदवारों को योग्यता का अनुमान लगाने की अन्य विचारणीय बातें एक जैसी हों तो राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा लेने की बात को सरकारी सेवा में शामिल होने के लिये अतिरिक्त अर्हता समझा जाता है और जिन उम्मीदवारों ने देश की स्वतंत्रता के लिये कुर्बानी की हो उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। जहां तक पदोन्नति का सम्बन्ध है, राजनैतिक पीड़ितों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

दिल्ली में निःशुल्क शिक्षा

†४५९४. **श्री राम गरीब :** क्या **शिक्षा** मन्त्री २१ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली के मिडिल स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निश्चय कब किया गया था;

(ख) इस निश्चय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) १७ अप्रैल, १९६१।

(ख) और (ग). दिल्ली के सभी सरकारी और सरकारी-सहायता प्राप्त स्कूलों में छटी से आठवीं श्रेणी तक १-५-१९६१ से टयूशन फीस नहीं ली जायेगी। (पांचवीं श्रेणी तक शिक्षा पहले ही निःशुल्क है)।

---

†मूल अंग्रजी में

सेना मुख्यालय के अनुवादकों के वेतन-क्रम

†४५९५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वेतन आयोग की सिफारिशों पर स्वीकार किये गये संशोधित वेतन क्रम सेना मुख्यालय में काम करने वाले हिन्दी अनुवादकों पर लागू नहीं किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) केन्द्रीय सरकार में काम करने वाले अनुवादकों के लिये, वेतन आयोग ने कोई अलग संशोधित वेतन-क्रम मुकर्रर नहीं किए। तदपि वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिरक्षा संगठन के वेतन-क्रमों में, आम संशोधन के अंग स्वरूप, सैनिक मुख्यालयों के अनुवादकों के लिए, सितम्बर १९६० से संशोधित वेतन-क्रम स्वीकार किये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बोकारो इस्पात संयंत्र

†४५९६. **श्री प्र० च० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारों में सरकारी क्षेत्र में चौथे इस्पात संयंत्र में अमरीका द्वारा सहयोग देने की इच्छा का कोई संकेत मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में अमरीकी सरकार से सम्पर्क स्थापित किया गया है; और

(ग) इस परियोजना के लिये क्या और कितनी विदेशी सहायता की आवश्यकाता है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वण सिंह) :** (क) अभी तक इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिला।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इस परियोजना के लिये आयात किये जाने वाली मशीनों और उपकरणों पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा के लिये विदेशी सहायता की आवश्यकता है।

साहित्य अकादमी

†४५९७. { **श्री अगाडी :**
श्री सुगन्धि : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री १८ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी की स्थापना से लेकर इसके कार्यपालिका बोर्ड और सामान्य परिषद के सदस्यों द्वारा लिखी गयी कितनी पुस्तकों का अनुवाद करने की सिफारिश की गयी है और इनमें से प्रत्येक सदस्य को कितना रुपया दिया गया ;

(ख) साहित्य अकादमी के कितने कर्मचारियों को अनुवाद का काम सौंपा गया और उन्हें साहित्य अकादमी की स्थापना से लेकर अब तक प्रति वर्ष कितना पारिश्रमिक दिया गया ;

(ग) क्या कोई किताब आन्ध्र प्रदेश और मैसूर के छापेखानों को छापने के लिये दी गयी; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो कितने छापेखानों को और उन्हें कितनी अदायगी की गयी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :**

(क) क्रम संख्या	पुस्तक का नाम और भूल भाषा	लेखक	पद	रायल्टी १९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१
				रु०	रु०	रु०
१.	बाणभट्ट की आत्म-कथा (हिन्दी)	डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी	कार्य-पालिका बोर्ड के सदस्य	१७६.३२	९८.२४	६९.४४
२.	केरल सिंहम (मलयालम उपन्यास)	सरदार के० एम० पण्णि-कर	सामान्य परिषद के सदस्य	१३३.९८	११.५५	७.५६
३.	मातीर मानिष (उड़िया उपन्यास)	श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही	कार्य-पालिका बोर्ड के सदस्य	३३६.७२	२१३.९७	६.४५

(ख) दो । कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया ।

(ग) और (घ). निम्नलिखित अदायगी की गयी :—

	छापखाने का नाम	जितना धन दिया गया
१.	मैसर्स बी० बी० डी० पावर प्रेस, बंगलौर (मैसूर राज्य)	५,७६६.६९ रु० ।
२.	मैसर्स त्रिवेणी प्रेस, मसूलीपत्तम (आन्ध्र प्रदेश)	२,८८३.९४ रु० ।

'मरली मन्निज' नामक कन्नड़ पुस्तक

†४५९८. { **श्री अगाडी :**
श्री सुगन्धि :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-काय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री करन्ट द्वारा लिखित "मरली मन्निज" नामक कन्नड पुस्तक के तेलगू तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित किये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) तेलगू अनुवाद को सलाहकार बोर्ड की मंजूरी मिलने वाली है और तमिल अनुवाद अभी पूरा नहीं हुआ ।

खान और ईंधन विभाग में अधिकारियों का मुअत्तल किया जाना

†४५९९. **श्री सुगन्धि :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान और ईंधन विभाग के कुछ अधिकारियों को १९६० के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में मुअत्तल किया गया था,

(ख) यदि हां, तो इन आरोपों का व्यौरा क्या है; और

(ग) यह जांच किस प्रक्रम पर है और इसके कब पूरे होने की सम्भावना है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां। वर्ष १९६० में एक अधिकारी को मुअत्तल किया गया था।

(ख) और (ग). उनके विरुद्ध यह आरोप था कि उन्होंने एक फर्म के प्रतिनिधि से रिश्वत लेने की कोशिश की थी। गृह-कार्य मन्त्रालय द्वारा अनुशासात्मक जांच की जा रही है। सम्बन्धित अधिकारी को यह नोटिस दिया गया है कि वह बतायें कि उन्हें नौकरी से क्यों न निकाल दिया जाये। आशा है कि इस मामले का फैसला तीन महीने के अन्दर हो जायेगा।

भारतीय शिक्षा सेवा को पुनः चालू करना

†४६००. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिये भारतीय शिक्षा सेवा को पुनः चालू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

'नाइट रनर्स आफ बंगाल' नामक उपन्यास

†४६०१. **श्री रामजी वर्मा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जान मास्टर द्वारा लिखित 'नाइट रनर्स आफ बंगाल' नामक उपन्यास के विरुद्ध 'थंडर' नामक अंग्रेजी पत्रिका में प्रकाशित आलोचना की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि यह उपन्यास झांसी की रानी और १८५८ के स्वातन्त्र्य युद्ध के योद्धाओं के विरुद्ध लिखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) मैं ने यह रिपोर्ट देखी है।

(ख) और (ग). पुस्तक का अनुशीलन किया जा रहा है।

मद्रास में स्मारकों की देखभाल

†४६०२. **श्री तंगामणि :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र संरक्षित प्राचीन स्मारकों की रक्षा के लिये अलग से धनराशि निर्धारित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९६०-६१ के लिये मद्रास राज्य के लिये कितनी धन-राशि रखी गयी है; और

(ग) क्या ऐसे स्मारकों और मन्दिरों की अधिक संख्या को देखते हुए इस धनराशि में वृद्धि की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां।

(ख) इन स्मारकों की देखभाल के लिये धनराशि राज्यवार नहीं बल्कि मण्डल वार निर्धारित की जाती है। दक्षिण मण्डल, मद्रास के लिये ४,६०,००० रु० निर्धारित किया गया जिसमें मद्रास राज्य केरल और मैसूर राज्य के कुछ स्मारक शामिल हैं।

(ग) स्मारकों की आवश्यकतानुसार धन-राशि की व्यवस्था की जायेगी।

गणतंत्र दिवस की पैरेड के लिए राज्यों को प्रदत्त धन

†४६०३. **श्री तंगामणि** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गणतंत्र दिवस की पैरेड के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को धन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो १९६१ के गणतंत्र दिवस के लिए कितना आवंटन किया गया है; और

(ग) प्रत्येक राज्य को कितना आवंटन किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

चीनी उद्योग के लिये ऋण-नियंत्रण

†४६०४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बात की संभावना है कि रिजर्व बैंक चीनी उद्योग के लिए ऋण-नियंत्रण को कुछ ढीला करेगा और चीनी-अग्रिमों सम्बन्धी सीमा में कुछ कमी की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) कब से ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (ग). रिजर्व बैंक ने २१ अप्रैल, १९६१ से चीनी के बदले बैंकों द्वारा अग्रिम देने पर लगाये गये प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया है।

मनीपुर में कैदी

†४६०५. **श्री लें० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ मार्च, १९६१ को मनीपुर के जिला और सैशन जज ने ६ व्यक्तियों को मनीपुर में प्रतिनिधि-शासन की स्थापना सम्बन्धी आन्दोलन के सिलसिले में भारतीय दंड संहिता के सैक्शन ३०७ के अधीन ४ वर्ष कड़े कारावास का दंड दिया;

(ख) क्या सरकार को इन कैदियों की रिहाई के बारे में अभ्यावेदन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निश्चय किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जी हां। सब परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् चार व्यक्तियों को १७-४-१९६१ को रिहा कर दिया गया था। शेष दो व्यक्ति सज़ा काट रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

केन्द्रीय एजेंसी

४६०६. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय एजेंसी के कृत्य तथा कर्त्तव्य क्या हैं;

(ख) इस एजेन्सी के साथ कौन-कौन सी राज्य सरकारें सहयोग कर रही हैं और यह सहयोग किस प्रकार दिया जाता है;

(ग) इसके क्या कारण हैं कि अन्य राज्य विशेष-कर पश्चिमी बंगाल इसे सहयोग नहीं देते;

(घ) इस एजेन्सी ने विशेष कर १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में विभिन्न राज्यों के कितने मुकदमे निबटाये;

(ङ) इन मुकदमों के लिए गत दो वर्षों में पारिश्रमिक अथवा फीस के रूप में कितनी राशि दी गई;

(च) विभिन्न श्रेणी के मुकदमों के लिए राज्यों से किस दर से फीस अथवा पारिश्रमिक वसूल किया गया;

(छ) एजेन्सी में स्थायी रूप से काम करने वाले कितने पदाधिकारी हैं और उनके वेतन अथवा फीस आदि क्या हैं;

(ज) तालिका में कितने अधिवक्ता हैं और उनके पारिश्रमिक अथवा फीस की दर, मुकदमेवार अथवा अन्यथा, क्या है;

(झ) प्रत्येक राज्य अथवा उच्च न्यायालय में ऐसे मुकदमों को निबटाने के लिए कितने अधिवक्ता अथवा अन्य व्यक्ति हैं; और

(ञ) क्या इस एजेंसी के कारण उच्चतम न्यायालय में एक स्वतंत्र विधिजीवि परिषद् के निर्माण और विकास में कोई बाधा नहीं पड़ती ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) विधि मंत्रालय का केन्द्रीय एजेन्सी सेक्शन राज्य सरकारों से परामर्श करके भारत के संविधान के प्रारम्भ होने पर इस दृष्टि से स्थापित किया गया था कि उच्चतम न्यायालय में होने वाले जिन मामलों से भारत सरकार और वे राज्य सरकारें, जो इस स्कीम में शामिल हुई हैं, सम्बद्ध हैं उन सब मामलों में यह सेक्शन पैरवी करे । अभी इसमें केन्द्रीय सरकार के तीन पूर्णकालिक पदाधिकारी हैं । ये उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट आन-रिकार्ड हैं और उनकी सहायता के लिए थोड़े से कर्मचारी हैं । समय समय पर अनेक राज्यों ने इस योजना में भाग लिया है । इस सेक्शन के पदाधिकारी उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार और इस योजना में शामिल होने वाली राज्य सरकारों के सभी मुकदमों का कार्यभार साधारणतः सम्भालते हैं, भारत संघ और इस योजना में सम्मिलित होने वाली राज्य सरकारों के एडवोकेट आनरिकार्ड के रूप में कार्य करते हैं, उनके अल्प महत्व वाले विविध मुकदमों में पैरवी करते हैं और भारत सरकार तथा इस योजना में सम्मिलित होने वाली राज्य सरकारों ने कौन्सलों की जो तालिका इस प्रयोजन के लिए बनाई है मुकदमे की सब बातें उन्हें बताते हैं । उच्चतम न्यायालय में ऐसे जो मामले हों जिन में भारत सरकार और इस योजना में सम्मिलित होने वाली सरकारें पक्षकार तो नहीं हैं लेकिन उनका हस्तक्षेप आवश्यक है, उन सब मामलों की सूचना भी ये भारत सरकार और उन राज्य सरकारों को देते रहते हैं ।

---

†मुल अंग्रेज़ी में

(ख) फिलहाल इस योजना में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा जम्मू और काश्मीर के राज्य सम्मिलित हुए हैं। बिहार राज्य अपने कुछ मुकदमों में अपनी ओर से एडवोकेट के रूप में काम करने के लिए अन्य एडवोकेटों को भी नियोजित करता है। अन्य राज्य सरकारों द्वारा जो यद्यपि इस योजना में सम्मिलित नहीं हैं, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट द्वारा चलाये जाने वाले फौजदारी मुकदमों में भी इस सेक्शन के पदाधिकारी एडवोकेट आनरिकार्ड के रूप में नियुक्त किये जाते हैं। सम्बन्धित राज्य सरकारें अपने मुकदमों में इस सेक्शन के पदाधिकारियों को हिदायतें देती हैं और उन सरकारों ने ऐसे एडवोकेटों की तालिकाएं तैयार कर रखी हैं जो आवश्यकता पड़ने पर मुकदमे में बहैसियत एडवोकेट काम करने के लिए लगाये जाते हैं। यह सेक्शन लाभार्जन के उद्देश्य से नहीं चलाया जा रहा है और जो खर्चा आता है उसे आपस में बांट लेने की व्यवस्था है। इस योजना में सम्मिलित होने वाली राज्य सरकारें इस सेक्शन पर होने वाले खर्चों में अपना हिस्सा प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर उस हिसाब से देती हैं जो इस सेक्शन द्वारा किये गये मुकदमों की संख्या और स्वरूप के आधार पर तय पाया गया है।

(ग) कोई भी राज्य सरकार इस योजना में सम्मिलित होने के लिए बाध्य नहीं है और उनमें से कुछ ने अपने अलग प्रबन्ध करना ठीक समझा है। १९५७ में हुए विधि मंत्रियों के सम्मेलन में, पश्चिमी बंगाल के तत्कालीन विधि मंत्री ने कहा था कि उन्होंने जो प्रबन्ध किये हैं वे सस्ते और कारगर हैं। जो अन्य राज्य सरकारें इस योजना में सम्मिलित नहीं हुई हैं, उन्होंने ऐसा न करने के कोई कारण नहीं बताये हैं।

(घ) वर्ष १९५८, १९५९ और १९६० का विवरण उपाबन्ध के रूप में संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८१]

(ङ) १९५९ और १९६० में इस सेक्शन पर हुआ कुल व्यय और इस योजना में सम्मिलित होने वाले राज्यों ने इस व्यय में जो अपना कुल हिस्सा दिया है वे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	कुल व्यय	कुल अंशदान
१९५९ .	१,२६,१७६.९४ रु०	७४,१९३.७९ रु०
१०६० . .	१,३०,८६०.४३ रु०	७१,१७३.२९ रु०

(ऊपर लिखे आंकड़ों में हिस्सा लेने वाली सरकारों द्वारा पैरवी के लिए नियोजित एडवोकेटों की फीसें और उन द्वारा कोर्ट फीस के सम्बन्ध में किये गये व्यय सम्मिलित नहीं हैं)

(च) हिस्सा लेने वाली सरकारों द्वारा किये जाने वाले अंशदान उनके मुकदमों की संख्याओं और स्वरूप के अनुसार तय किये जाते हैं। हिस्सा लेने वाली सरकारों के जो मुकदमे होते हैं उन बाबत लगने वाले खर्चों का हिसाब पहले नीचे लिखे आनुमानिक आधार पर लगाया जाता है :—

सिविल अपील	५०० रु०
क्रिमिनल अपील	५०० रु०
रिट पिटीशन . .	२५० रु०
स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करना	१५० रु०
स्पेशल लीव पिटीशन में विरोध करना .	१०० रु०
विविध	५० रु०

इसके पश्चात् इस उपविभाग के समस्त व्यय जिसमें पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, स्टेशनरी, लायब्रेरी और टेलीफोनों का खर्च और डाक शुल्क, यात्रा भत्ता आदि जैसे अन्य प्रासंगिक खर्च शामिल हैं, भारत सरकार और हिस्सा लेने वाले राज्यों के बीच उस खर्च के अनुपात में बांट लिये जाते हैं जो कि ऊपर लिखे हिसाब से उन मुकदमों के लिए उन्हें अपनी अपनी ओर से देना है ।

(छ) उपाबन्ध II के रूप में विवरण संलग्न है । **(देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८२)** ।

(ज) उपाबन्ध III के रूप में विवरण संलग्न है । **(देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८३)**

(झ) उपाबन्ध III में के विवरण में प्रत्येक राज्य सरकार की तालिका में अधिवक्ताओं की संख्या दी गई है । केन्द्रीय एजेन्सी सेक्शन उच्च न्यायालय में होने वाले मामलों में कार्यवाही नहीं करता ।

(ञ) जी, नहीं ।

मछुवों की शिक्षा

†४६०६-क. **श्री वें० प० नायर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि मछुवों की शिक्षा के लिए १९५१ के पश्चात कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी है, तो वह क्या है ; और

(ख) भारत के अन्य व्यवसायिक समुदायों जैसे औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक आदि की तुलना में मछुवों में शिक्षा का प्रसार कितना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) मछुवों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी कोई विशेष योजना नहीं है जिसके अधीन केन्द्रीय सहायता दी गयी हो । जहां पर मछुवों का सम्बन्ध पिछड़े वर्गों, से है वहां पर उनके लाभार्थ शिक्षा की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार सहायता देती है ।

(ख) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

कलिंग उद्योग लिमिटेड

४६०६-ख. **श्री प्र० के० देव:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड द्वारा कलिंग उद्योग लिमिटेड को ऋण दिये जाने के लिए जमानत देने के निमित्त उड़ीसा सरकार ने उनके साथ कोई त्रिदलीय करार किया है और यदि हां कलिंग लिमिटेड ने कुल कितना ऋण लिया है ; और

(ख) क्या त्रिदलीय करार की एक शर्त यह है कि कलिंग उद्योग लिमिटेड द्वारा ५००० रुपये से अधिक कोई खर्च उड़ीसा सरकार के उद्योग संचालक की पूर्व अनुमति से किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) राज्य सरकार ने उड़ीसा के क्योनझर जिले में बरबिल में कंपनी द्वारा कच्चा लोहा तैयार करने के लिए लो शैफ्ट फरनेस प्लान्ट की स्थापना

†मूल अंग्रेजी में

के लिए २५ लाख रुपये के ऋण के लिए प्रत्याभूति दी है। कंपनी बैंक से यह रकम पहले ही ले चुकी है।

(ख) जी नहीं। इस गारंटी के संबंध में मई १९५८ में राज्य सरकार के पक्ष में कंपनी द्वारा उद्योगों के लिए उड़ीसा राज्य सहायता नियमों के उपबन्धों के अधीन किये गये करार के खंड १३ में यह व्यवस्था है कि निम्नलिखित कार्यों के लिए उड़ीसा के उद्योग संचालक की पूर्व अनुमति कंपनी को प्राप्त करनी होगी :—

(क) ५०० रुपये माहवार से अधिक वेतन वाली सभी नियुक्तियां

(ख) किसी एक मद में ५००० रुपये से अधिक खर्च वाले सभी आकस्मिक और पूंजी खर्च

(ग) ५००० रुपये से अधिक कोई वित्तीय वचन या ठेका।

भारतीय वायुवल के डकोटा वायुयान के लापता होने के बारे में वक्तव्य

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : कल मैंने सभा को बताया था कि वायु बल का एक डकोटा जो १ मई को संभरण लेकर आगरा से चला था खो गया है। गत रात्रि को सैनिक साधनों से जो समाचार मिले हैं उनसे पता चला है कि उस वायुयान के कुछ जीवित व्यक्ति जोशीमठ से २० मील दूर एक पुलिस चौकी के निकट पाये गये हैं।

यह वायुयान जो १ मई १९६१ को संभरण अभियान पर आगरा से चला था और इसमें कुल मिलाकर ९ व्यक्ति थे जिसमें से ४ तो वायुयान चालक थे और ५ इंजेक्शन वर्ग के लोग थे। जब यह वायुयान निश्चित समय पर नहीं पहुंचा तो भूमि तथा वायु में इसकी पूरी पूरी तलाश की गई। ३ मई तक इस जहाज़ की तलाश में २८ बार हवाई तलाश की गई। इस तलाश में सैनिक तथा असैनिक व्यक्तियों ने भी सहायता की।

इस वायुयान के चार व्यक्तियों को देहली लाने का प्रयत्न जारी है। जो समाचार मिला है उसकी पुष्टि होने तक तथा और आगे समाचार मिलने तक उनके उत्तराधिकारियों को सूचना दे दी गई है कि अभी तक इन चालकों का कोई पता नहीं चला है। क्योंकि इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। एक जांच अदालत के आदेश दे दिये गये हैं।

जहां तक खोये हुए व्यक्तियों का सम्बन्ध है, दो व्यक्ति दो चालकों में से गुम है तथा ३ व्यक्ति इंजेक्शन वर्ग में से खोये हुए हैं। जो व्यक्ति जीवित हैं उनमें से एक तो कप्तान है, एक सह-चालक है दो व्यक्ति दूसरे पद के हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : पता चला है कि आगरा से उड़ने के ४ मिनट बाद ही इस वायुयान का हवाई अड्डे से सम्पर्क समाप्त हो गया था, फिर ऐसी स्थिति में क्या किया गया ? अगर ४ मिनट बाद ही इस वायुयान को ढूंढने का प्रयत्न किया गया होता तो न तो यह वायुयान खोता हो, अथवा न इसके गिरकर टूटने की संभावना ही होती ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री कृष्ण मेनन** : मुझे तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन फिर भी जांच अदालत की नियुक्ति का आदेश दे दिया गया है जो इन सब बातों की जानकारी करेगी।

†**श्री ब्रजराज सिंह** :क्या प्रतिरक्षा मंत्री को इस बात की सूचना मिली है कि यह वायुयान ६.४३ पर रवाना हुआ और ६.४७ पर इस वायुयान का सम्पर्क समाप्त हो गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री महोदय को कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। जो कुछ हुआ है वह जांच अदालत मालूम करेगी और उसका प्रतिवेदन हमें मिलेगा।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश के एक गांव में अनुसूचित जातियों के लोगों के मकानों में आग लगाने की कथित घटना

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक) : मैं नियम १९७ के अधीन, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के दौला रघुवीर दयाल गांव में ठाकुरों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के ८० घरों को आग लगा देने की कथित घटना के बारे में माननीय गृह-कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं तथा निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य भी दें।

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: यह बताया गया है कि बरेली ज़िले के रघुवीरदयाल नामक गांव में जो अभी हाल में पंचायतों के चुनाव हुए थे उनमें उस गांव के ठाकुरों की हार हुई क्योंकि वहां के जाटवों ने, जो कि अनुसूचित जाति है, उन ठाकुरों का समर्थन नहीं किया था। झंडूसिंह तथा चन्दरसिंह नामक दो ठाकुर चोखे जाटव के शत्रु बन गये और उन्होंने उसके मकान में २५ फरवरी, १९६१ को आग लगा दी। तेज हवा के कारण यह आग आस पास के घरों तक जा पहुंची और ६८ घरों को जला डाला। ऐसा अनुमान है कि इस आग से ३०,००० रुपये की हानि हुई। मानव क्षति तो कोई नहीं हुई लेकिन तीन या चार पशु या तो जल गये अथवा आहत हुए।

२. श्री चोखे जाटव ने इसकी सूचना पुलिस में दी और भारतीय दंड संहिता की धारा ४३६ के अधीन मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मामले की जांच की और झंडूसिंह तथा चन्दरसिंह पर मुकदमा चलाया गया। अदालत में यह मामला अभी तक चल रहा है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : जिनके झोंपड़ों में आग लगाई गई थी, उनको मकान बनाने और बसने के लिये सरकार क्या सहायता दे रही है?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: इसके संबंध में मुझे कोई सूचना नहीं है। इसका सारा दायित्व राज्य-सरकार का है। आशा है वही कुछ करेगी।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : क्या यह निश्चित तौर पर पता लगा लिया गया है कि आग ठाकुरों ने ही लगाई थी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे मालूम नहीं। झंडूसिंह और चन्दरसिंह—नाम तो ठाकुरों के ही मालूम पड़ते हैं। जो भी हो, उन पर मुकदमा चल रहा है। उसके खत्म होते ही हमें सारी बात पता चल जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वाजपेयी :** ध्यान दिलाओ प्रस्ताव की सूचना में भी इस घटना को लेकर सारे ठाकुर समुदाय को दोषी ठहराया जा रहा है। जिन व्यक्तियों ने यह कांड किया, उनकी निन्दा होनी चाहिये। पूरे समुदाय को उसकी लपेट में नहीं लेना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री वाजपेयी ने यह एक बड़ा ही संगत प्रश्न उठाया है। इसीलिये मैं चाहता हूं कि सारे तथ्य पेश किये जायें। यह नहीं लगना चाहिये कि एक सारा समुदाय ऐसा कर रहा है।

ऐसे प्रश्न उठाने वाले माननीय सदस्यों को मेरी सलाह है कि वे तथ्यों का पूरी-तौर से सत्यापन कर लें। ठाकुरों की बजाय 'कुछ ठाकुरों' कहना ज्यादा अच्छा होगा।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** पंचायत के चुनावों में अनुसूचित जातियों के लोगों के अलावा अन्य लोगों ने भी आग लगाने वालों के विरुद्ध वोट दिये थे। लेकिन आग केवल अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में ही लगाई गई। क्यों ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ऐसा वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दूंगा। पूरे समुदाय को दोषी ठहराना अनुचित है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) :उत्तर प्रदेश में भी विधि और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। पंचायत के चुनाव में प्रधान चुने जाने वाले एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसलिये सवाल केवल अनुसूचित जाति का नहीं, बल्कि विधि और व्यवस्था की स्थिति का है।

———

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

सरकारी टेलीफोन बोर्ड लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा-परीक्षित लेखा तथा टिप्पणियां

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९-६० के लिये सरकारी टेलीफोन बोर्ड लिमिटेड की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी०--२९३२/६१]**

मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में प्रचलित पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ के हिमाचल प्रदेश गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या टी० १०२-४१-५७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०--२९३३/६१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं राष्ट्रपति द्वारा उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में जारी की गयी दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (४) के साथ पठित उड़ीसा बिक्री कर एक्ट, १९४७ की धारा २९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ के उड़ीसा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ९७६–सी०टी०ए०–७/६० एफ० ।

(दो) दिनांक २० फरवरी, १९६१ के उड़ीसा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ५०८१–सी०टी०ए०–३५२/६१–एफ० ।

(तीन) दिनांक ८ मार्च, १९६१ के उड़ीसा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ६६२५–सी० टी० एस०–५९–६०– एफ० ।

(चार) दिनांक १४ मार्च, १९६१ के उड़ीसा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ६६२७–सी० टी० ए०–५९/६० एफ० । **[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी०——२९३४/६१]**

कोयला खानों के अतिरिक्त अन्य खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति के दूसरे अधिवेशन के मुख्य निष्कर्ष

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं २४ अप्रैल, १९६१ को नई दिल्ली में हुए कोयला-खानों के अतिरिक्त अन्य खानों संबंधी औद्योगिक समिति के दूसरे अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०——२९३५/६१]**

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें/नियम

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(१) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३–ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० ५४४ ।

(ख) दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ को जी० एस० आर० ५४५ ।

(२) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३–ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० ५४२ ।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

(ख) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) **नियम,** १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० ५४३ ।

(ग) दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० ५४६ जिस में दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० १८८ का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

(३) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक २० अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५८२ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (छठा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी०-- क्रमशः २९३६/६१; २९३७/६१; और २९३८/६१]

निर्वाचन के संचालन-नियम

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: मैं, श्री हजरनवीस की ओर से, लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८५९ में प्रकाशित निर्वाचनों का संचालन नियम, १९६१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--२९३९/६१]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही-सारांश

†**सरदार हुकम सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की तेरहवें सत्र के दौरान हुई बैठकों (सतहत्तर से पचासीवीं तक) के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

कार्यवाही-सारांश

†**सरदार हुकम सिंह** (भटिंडा) : मैं अधीस्थ विधान सम्बन्धी समिति की तेरहवें सत्र के दौरान हुई बैठकों (इकतीसवीं और बत्तीसवीं) के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

कार्यवाही-सारांश

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की तेरहवें सत्र के दौरान हुई बैठकों (तेईसवीं और चौबीसवीं) के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुए हैं :—

(१) कि राज्य-सभा २ मई, १९६१ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा २६ अप्रैल, १९६१ को पास किये गये अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(२) कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा २५ अप्रैल, १९६१ को पास किये गये औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक, १९६१ के बारे में कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

अधीनस्थ विधान सम्बंधी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सालारगंज संग्रहालय विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा डा० म० मो० दास द्वारा ३ मई को प्रस्तावित सालार जंग संग्रहालय विधेयक के विचार प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रखेगी ।

श्री रंगा ।

†**श्री रंगा** (तेनालि): मैं आंन्ध्र प्रदेश को बधाई देता हूं कि उसने सालारजंग संग्रहालय का अर्जन किया है । बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माननीय मंत्री ने इस संग्रहालय को राष्ट्रीय संग्रहालय बना दिया है ।

भारतीय इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से यह संग्रहालय बेजोड़ है । सालारजंग परिवार की कई पीढ़ियों ने यह संग्रहालय बनाया है । और यह एक बड़े श्रेय की बात है कि अब उन्होंने इस राष्ट्र को सौंप दिया है । इसके लिये सालारजंग के परिवार के प्रति हम कृतज्ञ हैं ।

इस संग्रहालय के प्रबन्ध बोर्ड में संसद् और आन्ध्र प्रदेश के विधान मंडल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये ।

आशा है कि सरकार इस संग्रहालय को और अधिक सम्पन्न बनाने के लिये प्रयत्नशील रहेगी । और उसके लिये निधियों की कमी नहीं रहेगी । संग्रहालय के लिये ४—५ गुना अधिक स्थान चाहिये ।

मैं सरकार को इस विधेयक के लिये बधाई देता हूं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : सालारजंग संग्रहालय और सालारजंग पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने वाले इस विधेयक का स्वागत है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त० ब० विट्ल राव]

स्वर्गीय, नवाब सालार जंग ने इसे स्वयं संग्रहीत किया था। यह संग्रहालय इतना बेजोड़ है कि लोग दूर-दूर से केवल इसी को देखने के लिये हैदराबाद आते हैं।

सरकार को सालारजंग पुस्तकालय में संग्रहीत दुर्लभ पाण्डुलिपियों के अभिरक्षण के लिये उचित सावधानी बरतनी चाहिये। इस अभिरक्षण कार्य के लिये कर्मचारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। उनका प्रशिक्षण काफी उच्च स्तर का होना चाहिये।

संग्रहालय के लिये उपयुक्त इमारत तैयार कराने में विलम्ब नहीं होना चाहिये। उसके लिये २० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। उसकी आधारशिला भी रखी जा चुकी है। लेकिन निर्माण की गति बड़ी धीमी ह।

अभी इस संग्रहालय का प्रवेश-शुल्क एक रुपये से अधिक है। मैं मानता हूं कि इस संग्रहालय के संधारण के लिये काफी धन चाहिये, फिर भी प्रवेश शुल्क ५० नये पैसे से अधिक नहीं रखना चाहिये। खण्ड ५ में बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार बोर्ड के लिये तीन सदस्य और आन्ध्र सरकार दो नामजद कर सकती है। नामजदगी की व्यवस्था सिद्धान्ततः गलत है। मेरा उससे बुनियादी मतभेद है। सरकार कभी-कभी ऐसे सदस्य नामजद कर देती है, जिनको संबंधित विषय का कोई ज्ञान नहीं होता। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद किये जाने वाले तीनों सदस्य दोनों सदनों के माननीय सदस्यों में से निर्वाचित किये जायें और दो सदस्य आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा तथा एक सदस्य विधान परिषद् से निर्वाचित हो।

और निर्वाचित ऐसे ही माननीय सदस्य किये जायें जिनको संग्रहालय विद्या का समुचित ज्ञान हो।

दूसरी चीज यह कि आन्ध्र के महालेखापरीक्षक को बोर्ड में स्थान देना आवश्यक है। वैसे भी व्यवस्था है ही कि वह संग्रहालय के लेखों की लेखापरीक्षा करेंगे।

एक व्यवस्था यह भी है कि यदि बोर्ड का कोई सदस्य बोर्ड की बैठक में भाग लेने न आने वाला हो, तो वह सभापति की अनुमति से किसी दूसरे व्यक्ति को बैठक में अपनी ओर से भाग लेने के लिये प्राधिकृत कर सकता है। बोर्ड के सभापति आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल ही हैं। बोर्ड की बैठकें साल में दो या तीन ही होती हैं। इसलिये ऐसी कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। सदस्यों को स्वयं बैठकों में भाग लेना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : मुझे सरकार के इस विषय से संबंधित रवैये के बारे में कुछ शंकायें हैं।

संग्रहालय कोई साधारण सी चीज नहीं होती। वह एक वैज्ञानिक संस्था की तरह होती है। यूनेस्को ने संग्रहालयों की परीभाषा में इसी बात पर जोर दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अभी कुछ वर्ष पहले, संग्रहालयों सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सर्वेक्षण समिति ने भारत के संग्रहालयों के सम्बन्ध में कई सिफाहिशें की थीं। सरकार ने इस विधेयक को तैयार करते समय उन सिफारिशों को सामन नहीं रखा। सरकार ने उनपर ठीक से विचार नही किया।

हमारे देश में संग्रहालयों का भार संभालने योग्य व्यक्तियों की कमी है। हमारे पास जितने व्यक्ति हैं, उनको देखते हुए, देश में केवल एक राष्ट्रीय संग्रहालय की गुंजाइश है। क्योंकि सुयोग्य व्यक्ति जुटाना अपने आप में एक समस्या होगी। हम जब राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करते हैं, तो उसे वास्तव में कुछ होना भी तो चाहिये।

माननीय मंत्री चाहते हैं कि देश में कई राष्ट्रीय संग्रहालय हों। ठीक है, लेकिन उनके लिये सुयोग्य व्यक्ति हैं कहां ?

हमें अपनी शक्ति को हर दिशा में बिखरा कर उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने मौजूदा संग्रहालयों को ही श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर बनाने के लिये प्रयत्न शील रहें।

आखिर, राष्ट्रीय संग्रहालय का यह अर्थ तो नहीं कि उसमें केवल कौतूहल पैदा करने वाली, विचित्र सी वस्तुओं का संग्रह हो। ऐसी वस्तुयें चाहे कितनी ही मूल्यवान क्यों न हों, पर उनसे राष्ट्रीय संग्रहालयों की अपेक्षा पूरी नहीं होगी। राष्ट्रीय संग्रहालय में तो ऐसी वस्तुओं का संग्रह होना चाहिये जो शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हों।

सर्वेक्षण समिति ने भी केवल एक राष्ट्रीय संग्रहालय की बात कही थी। कलकत्ता संग्रहालय उसके लिये बिल्कुल उपयुक्त था। फिर, कई राष्ट्रीय संग्रहालयों की बात क्यों की जा रही है ?

मैं मानता हूं कि सालारजंग संग्रहालय बहुत अच्छा है और उसका विकास किया जाना चाहिये। लेकिन उसका विकास करने के लिये यह जरूरी नहीं कि उसे राष्ट्रीय संग्रहालय की ही प्रतिष्ठा दी जाये। उसे प्रादेशिक संग्रहालय के रूप में भी तो विकसित किया जा सकता था।

समिति की सिफारिशों के बावजूद, सरकार इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि इस क्षेत्र में हम इतनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।

मेरी आलोचना को गलत नहीं समझा जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार की नीति क्या है। सरकार 'संग्रहालय' की क्या परिभाषा करती है? समिति के प्रतिवेदन की इतनी उपेक्षा क्यों की गई है। आशा है सरकार इन प्रश्नों का उत्तर देगी।

श्री हेडा (निजामाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था और आज जब यह इस सदन में आया है तो स्वभावतः मैं इसका स्वागत करता हूं।

इस मौके पर नवाब सालारजंग की याद आना स्वाभाविक है। खास तौर पर मुझ जैसे व्यक्ति को जिसको उनसे मिलने का कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ याद आना स्वाभाविक है। मैं उस जमाने में भी उनसे मिला था जब कि मेरे राजनीतिक विचार काफी उग्र माने जाते थे। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के कारण एक प्रकार से उसका एक अविच्छिन्न अंग रईसों की जमायत में मैं माना जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी पांच छः बार जब कभी भी मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला, सार्वजनिक कार्य के सिलसिले में या दूसरे कार्यों के सिलसिले में वह बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ पेश आये। उनकी शराफत और भलमनसाहत का मुझ पर बड़ा अच्छा असर पडा।

दूसरी विशेषता उनमें यह थी कि वह समय के बड़े पाबन्द थे। आम तौर पर रईसों की रईसी इसी में समझी जाती है कि वे समय पर कार्य नहीं करते हैं, समय के पाबन्द नहीं होते हैं, देरी करते हैं। लेकिन उनके अन्दर यह बात नहीं थी। वह समय के बड़े पाबन्द थे।

[श्री हेडा]

उनमें एक यह भी खासियत थी कि जो उनका नुक्तेनजर था, जो उनका दृष्टिकोण था वह बड़ा विशाल था। वह काफी बातें जानते थे और विशेषकर संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में, तमद्दुन के बारे में या कला के बारे में जब कभी बोला करते थे तो अथारिटी के साथ बोलते थे जापानी, राजपूती, मुगल, चाईनीज, इटैलियन आर्ट और पेंटिंग्ज आदि का जब जिक्र आता था तो उनकी पैनी दृष्टि से कोई भी त्रुटि गुजर नहीं सकती थी, उसको वह बता देते थे जब कभी भी उनसे कोई बातचीत होती थी तो बहुत सुन्दर ढ़ंग से होती थी और ऐसी होती थी जो चिर-स्मरणीय बन कर रह जाती थी।

रईस तो हैदराबाद में काफी थे और उनसे भी बड़े-बड़े रईस थे जैसे पायगा और दूसरे। लेकिन इनके अन्दर विशेषता यह थी कि वह कला के अत्यन्त भक्त थे और इसी कारण उन्होंने इन सभी चीजों का संग्रह किया। जिन चीजों को खरीद करने में उन्होंने अपने जमाने में लाखों रुपय खर्च किया आज उनकी कीमत दस गुना या बीस गुना हो गई होगी।

[**श्री जगन्नाथ राव** पीठासीन हुए]

वह एक के बाद दूसरी वस्तु खरीदते गये और उस को रखते चले गये। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी और हर एक चीज को वह याद रखते थे। मुझे मणियों की बात याद है। वह १०८ मणियां खरीदना चाहते थे सौ मणियां तो वह खरीद चुके लेकिन सात आठ नहीं खरीद सके। जहां कहीं भी वह मणियों को देखने जाते थे, फौरन ताड़ जाते थे कि ये उनकी जो पहली मणियां खरीदी हुई हैं, उनसे मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। अगर मिलती थीं तो खरीदते थे और अगर नहीं मिलती थीं तो नहीं खरीदते थे। अपने जीवन के अन्तिम सात आठ वर्ष में उन्होंने वे मणियां भी खरीद लीं। वह चीजों को खरीद कर रखते जाते थे और पलट कर देखते भी नहीं थे कि क्या-क्या उन्होंने खरीद लिया है लेकिन उनको याद रहता था कि फलां-फलां चीजें वह खरीद चुके हैं। उनके अन्दर एक यह भी खूबी थी कि अगर एक चीज वह खरीद लेते थे तो उसके अन्दर उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती थी। कई बक्से ऐसे थे जिन को उन्हों ने खरीदने के बाद कभी खोला नहीं जब कोई चीज वह खरीद चुकते थे तो सामने पैक करवा कर भिजवा देते थे। कभी-कभी कोई अच्छी चीज होती थी तो उस को दिखलाने के लिये वह बाहर रखवा लिया करते थे वरना देखने की भी परवा नहीं करते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने ग्रीवन काल में अनेक अमूल्य वस्तुओं का संग्रह किया और उस में न सिर्फ उन्होंने लाखों रुपया खर्च किया बल्कि बड़े परिश्रम और बड़े अध्यवसाय के साथ इस सारे काम को किया। इसी को उन्होंने अपने जीवन का एक दृष्टिकोण बना लिया था, अपने सारे जीवन की साधना बना लिया था। साथ ही साथ उन्होंने सारी वस्तुओं का ठीक तरह से रखने की कोशिश नहीं की और यही कारण है कि इनकी कद्र उनके जमाने में नहीं हुई। जो लोग उनके मित्र थे और उनके पास आते जाते थे वे जानते थे कि उनके पास कैसी।कैसी नायाब चीजें हैं और ऐसी-ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत दुर्लभ हैं। सभी को इनको देखने का मौका नहीं मिलता था। इसलिये भूतपूर्व हैदराबाद सरकार बधाई की पात्र है। कि जब उनका देहावसान हुआ तो उसने सारी की सारी चीजों को अपने कब्जे में कर लिया और उस के बाद एक ट्रस्ट का निर्माण किया और वंशपरम्परा के झगड़ों से इसको दूर रखा और इसके रास्ते में कोई बाधा नहीं आने दी। न सिर्फ यह बल्कि जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी इस संग्रहालय का लोगों को दिग्दर्शन कराने के लिये उसने प्रबन्ध किया, इनका सार्वजनिक प्रदर्शन कराया।

एक बड़ी अच्छी बात उसने यह भी की कि इस म्यूज्यिम के लिये जो जगह उसने पसन्द की वह वही जगह थी जो उनके रहने का मकान था। जिसको दीवान डयोढ़ी कहा जाता है और उसी में इनका प्रदर्शन किया। आज यह जगह इस के लिये ठीक नहीं है न सिर्फ यहां पर बहुत से छोटे-छोटे कमरे ही हैं बल्कि जो दीवारें हैं, वे भी पुराने जमाने की हैं, कहीं-कहीं दीवारों पर पपड़े निकलते जा रहे हैं, खम्भे ठीक नहीं हैं, और यहां तक इसकी स्थिति है कि बरसात के दिनों में पानी चूने लग जाता

है जिसकी वजह से जो बस्तुयें हैं, उन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, वे भी खराब होती हैं। आज यह जगह इसके लिये मौजूं नहीं है। जब कभी मुझे वहां जाने का यौका मिला है, या जो मित्र आते हैं उनके साथ जाने की इच्छा हुई है तो मैंने पाया है कि कई चीजें खराब हो रही हैं और उनको सम्भाल कर रखने की जरूरत है। क्यों यह स्थान इस संग्रहालय के लिये मौजूं नहीं है और क्यों चीजें खराब होती हैं, इसके दो कारण हैं। एक यह है कि जिस मकान में संग्रहालय आज है, वह इस काम के लिये बना नहीं था और इस ख्याल से नहीं बनाया गया था कि इस प्रकार का संग्रहालय वहां होगा।

वहां अलग-अलग नमूने के कमरे और अलग-अलग नमूने के रास्ते वगैरह बने हुए थे। इस लिहाज से वहां की चीजें सम्भली नहीं रह सकती थीं, वह स्थान आज बहुत मौजूं नहीं है और यही कारण है कि जिस प्रकार से चीजें सुरक्षित रहनी चाहियें, उस प्रकार से वह चीजें सुरक्षित नहीं रक्खी जा पा रही हैं।

दूसरी बात यह है कि इन चीजों के संरक्षण के लिये जितना पैसा खर्च करना चाहिये, जितना बजट आवश्यक है वह बजट मुहैया नहीं हो रहा है इसके उपालम्भ के तौर पर एक कारण यह हो सकता है कि चीजों को सुरक्षित रखने के वास्ते जिस साइंटिफिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिस टैक्नालाजिकल डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है उसका अभाव है उस दृष्टिकोण का और टैक्नालिजकल डेवलपमेंट का उसको सुरक्षित रखने के लिये पूरा लाभ उठाने के लिये जितनी कोशिश करनी चाहिये उतनी कोशिश नहीं हो रही है। मैं यह चीज खास कर उन चीजों के बारे में कहता हूं जिनके ऊपर जरी और कसीदे का बड़ा बारीक काम किया हुआ है। कई चीज रेशम पर बनी हुई हैं, कई चीज काटन के कपड़े पर बनी हुई हैं। उनके ऊपर बड़ा बारीक जरी और कसीदे का काम किया हुआ है, पेन्टिंग्स बनी हुई हैं। उन चीजों के संरक्षण के वास्ते जिस प्रकार की एहतियात होनी चाहिये, जिस प्रकार की देख-भाल होनी चाहिये, वह नहीं हो पा रही है। इस तरफ भी ध्यान देनेकी आवश्यकता है।

यह बड़ी खुशी की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने इस नई बिल्डिंग को बनाने के वास्ते रुपया देना मंजूर किया है मैं तो यह कहता हूं कि इसके लिये बड़ी देर हो गई यह काम बहुत पहले होना चाहिये था। इस बिल्डिग का जो फाउन्डेशन स्टोन रक्खा गया था, उसको मैं समझता हूं कि कम से कम छः या सात साल हो गये हैं; लेकिन जैसी फारसी की कहावत है "देर आयद दुरुस्त आयद" देर से सही, लेकिन अब काम होने वाला है, इसलिये कोई हर्ज नहीं है।

एक माननीय सदस्य : वह पत्थर वहां है ?

श्री हेडा : पत्थर वहां है। जब आप उसको देखने जाते हैं तो वह एंट्रेंस (प्रवेश द्वार) के पास है।

एक माननीय सदस्य : ताले में है।

श्री हेडा: यह चीज काफी पहले शुरू हो जानी चाहिये थी। और मुझे देख कर कुछ कौतूहल सा हुआ कि एक शर्त यह रक्खी गई थी कि इसमें ट्रस्ट ५ लाख रु० दे और बाकी रुपया केन्द्रीय सरकार लगायेगी। ट्रस्ट को देना चाहिये; वह रुपया १० लाख रु० दे दे; ट्रस्ट की सारी सम्पत्ति उसमें खर्च होनी चाहिये, इसमें कोई शुबहा नहीं है, पर इस तरह की बात होना और आपस में नेगोशिएशन्स में इस तरह देर लगना, मैं समझता हूं, कोई अच्छी बात नहीं है।

जहां तक इस संग्रह का सम्बन्ध है, उसके सिलसिले में श्री नरसिंहन् ने जो बात कही वह सही है और इस तरह की बात को भी हमें समझना चाहिये। लेकिन नरसिंहन् साहब ने कहा कि इस को जो हम नैशनल म्यूजिअम कहते हैं तो इसके अन्दर क्या राष्ट्रीय भावना है ? जो हमारी पुरानी परम्परा है, संस्कृति है, हमारा तमद्दुन है, जैसे नागार्जुन कोंडा में मिलता है, कोणार्क में

[श्री हेडा]

मिलता है, ताजमहल भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, इस तरह की कौनसी चीज इस म्यूजिअम में है ? दरअसल नैशनल म्यूजिअम का मतलब यह है कि वह चीज जो राष्ट्रीय महत्व की हो, जो पूरे राष्ट्र की सम्पत्ति हो, यह बात नहीं है कि वह हमारे राष्ट्र के अतीत से सीधी सम्बन्धित हो। यह चीज आवश्यक नहीं है। यदि हम नैशनल म्यूजिअम के शब्द रख रहे हैं तो इसका अर्थ केवल इतना होता है कि चूंकि इस संग्रहालय का महत्व समूचे राष्ट्र के लिये है इसलिये इसे राष्ट्रीय सम्पत्ति मान कर चलना हमारे लिये जरूरी है। अगर कोई यह कहे कि हम बाहर की कोई चीज, चाहे वह कितनी ही अच्छी क्यों न हो, लेंगे ही नहीं, उसे अपनायेंगे नहीं, तो मैं समझता हूं कि यह कोताह नजरी होगी। अपनी खिड़कियों को बन्द कर लेना और खुली हवा और प्रकाश को अपने पास न पहुंचने देना दानिशमन्दी नहीं है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो इस ग्रसंहालय में इटली की पेंटिंग्स दिखलाई देंगी, चीन की बुनकरी और पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, सभी राष्ट्रों की कोई न कोई खास चीज वहां मिलती है और उसका हमें स्वागत करना चाहिये।

एक और चीज इस सिलसिले में मैं कहता हूं। आजकल काफी जिक्र हो रहा है साम्प्रदायिकता का। एक जमाना था जब हैदराबाद में भी साम्प्रदायिकता का दौरदौरा था, लेकिन उसके बावजूद सालारजंग बहादुर ने कभी इस चीज को अपने सामने नहीं आने दिया, और उनके संग्रह के अन्दर आप देखेंगे कि न सिर्फ इस्लाम से सम्बन्ध रखने वाली चीजों का संग्रह वहां है बल्कि हिन्दुओं की तकरीबन हर प्रकार की चीजों का वहां सग्रह है। वहां आपको मूर्तियां दिखलाई देंगी, इस प्रकार की चीजें दिखलाई देंगी जो कि ईसाइयों के काम में आती हैं। जो हमारी महाभारत और रामायण वगैरह हैं उनके जो चित्र हैं, दिखलाई देंगे, हमारे गानों और रागों के चित्र वहां पर दिखलाई देंगे। यानी न सिर्फ इस्लाम की, बल्कि बुद्ध धर्म की, जैन धर्म की कोई न कोई चीज आप वहां देखेंगे। उस जमाने में साम्प्रदायिकता का काफी दौर दौरा था और आज भी उसकी काफी बात चीत चल रही है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद उन्होंने उन चीजों को रक्खा। इस के अन्दर एक विशाल दृष्टिकोण था, उस का एक विस्तार था, उसको हमें देखना चाहिये, और हम उस चीज को देखें और उससे यह सोचें कि हमारे यहां ऐसी भी चीजें मौजूद हैं जिनका ईसाई धर्म से सम्बन्ध है बौद्ध धर्म से सम्बन्ध है, इस्लाम धर्म से सम्बन्ध है, जैनियों से सम्बन्ध है। हम यह भी देखते हैं कि चीनियों के पास उसकी किस प्रकार की आकृति आती है, जापानियों के पास किस प्रकार की आकृति आती है, बर्मियों के पास किस प्रकार की आकृति आती है। सारी चीजों को देखने के बाद हमें कोई शुबहा नहीं रहता कि इसका बड़ा भारी राष्ट्रीय महत्व है और इसलिये इसको नैशनल म्यूजियम या राष्ट्रीय संग्रहालय कहना बिल्कुल उचित होगा। अगर राष्ट्रीय संग्रहालय की परिभाषा हम यह करें कि जिसका केवल हमारे अतीत से सम्बन्ध हो और हमारे राष्ट्र में ही जिसका उद्गम हो, वही संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय होगा बाकी नहीं, तो मैं समझता हूं कि यह गलत बात होगी, और मुझे खुशी है कि सरकार ने इस विधेयक को ला कर कोई इस प्रकार का संकीर्ण दृष्टिकोण सामने नहीं आने दिया और जो सही दृष्टिकोण है उसको ही सामने रक्खा है।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि जो चीजें इकट्ठी की गई हैं वह अकेले उनका काम है या उनकी फैमिली का है। उन के पहले भी कोई लोग इस काम को करते आये हैं और उन के पीछे भी किसी ने किया है ? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री हेडा : मैं अणे साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यह प्रश्न किया। दरअसल यह उन का अकेले का संग्रहालय है, यह मैं नहीं कह सकता। इसके अन्दर कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन के

पिता जी की खरीदी हुई हैं, कुछ ऐसी हैं जो उनके दादा जी की खरीदी हुई हैं। मैं कोई इसका हिसाब कर के नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मैंने देखा है उससे अन्दाजा है कि वहां पर जो चीजें हैं उनमें से कोई ९५ फी सदी उनकी स्वयं की खरीदी हुई हैं और ५ फी सदी उनके पिता, दादा या जो उनके वंश में दूसरे पूर्वज थे, उनकी खरीदी हुई हैं। यह बात सही है कि उनके अन्दर जो कलाप्रियता आई है वह उनके पिता से आई होगी या दादा से आई होगी या उनके खान्दान के अन्दर जो वातावरण निर्माण हुआ उस का असर हुआ होगा। बहरहाल जो उन्होंने संग्रह किया था वह राष्ट्र के लिये बहुत बड़ी देन है और उसके ऊपर सारे राष्ट्र को नाज है, फख्र है, और उस के लिये हमें बहुत खुशी है कि उसको हैदराबाद में ही स्थायी रूप से रक्खे जाने का निर्णय किया गया है। बीच में थोड़े के दिन लिये इस प्रकार की शंकायें हैदराबाद के अन्दर फैल गई थीं कि कहीं उसको सरकार दिल्ली में न ले जाये या किसी और जगह न ले जाये। यह बात नहीं है कि इसमें कोई खास हर्ज होता। अगर सालारजंग म्यूजिअम दिल्ली आ जाता या जयपुर चला जाता या कहीं और चला जाता तो कोई विशेष बात हो जाती, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार की शंका निर्माण हुई थी और उसको दूर कर दिया गया। जब यह शंका फैल रही थी तब न सिर्फ यही अच्छा हुआ कि इस संग्रहालय को परमनेन्टली हैदराबाद में रखने का निर्णय किया गया है बल्कि यह भी अच्छा निर्णय हुआ कि इस संग्रहालय के लिये एक इमारत बनेगी, और जिस जगह पर यह इमारत बनेगी वह उस जगह के पास ही है जहां पर मकान है। इस लिहाज से यह दोनों बातें अच्छी हुई हैं।

अन्त में मैं एक चीज के ऊपर अपने विचार का इजहार करना चाहता हूं, जिसका जिक्र मेरे मित्र श्री विट्ठल राव ने किया। अपने अमेंडमेंट के लिहाज से वह चाहते थे कि तीन सदस्य यहां से और तीन सदस्य आन्ध्र प्रदेश असेम्बली से चुन कर चले जायें। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि पार्लियामेंट और असेम्बली के सदस्यों को इस प्रकार के बोर्ड से सम्बन्धित रखा जाये या नहीं। मैं एक अजीब सी फिजा देखता हूं। जब मैं उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता हूं तो बड़े शशपंज में पड़ जाता हूं। मैं देखता हूं कि जब कोई आदमी पार्लियामेंट या असेम्बली का मेम्बर होता है तो यह ख्याल होता है कि कहीं वह किसी के इनफ्ल्यूएंस में न पड़ जाये और उसके तहत उसके हाथ से कोई उल्टा काम न हो जाये। लेकिन लोग यह भल जाते हैं कि जो मिनिस्टर बनते हैं वे भी तो मेम्बरों में से बनते हैं और मिनिस्टर के पास इतनी सारी शक्ति होती है कि इस या उस बोर्ड का मेम्बर बनने से जो प्रभाव प्राप्त होता है वह उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से इस बारे में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि असेम्बली या पार्लियामेंट के सदस्यों को इन बोर्डों का मेम्बर बनाया जाये। मैं जानता हूं कि मेरी पार्टी के माननीय सदस्यों के इसके बारे में विपरीत विचार हैं। लेकिन मैं यहां अपने विचार रख रहा हूं और इसीलिए मैं श्री विट्ठल राव के विचार का स्वागत करता हूं कि इस बोर्ड में आन्ध्र प्रदेश असेम्बली के और पार्लियामेंट के मेम्बर होने चाहिए। लेकिन उन्होंने जो यह कहा कि इन सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए इससे मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए नहीं कि मैं निर्वाचन से डरता हूं या उसको गलत चीज समझता हूं, लेकिन इसलिए कि जब निर्वाचन होता है तो उसमें राजनीतिक और दूसरी विचारधाराएं आ जाती हैं। इस तरह की चीजों में उन विचारधाराओं का आना वांछनीय नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार सोशल वेलफेयर बोर्ड आदि में स्पीकर सदस्यों को नामिनेट कर देते हैं उसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश असेम्बली के स्पीकर और काउंसिल के प्रेसीडेंट, तथा पार्लियामेंट के स्पीकर और राज्य सभा के प्रेसीडेंट इस बोर्ड के लिए सदस्यों को नामजद कर दें। मैं ऐसा इसलिए चाहता हूं कि मैं यह जरूरी समझता हूं कि जनता के प्रतिनिधियों का सम्बन्ध ऐसी चीजों से होना चाहिए ताकि उनकी निगरानी ठीक प्रकार से हो।

[श्री हेडा]

मैं अन्त में मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह उन्होंने बिल्डिंग के लिए कुछ प्रावीजन किया है, हालांकि उन्होंने बतलाया नहीं है कि वह कितना रुपया होगा—उसी तरह उनको मेनटिनेंस के लिए भी प्रावीजन करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माडर्न टैकनालाजी द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है उसका फायदा उठाते हुए इन चीजों को अच्छी तरह से रखने की पूरी-पूरी कोशिश की जायेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : चेयरमैन साहब, मैं यह बिल लाने के लिए सरकार को बधाई देती हूं और उसके साथ ही आन्ध्र प्रदेश के लोगों को बधाई देती हूं। सब से ज्यादा तो मैं नवाब मेहदी नवाजजंग को बधाई देती हूं कि उनके जरिये और उनके करम से यह सालार-जंग म्यूजियम गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। सिर्फ सालारजंग बहादुर की नहीं बल्कि उनका सारा खान्दान अच्छे काम करने के लिए हैदराबाद में मशहूर है और यह खानदान लोगों में बहुत पापुलर है। नवाब सालारजंग बहादुर को गुजरे १२ साल हो गये। किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि उनके अपने कोई बच्चे नहीं हैं, दूर-दूर के और नजदीकी रिश्तेदार हैं। लेकिन मैं इसको अपना बड़ा सौभाग्य समझती हूं कि मुझे उनसे मिलने का बहुत मौका मिला है। एक चित्रकार होने के नाते मुझे उनसे मिलने का मौका होता था। सालारजंग बहादुर मुझ को स्कालरशिप देते थे। और मेरे कुछ चित्र भी इस म्यूजियम में हैं जिनको आप देख सकते हैं। लेकिन यह कोई उतनी बड़ी बात नहीं है।

सालारजंग बहादुर एक बड़े आरटिस्ट थे और अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैं जब उनके पास जाती थी तो वे बहुत खुश होते थे और घंटों बिठाकर बात करते थे। उनके पास रात दिन दूसरे मुल्कों से अपनी चीजें ले ले कर लोग आते थे और वे उनको देखते थे और लेते थे। एजेंट लोग सामान सजा-सजा कर पेश करते थे और नवाब सालारजंग बहादुर उन चीजों पर नजर डालते थे और उनमें से चीजें पसन्द करते थे। उनके यहां चीन, जापान, जर्मनी आदि मुल्कों से चीजें आती थीं। गांवों से भी लोग अपनी कारीगरी की चीजें लेकर उनके पास आते थे। मैंने राज्य-सभा की रिपोर्ट पढ़ी है कि इन चीजों में बहुत से लकड़ी के डिब्बे भी हैं। उनका कायदा था कि वह किसी को अपने दरवाजे से वापस नहीं करते थे यह सोच कर कि इस कलाकार ने अपना तन मन लगाकर यह चीज तैयार की है।

जिस तरह हम आज सब चीजों को एक जगह देखते हैं वैसा पहले नहीं था। बहुत से चीनी के बरतन सरन नगर में थे। अब तमाम चीजों को लाकर एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। इस म्यूजियम की वजह से हम हैदराबाद के लोग अपने को बड़ा लकी समझते हैं। इन चीजों को अपने यहां देख कर हम बहुत खुश होते हैं। ये चीजें अब मुल्क की प्रापर्टी बनने जा रही हैं। पहले लोग परेशान थे और समझते थे कि ये चीजें वहां से उठा कर दूसरी जगह ले जायी जाएंगी क्योंकि वहां के बच्चे बच्चे को इन चीजों से प्यार है, लेकिन अब यह चीज सैटिल हो गयी है ये चीजें वहीं रहेंगी। लेकिन मैं समझती हूं कि यह हो सकता है कि कभी कभी उनमें से कुछ चीजें वहां से दूसरी जगह ले जायी जाएं। मैं मंत्री महोदय से अदबन अर्ज़ करना चाहती हूं कि अगर ऐसा हो, तो उन चीजों की फिर वापसी की भी उनको गारण्टी देनी चाहिए।

यह २५ या तीस करोड़ की प्रापर्टी सरकार के हाथ में आ रही है। मैं चाहती हूं कि इसकी हिफाजत के लिये सरकार दिल खोल कर खर्च करे। इसके लिये अच्छी इमारत बनानी चाहिये।

हमारा ट्रस्ट बोर्ड इसके लिये ५ लाख रुपया दे रहा है, और आन्ध्र प्रदेश की सरकार ५ लाख दे रही है, और दस लाख भारत सरकार दे रही है तो इस तरह से बीस लाख रुपया होता है। और जमीन वगैरह हम सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन आपने इसके मैनटिनेंस के लिये प्रावीजन नहीं रखा है। अभी सालाना फी क्लेक्शन से २ लाख रुपया आता है और उतना ही इसके मेनटिनेन्स पर खर्च हो जाता है। अब आप इस फीस को बढ़ा कर तीन लाख रुपया करने जा रहे हैं जो कि इसके लिये खर्च होगा। लेकिन मैं जोर देना चाहती हूं कि इसके लिये और रुपया भी रखना चाहिये। जैसा कि अभी विट्ठल राव बतला रहे थे, इसमें अलग-अलग सेक्शन होने चाहियें। इससे बहुत लाभ होगा।

यहां पर हमने लालकिले में म्युजियम देखा है। उसमें एक आना टिकट लगता है। ताजमहल में कोई टिकट नहीं लगता और भी कई बड़ी-बड़ी जगहों पर टिकट नहीं लगता। लेकिन सालारजंग म्यूजियम में अभी कुल मिला कर सब चीजों को देखने के लिये डेढ़ रुपया लिया जाता है, उसको आप बढ़ा कर २ रुपया करना चाहते है। इससे कुछ आमदनी बढ़ जाएगी लेकिन इसके अलावा मेनटिनेन्स के लिये और भी रुपया होना चाहिये।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहती हूं कि यहां पर बहुत से आरटिस्ट और विद्यार्थी रिसर्च करने के लिये जाते हैं। इन लोगों के लिये कुछ कनसेशन होना चाहिये ताकि ये अपना काम सहूलियत के साथ कर सकें। मैं मन्त्री महोदय को यह सुझाव देना चाहती हूं कि सालारजंग म्युजियम में कितने ही लोग रिसर्च वगैरह के लिये जाते रहते हैं। ऐसे लोगों को रिआयती दर पर ५ रुपये का मंथली टिकट मिलना चाहिए। इस तरहके कंसेशनल टिकट की उन लोगों के वास्ते व्यवस्था कर देने से उन को रिलीफ मिलेगी और रिसर्च वर्क करने के लिये अधिक लोगों को इनकरेजमेंट (प्रोत्साहन) मिलेगा।

अभी म्युजियम के वास्ते जो डेढ़ रुपया ऐडमिशन फी रक्खी हुई है वह ज्यादा है और ऐडमिशन फीस हमें घटानी चाहिये। उसको बढ़ाने का तो कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिये उसको अलबत्ता घटाने की बात होनी चाहिये।

आज जब हमारी केन्द्रीय सरकार इस सालारजंग म्युजियम को इस मौजूदा बिल के द्वारा नेशनल इम्पौर्टेंस का डिक्लेयर करने जा रही है तब उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि इस म्युजियम का ठीक से प्रीजर्वेशन हो, प्रोपर मेंटेनेन्स हो और सरकार इस चीज को देखे कि वाकई यह सही मायनों में नेशनल म्युजियम बन जाये। म्युजियम को ठीक ढंग से डेवलप और रिआर्गेनाइज किया जाय।

सालारजंग म्युजियम बोर्ड के कम्पोजीशन के लिये बिल में यह प्रोवाइड किया गया है कि लेट नवाब सालारजंग बहादुर के खानदान में से एक आदमी को इस बोर्ड में नौमिनेट (नामजद) किया जायगा। इस सिलसिले में बजाय १ के २ आदमियों को नवाब साहब के खानदान से इस बोर्ड में नामिनेट करने के लिये अमेंडमेंट आया है। अब गवर्नमेंट को इस अमेंडमेंट के बारे में सोचना चाहिये और बजाय १ के २ अगर वह मंजूर कर लेती है तो वह कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। गवर्नमेंट बजाय एक के दो मेम्बर्स उनके खानदान में से उस बोर्ड में रख दे। मेरी समझ में गवर्नमेंट को इस पर पर विचार करना चाहिये और इस डिमाण्ड को मंजूर कर ले। बजाय एक के दो मेम्बर्स उस बोर्ड में रखले।

अब मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते यहां पर दो शब्द निवेदन करना चाहती हूं। यहां संसद् भवन में अध्यक्ष महोदय के कमरे के बाहर अजन्ता केव की पेंटिंग्स दीवार पर बनी हुई हैं। मुझे एक चित्रकार होने के नाते उनको देख कर दिल में थोड़ी तकलीफ होती है। चित्रकला के बारे में मैं जरा दावे के साथ बोल सकती हूं क्योंकि मैं स्वयं एक चित्रकार हूं और मैं मद्रास स्कूल आफ आर्टस की एक डिप्लोमा

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

होल्डर हूं । मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकती कि उन पेंटिंग्स को देख कर ऐसा मालूम होता है मानों उनको हमने कैद में डाल रक्खा हो । अब उन के लिये कोई अच्छी व माकूल जगह प्रोवाइड नहीं की गई है । वहां धूप भी आती है और पानी से भी वह पूरी तरह बच नहीं पाती, उन पर धूल जम जाती है । एक चित्रकार होने के नाते मुझे उनको देख कर दिल में एक दर्द सा उठता है । उन पेंटिंग्स के लिये कोई अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये । अजन्ता केव्स की काफी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि उनको जिस प्रकार से ठीक तरह से रखना चाहिये, नहीं रक्खा जा रहा है । आप के आफिसर्स को उनको कैसे रखना चाहिये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उनकी कद्र तो एक आर्टिस्ट ही जानता है और मुझे तो उनकी ठीक व्यवस्था न देख कर दिल में दर्द होता है ।

यहां दिल्ली में एक मौडर्न आर्ट गैलरी है जिसमें कितने ही आर्टिस्टिक क्लेक्शंस वगैरह रक्खे हैं । मैं भी वहां पर गई थी, ऐज ऐन आर्टिस्ट गई थी और मैं यह दुःख के साथ कहना चाहती हूं कि मुझे बड़ी निराशा अनुभव हुई । मौडर्न आर्ट के नाम पर वहां इतनी भद्दी तस्वीरें हैं कि वह दरअसल रखने के काबिल नहीं हैं । उसको देख कर मैं तो इस नतीजे पर पहुंची कि मौडर्न आर्ट बच्चों के आर्ट से भी बदतर होता है । जहां पर आर्ट नहीं होता और जिनको आर्ट नहीं आता है वह उसको मौडर्न आर्ट कहने लगते हैं । अब आर्ट में कुछ तो कला होनी चाहिये वरना मौडर्न आर्ट कह कर दुनिया को धोखे में डालना है ।

जब मैं लाल किले में गई तो मुझे उन पेंटिंग्स और डिजाइन्स को देख कर दिल में दर्द हुआ । वहां की डिजाइंस बहुत ऊंचे दर्जे की हैं । मार्बल पत्थर पर बड़ा अच्छा काम बना हुआ है । बड़ी सुन्दर डिजाइन्स बनी हुई हैं लेकिन उनके प्रोपर मेंटेन्स के अभाव में आज उनका रूप बिगड़ा हुआ है । अब होता यह है कि व्हाइटवाशिंग करते वक्त उन डिजाइंस पर भी कूची फेर दी जाती है और धीरे धीरे वह कलाकृतियां फ्लैट हो चली हैं और डिजाइन्स काफी हद तक बिगड़ चुकी हैं । इसी तरह से लाल किले के बीच में दरबार हाल में एक कमल बना हुआ है और वह इतना सुन्दर बनाया हुआ है कि देखने से मालूम होता है कि सचमुच का कमल खिल रहा हो लेकिन आपके मिलेटरी वालों ने जा जाकर अपने पैरों से उसकी हुलिया बिगाड़ दी है और उस चीज को देख कर दिल रो उठता है । मेरा कहना यह है कि लाल किले में जहां जहां भी यह सुन्दर चित्रकारियां और डिजाइनें बनी हुई हैं वहां पर व्हाइट वाश करने की कोई जरूरत नहीं है । आप ठेकेदार को व्हाइट वाशिंग (सफेदी) का हुक्म देते हैं और उनके आदमी एक सिरे से सब डिजाइनों पर भी सफेदी फेर देते हैं और इस तरह से वह कलाकृतियां खराब होती जा रही हैं बिल्कुल फ्लैट हो चली हैं । सरकार को इधर ध्यान देना चाहिये और उनको खराब होने से बचाना चाहिये और वहां पर व्हाइट वाशिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है ।

अब आगरे के ताजमहल में आप जानते होंगे कि कितनी सुन्दर कला कृतियां बनी हुई हैं और वहां की एक एक डिजाइन और पत्थर बोलता हुआ सा मालूम देता है । मैं चाहती हूं कि यहां लाल किले मे भी चित्रकारियों और डिजाइनों का प्रौपर प्रीजर्वेशन हो और उनका प्रौपर मेंटेनेन्स हो ।

अब सरकार इस सालारजंग म्यूजियम को नेशनल एम्पोर्टेंस को घोषित करने जा रही है । मैं चाहूंगी कि मन्त्री महोदय यह बतलायें कि उन सुन्दर क्लैक्शंस और पेंटिंग्स वगैरह को ठीक से प्रीजर्व करने के लिये आप क्या विशेष व्यवस्था करने वाले हैं । वहां की लाइब्रेरी में कितनी ही किताबें ऐसी हैं जिनको कि आपको ओरिज्नल में प्रीजर्व करना है । कितनी ही किताबों को प्रिंट करवाना है । अब जाहिर है कि आपको इसके लिये विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी । खाली उसको नेशनल एम्पोर्टेंस का डिक्लेयर कर देने से ही काम चलने वाला नहीं है । आपको मालूम होना चाहिये कि लेट नवाब सालारजंग ने इस म्युजियम को कायम करने में रात दिन एक कर दिया था । वह चौबीसों घंटे सोते जागते और खाते पीते इसी उधेड़बुन में रहते थे कि लाइब्रेरी और आर्ट म्युजियम में क्लैक्शंस

की तादाद में इजाफा किया जाय । नवाब साहब ने इस म्युजियम और लाइब्रेरी को मौजूदा शक्ल देने में रात दिन एक कर दिया था और इस काम के पीछे वह दीवाने बन गये थे तब जाकर वह यह चीजें चीजें हम दे सकें ।

मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इन सब बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे और इस बात का विशेष प्रयत्न करेंगे कि यह म्युजियम और लाइब्रेरी सही मायनों में एक एक नेशनल एम्पोर्टेंस की चीज बन जाये । जाहिर है कि सरकार को इसके लिये विशेष प्रयत्न करने होंगे और उसको काफी माली इमदाद भी देनी होगी । इसके अलावा मन्त्री महोदय को यह भी ध्यान रखना होगा कि नये अफसरान और पुराने अफसरों के बीच में आपस में कोई गड़बड़ या झगड़ा वगैरह किसी किस्म का नहीं होना चाहिये । मन्त्री महोदय जो यह बिल लाये हैं मैं इसके लिये उनको बधाई देती हूं और उसका समर्थन करती हूं ।

श्री यादव नारायण जाधव (मालेगांव) : सभापति महोदय, यह जो बिल हाउस के सामने है उसका मैं स्वागत करता हूं । अभी माननीय सदस्य श्री नरसिंहन् ने सदन के सामने नेशनल म्युजियम क्या होना चाहिये इसके बारे में अपनी राय रक्खी है । मिनिस्टर महोदय का इस बारे में क्या ख्याल है यह साफ होना चाहिये । मैं मानता हूं कि उन्होंने कुछ ऐसे सवालात रक्खे हैं,पेश किये हैं जिनके कि ऊपर काफी रोशनी पड़नी चाहिये । लेकिन इसके साथ ही जो उन्होंने यह कहा कि हमारी जो हैसियत है, हमारे जो रिर्सोज और फण्ड्स हैं उनको देखते हुए पूरे हिन्दुस्तान में एक ही ऐसा नेशनल म्युजियम होना चाहिये, मैं इस बात को कतई मानने के लिये तैयार नहीं हूं । मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि माननीय सदस्य ने विदेशों में कई म्युजियम्स देखे होंगे । छोटे छोटे देश हैं काफी पैसा भी उनके पास है लेकिन उन देशों के मुकाबले हमारा हिन्दुस्तान कितना बड़ा है यह उन्होंने सोचा नहीं है । हमारे इस विशाल देश की आबादी ४३ करोड़ से अधिक है । एजूकेशन, संस्कृति और कला की दृष्टि से हमारे देश के सर्वसाधारण लोगों को चाहे वह विद्यार्थी हों और चाहे बड़े आदमी हों सबको यह जो कला की चीजें होती हैं, संस्कृति की चीजें होती हैं, चाहे हमारे देश की हों अथवा दूसरे देशों की, उनको देखने का मौका मिलना चाहिये । और इस दृष्टि से गवर्नमेंट ने जो यह तय किया है कि हिन्दुस्तान में ज्यादा से ज्यादा ऐसे नेशनल म्यूजियम बनाये जायेंगे, यह एक स्वागत योग्य बात है । जब इस सदन में कलकत्ता म्यूज़ियम के बारे में बहस हो रही थी, तो मैंने कहा था कि यदि इस आशय का एक बिल हमारे सामने आता कि इस देश में नेशनल म्यूज़ियम के बारे में हमारी क्या पालिसी रहेगी, तो अच्छा होता । लेकिन वह एक अलग बात है । चूंकि एक आदमी ने जो क्लेक्शन किया है, वह उस को नेशनल म्यूज़ियम के तौर से हमें दे रहा है, तो उसके लिये हमें एक अलग बिल लाना पड़ा है, यह मैं मानने के लिये तैयार हूं ।

मैं ने खुद इस म्यूज़ियम को देखा है और साथ ही कलकत्ता म्यूज़ियम और मद्रास म्यूज़ियम को भी देखने का अवसर मुझे मिला है । केवल हमारे राष्ट्र की ही चीज़ें इस म्यूज़ियम में हैं, ऐसा नहीं है । वहां और देशों की चीज़ें भी रखी गई हैं । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नैशनल म्यूज़ियम एक दिन में ही नहीं बन जायगा और इस के लिये हमारे पास जो फ़ंडज़ हैं, उन को देख कर हमें हमेशा रोते नहीं रहना चाहिए । जैसा कि किसी ने कहा है कि रोम वाज़ नाट बिल्ट इन ए डे, (रोम नगर दिन भर में नहीं बन गया था) वैसे ही नैशनल म्यूज़ियम की जो तस्वीर है, वह एक दिन में ही पूरी नहीं हो जायगी । मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ़ जल्द से जल्द कदम उठाये और जो नैशनल म्यूज़ियम हम बनाना चाहते हैं, उन को अच्छे ढंग से और साइंटिफ़िक ढंग से बनाने की कोशिश करें ।

[श्री यादव नारायण जाधव]

इस बिल के फ़ाइनेंशल मेमोरेंडम में बताया गया है कि इस नैशनल म्यूज़ियम के लिये एक नई इमारत बनाने पर बीस लाख रुपया खर्च होगा । मैं चाहूंगा कि एक अच्छे म्यूज़ियम में जैसी सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए और जैसी इमारत उस के लिये होनी चाहिए, उन सब की व्यवस्था की जानी चाहिए । इस समय वहां जो आर्टिकिल्ज़ और एग्ज़िहिबिटस हैं, उन को अच्छी तरह से नहीं रखा गया है । मैं ने यह भी सुना है कि ऐसे कई आर्टिकल हैं, जो अभी तक म्यूज़ियम में नहीं लाये गये हैं । माननीय मंत्री महोदय को इस तरफ़ ध्यान देना चाहिए । मैं यह भी चाहूंगा कि वहां पर सब चीज़ों को अलग अलग सैक्शन्ज़ बना कर और साइंटिफ़िक ढंग से रखा जाये और बच्चों के लिये अलग सैक्शन बनाया जाये । वहां पर कोई ऐसी मूर्तियां और तस्वीरें हैं, जो बच्चों को नहीं दिखाई जानी चाहिए । वहां पर कुछ न्यूड स्टैचूज़ हैं, लेकिन उन को खुली जगह पर रखा गया है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]

मैं चाहूंगा कि जो छोटे छोटे बच्चे और स्टुडेंटस उस म्यूज़ियम को देखने जाते हैं, उन के सामने वे नंगी तस्वीरें और मूर्तियां न रखी जायें । स्टुडेंटस के लिये अलग हिस्सा होना चाहिए । मैं समझता हूं कि ऐसा करने की कोशिश की जायगी ।

उस म्यूज़ियम में जो मुलाज़िम हैं, उन को म्यूज़ियज्म सम्बन्धी शास्त्र के बारे में और वहां रखी गई सब चीज़ों के बारे में पूरी पूरी मालूमात होनी चाहिए । उन को इतना ज्ञान होना चाहिए कि वे हर एक चीज़ की हिस्ट्री बता सकें, वहां पर जो कला की चीजें हैं, उन के बारे में बता सकें कि वे किस देश की हैं, आरिजिनल हैं या रेप्लिका हैं । वहां पर कुछ आदमी भी काम करते हैं और कुछ महिलायें भी हैं । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जब जो नई एप्वायटमेंटस हों, जो नये मुलाज़िम रखे जायें, उन में ज्यादा से ज्यादा महिलाये हों, क्योंकि महिलाओं में किसी चीज़ के बारे में अच्छी तरह से बताने की ख़ासियत होती है । उन की ऐसी नेचर होती है कि जिस तरीके से वे किसी चीज़ के बारे में बताती हैं, उस को लोगों पर असर होता है ।

माननीय सदस्य, श्री हेडा और श्रीमती लक्ष्मीबाई, ने कहा कि एक आदमी ने आर्ट और कला की अलग अलग चीजों के लिये जो इतना पैसा सर्फ़ किया है, उस के लिये कौतुक होना ज़रूरी है । उन्होंने इस बारे में जो सराहना और कद्र की है, वह स्वभाविक है, क्योंकि वे वहां के रहने वाले हैं ।

फ़ीस के बारे में भी मंत्री महोदय को ख़ास तवज्जह देनी पड़ेगी । कई लोग ऐसा कहेंगे कि इस म्यूज़ियम का ख़र्चा बढ़ने वाला है और चूंकि नये मुलाज़िम वहां रखने पड़ेंगे, इस लिये ख़र्चा दो लाख से बढ़ कर साढ़े तीन लाख हो जायगा और वह ख़र्चा कहां से पूरा होगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि म्यूज़ियम की फ़ीस कम करने से इनकम ज्यादा बढ़ेगी । कुछ भिखारियों ने हम को बताया कि गवर्नमेंट ने जो नये क्वायन्ज़, नये पैसे, निकाले हैं, उन से हमारी आमदनी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि नये पैसे कोई भी आदमी दे देता है । इस लिये यह आवश्यक है कि हमारे देश के हालात को देखते हुए, यहां की ऐवरेज इनकम को देखते हुए यदि फीस कम रखी जायेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस म्यूज़ियम को देखने के लिये जायेंगे और उस की इनकम ज़रूर बढ़ेगी ।

मैं चाहता हूं कि जो बातें मैं ने अर्ज़ की हैं, मिनिस्टर महोदय उन की तरफ़ ध्यान दें ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । प्रसन्नता की बात है कि सरकार देश के कुछ बड़े-बड़े संग्रहालयों का राष्ट्रीयकरण कर रही है ।

सालारजंग संग्रहालय में बड़ा बहुमूल्य संग्रह है । मैं सरकार के इस विचार का स्वागत करता हूं ।

†मूल अंग्रेजी में

पहले के ज़माने में बड़े-बड़े सामंत और धनी व्यक्ति ही निजी संग्रहालय बनाते थे। जनता उन संग्रहालयों को उनकी ही सम्पत्ति समझती थी। अब वह ज़माना लद गया है। अब वे संग्रहकर्त्ता भी नहीं रहे हैं। संसार के सभी देशों में संग्रहालयों का यही इतिहास रहा है। अब इस युग में संग्रहालय जनता और सरकार की सम्पत्ति बन गये हैं और उनका प्रयोजन जनता में अध्ययन की प्रवृत्ति को उत्साहित करना बन गया है।

सरकार ने यह संग्रहालय अपने हाथ में ले लिया है यह कदम निश्चय ही प्रशंसनीय है। लेकिन डर इस बात का है कि कहीं सरकारी हस्तक्षेप संग्रहालय की उन्नति के विकास में बाधक न हो। ऐसी संस्थाओं को जीवन देने के लिये व्यक्तिगत प्रेरणा नितान्त आवश्यक है। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय यह देखें कि कहीं विभागीय हस्तक्षेप इस संग्रहालय के विकास में बाधक न हो। संग्रहालयों के बारे में दो तीन समितियों की स्थापना की गई थी। एक समिति ने यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक क्षेत्र में संग्रहालय होने चाहिये ताकि जनता उनसे लाभ उठा सके। ऐसा करने से देश की प्रतिष्ठा को कोई धक्का नहीं पहुंचेगा।

इसके अतिरिक्त और भी संग्रहालय है जिनको सरकार अपने हाथ में ले। उदाहरण के लिये मैसूर का संग्रहालय ही लीजिये। वहां पर कलात्मक वस्तुएं नष्ट हो रही है क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसी प्रकार जैपुर तथा इलाहाबाद के संग्रहालय भी हैं।

मेरा निवेदन है कि उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश और बम्बई में भी संग्रहालय बनाये जायें। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के संग्रहालय भी बनाये जाने चाहियें। आजकल प्रायः यह होता है कि संग्रहालय में वस्तुएं वैसे ही तितर बितर दशा में पड़ी रहती है। उनको ठीक ढंग से रखने की आवश्यकता है ताकि कोई भी व्यक्ति आकर उनका पारायण कर सके। आवश्यकता इस बात की है दीर्घा पथ प्रदशक के प्रशिक्षण दिया जाये। एक प्रशिक्षण कालेज भी खोला जाये जहां विदेशी विद्यार्थी आकर हमारे देश की भूतकालीन स्थिति का सही अनुमान कर सके।

अंत में मेरा निवेदन है कि जो संग्रहालय अभी तक सरकार द्वारा नहीं लिये गये हैं उनको सरकार अपने हाथ में ले ले और उनकी वस्तुओं की उचित देखभाल भी करे; इससे देश को लाभ ही होगा।

†**डा० सामन्त सिंहार** (भुवनेश्वर) : नवाब बहादुर सालारजंग ने इस संग्रहालय को यह रूप देने में निश्चय सराहनीय कार्य किया है। नवाब साहब के उत्तराधिकारी भी धन्यवाद के भागी हैं कि उन्होंने अन्ततोगत्वा यह संग्रहालय केन्द्रीय सरकार को अर्पित कर दिया। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं विदेश में एक राष्ट्रीय संग्रहालय हो। इसके अतिरिक्त हर क्षेत्र में एक एक संग्रहालय और भी बनाया जाये। लेकिन उनका अस्तित्व एवं महत्व राष्ट्रीय संग्रहालय जैसा नहीं होना चाहिये। इस संग्रहालय को प्राप्त करने से सरकार के सामने बहुत सी कठिनाइयां आई। शायद समझौते की शर्त के अनुसार ही इसको राष्ट्रीय संग्रहालय न लाना पड़ा हो। इस विधेयक का उद्देश्य इस संग्रहालय को राष्ट्रीय संग्रहालय घोषित करना है। मेरा निवेदन है कि इसका विकास उचित रीति से किया जाये। और इस संग्रहालय को राष्ट्रीय महत्व दिया जाये।

इस संग्रहालय की देख भाल के लिये इस विधेयक के द्वारा एक बोर्ड बनाया गया है जिसमें ११ सदस्य होंगे और इस बोर्ड के अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के राज्यपाल होंगे। ११ सदस्यों के नाम पड़ने से ज्ञात हुआ है कि ये सभी सदस्य बड़े व्यस्त लोग हैं अतः इस बात का डर है कि कहीं उन्हें इस संग्रहालय की उचित देखभाल के लिये समय ही न मिले। अच्छा तो यह हो कि बोर्ड के कुछ सदस्यों

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सामन्त सिंहार]

को संग्रहालय का दायित्व दिया जा सके । नियम आदि देखने से यह पता नहीं चलता कि इस बोर्ड की बैठक आदि कौन बुलायेगा । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि कोई सुपरिनटैन्डेंट आदि बनाया जाये जो इस संग्रहालय का पूर्ण भार संभाल सके ।

खंड २१ में यह व्यवस्था की गई है कि नियंत्रक महा लेखापरीक्षक अथवा उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इस संग्रहालय के लेखा आदि की परीक्षा करेगा । और वह अपना प्रतिवेदन सरकार अर्थात मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा लेकिन संविधान के अनुच्छेद १५१ के अनुसार यह प्रतिवेदन जो कि नियंत्रक महा लेखापरीक्षक प्रस्तुत किया करता है राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाना चाहिये और राष्ट्रपति उसे संसद में प्रस्तुत करेंगे। फिर हमें यह भी नहीं बताया गया है कि वह मंत्रालय इस प्रतिवेदन को सभा में विचारार्थ रखेगा भी या नहीं । आजकल इस बात को देखते हुए कि लेखा रखने के मामले में काफी गड़बड़ी से काम लिया जाता है और विशेषरूप से ऐसे मूल्यावान संग्रहालयों में हिसाब की गड़बड़ी की बहुत गुंजाइश रहती है । अतः मेरा निवेदन है कि नियंत्रक महा लेखापरीक्षक ही इस के हिसाबों की जांच करें। मेरा निवेदन है कि यदि नियंत्रक महा लेखापरीक्षक को कुछ अधिकार दिये जायें और उनका प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाये तो इस संग्रहालय का मामला कुछ ठीक हो सकता है ।

इस संग्रहालय का प्रवेश शुल्क बहुत अधिक रखा गया है । इस संग्रहालय का शिक्षा की दृष्टि से भी महत्व है । अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए इसके प्रवेश शुल्क को कम किया जाना चाहिये । अन्त में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस संग्रहालय को राष्ट्रीय महत्व का बनाने के लिये इसका विकास करने के हेतु सभी यथा संभव प्रयत्न करेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : इस संग्रहालय को अपने हाथ में लेने के कारण ही इस मंत्रालय का नाम याद रहेगा । निश्चय ही मंत्री तथा यह मंत्रालय प्रशंसा के भागी हैं ।

एक नगर के सही विकास के लिये यह आवश्यक है कि वहां एक राष्ट्रीय थियेटर हो, एक राष्ट्रीय संग्रहालय हो, एक राष्ट्रीय पुस्तकालय आदि हो । मेरा निवेदन है कि कितना अच्छा हो यदि प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक एक राष्ट्रीय संग्रहालय हो । ये संग्रहालय ही देश की संस्कृति के सच्चे प्रतीक हैं । आशा है माननीय मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे ।

हमारे देश में भी वैज्ञानिक संग्रहालय होने चाहियें जहां विज्ञान सम्बन्धी आधुनिकतम विकास की सामग्री रखी हो जिनसे कि जनता के ज्ञान की वृद्धि हो । ये संग्रहालय भावी पीढ़ी के जीवन एवं विचारों को बनाने में समर्थ होंगे । ये संग्रहालय ऐसे हों जिनमें जाकर देश का प्रत्येक युवक व युवती यह देख सकें कि विश्व में वैज्ञानिक प्रगति कितनी हुई है । मेरा अभिप्राय यह है कि इन संग्रहालय को शैक्षिक महत्व भी होना चाहिये ।

मैंने इस सग्रहालय को स्वयं देखा है । मैं इसके जन्मदाता का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने हमारे देश को ऐसी अमूल्य निधि दी निश्चय ही वह अमर रहेंगे । अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि वहां जो पथप्रदर्शक कार्य कर रहे हैं वे प्रशीक्षित नहीं हैं । उनके प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त इस संग्रहालय के चारों ओर का वातावरण भी ठीक नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इन व्यक्तियों को दूर किया जाये ताकि यह संग्रहालय एक आदर्श एवं आकर्षक बन जाये । यह संग्रहालय तथा पुस्तकालय इस ढंग से रखा जाये कि आगामी पीढ़ी इससे ज्ञान प्राप्त कर सकें और लाभ उठा सकें । अतः इसकी उचित देखभाल की आवश्यकता है । इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है कि यह संग्रहालय राष्ट्रीय महत्व का बनाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा सुझाव है कि इसके बोर्ड में लोक सभा का कोई सदस्य हो तो अच्छा है। लेकिन संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों को इसमें जरूर लिया जाना चाहिये। इस बोर्ड में प्राध्यापकों को भी लिया जाना चाहिये। इसका प्रवेश शुल्क भी कम किया जाना चाहिये। तथा सरकार को इसे इतना धन देना चाहिये ताकि वह अच्छी तरह अपना काम चला सके। जहां तक इस बोर्ड के अध्यक्ष की बात है वह संस्कृति का ज्ञाता होना चाहिये न कि उच्च सत्ता प्राप्त व्यक्ति जिसके पास इस संग्रहालय की देखभाल के लिये समय ही न हो।

मेरा एक सुझाव है कि इस संग्रहालय के लिये एक समिति भी नियुक्त की जाये। इसका नाम भले ही कुछ रखा जाये लेकिन यह समिति दो वर्ष में कम से कम एक बार इस संग्रहालय का निरीक्षण अवश्य करें। इस समिति के सदस्य स्वतंत्र होने चाहियें। कि यह समिति इस संग्रहालय का निरीक्षण करे और इसके विस्तार तथा विकास के लिये सुझाव भी दे। इस समिति के सदस्य भी संस्कृति के मर्मज्ञ होने चाहियें।

अंत में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सदस्य की दोष सिद्धि

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे अध्यक्ष की ओर से एक घोषणा करनी है। मुझे सभा को यह बताना है कि अध्यक्ष ने पुलिस इन्स्पेक्टर कालीकट से ३ मई, १९६१ का यह तार प्राप्त किया है :

> "श्री कुट्टीकृष्णन् नायर, सदस्य लोक सभा को, जिनका रिमांड लिया गया था, प्रधान सब मैजिस्ट्रेट कालीकट ने १० रुपये जुर्माना या न देने की हालत में एक सप्ताह के साधारण कारावास का दंड दिया है। 'बी' क्लास दी गयी। उन्हें आज सेंट्रल जेल कन्नानूर में भेजा गया।"

सालारजंग संग्रहालय विधेयक--जारी

†**श्री न० रं० घोष** (कूच बिहार) : मैं इस विधेयक के लिए माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। कंडिका "ग" में यह व्यवस्था है कि नवाब सालारजंग के परिवार से एक या अधिक सदस्य चुने जा सकेंगे। मैं समझता हूं कि इस चीज में थोड़ी कमी रही है जिसे ठीक किया जा सकता था। खैर तब भी खंड ७ मौजूद है जिससे स्थिति कभी खराब नहीं हो सकती।

मैं इस बात को जानता हूं कि बड़े बड़े संग्रहालय भी प्रतियां रखते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी परन्तु हम समझते हैं कि इससे इस संग्रहालय को राष्ट्रीय रूप मिलता है।

एक माननीय मित्र ने कहा कि इस अजायबघर में चित्रों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यह आरोप सही नहीं है। दरअस्ल अजायबघरों का विकास इसी तरह धीरे-धीरे हुआ करता है। चित्रों आदि के प्रदर्शन के लिए विशेष प्रकार के भवनों का निर्माण होना चाहिए और मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह विशेषज्ञों की राय लेकर उपयुक्त प्रकार के भवनों का निर्माण कराये। जहां तक चित्रों का सम्बन्ध है, मैं यह बता देना चाहता हूं कि अन्य देशों में बड़े सुन्दर एलबम तैयार किये जाते हैं परन्तु भारत में वैसे सुन्दर एलबम तैयार नहीं किये जाते।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रं० घोष]

एक और बात की तरफ मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारे देश में अब भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों के पास अनेक मूल्यवान चीजें, पुराने लेख, बिखरे पड़े हैं । सरकार को प्रयत्नपूर्वक उन सब चीजों को इकट्ठा करना चाहिए । यह बात सभी को मालूम है कि श्री हर प्रसाद शास्त्री तिब्बत गये थे और उन्हें वहां उन संस्कृत के अलभ्य ग्रंथों के अनुवाद प्राप्त हुए जो अनुपलब्ध हैं । इसी प्रकार साइबेरिया और मंगोलिया में भी अनेक पांडुलिपियां उपलब्ध हो सकती हैं । हमें ऐसी सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए । मुझे पूरा विश्वास है कि यदि माननीय मंत्री थोड़ा बहुत प्रयास भी करेंगे तो सांस्कृतिक चीजों की पूर्ण रक्षा हो जायगी ।

एक सदस्य की दोषसिद्धि के बारे में. . .जारी

†**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा) : श्रीमान्, आपने श्री कुट्टिकृष्णन् नायर की दोषसिद्धि के बारे में पत्र पढ़ा है और यह भी बताया है कि उन्हें "बी" क्लास में रखा गया है । यह चीज उनकी शान के खिलाफ है । अतः उन्हें अच्छी क्लास दी जानी चाहिए । हमें आशा है कि आप सभा की इच्छा को वहां तक पहुचा देंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा की इच्छा सम्बन्धित राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष के पास पहुंचा दी जायगी ।

सालारजंग संग्रहालय विधेयक

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । मैं नवाब सालारजग बहादुर और अजायबघर की कमेटी का शुकरिया अदा करता हूं कि देश के कोने कोने से उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इकट्ठी करके यहां रखी हैं । आने वाली नसलें और आज के युवक और वृद्ध सभी को इन अजाबघरों से यह मौका मिलता है कि वे जा कर चीज़ों को देखें और उनसे सबक सीखें ।

मैं मंत्री महोदय का भी शुकरिया अदा करता हूं कि वह इस बिल को चाहे देर से ही सही, जैसे श्री दी० चं० शर्मा जी ने कहा, लाये हैं । इस बिल को उन्हें पहले ले आना चाहिये था । यह बहुत अहम चीज़ थी । लेकिन इसमें सरकार की मुश्किलात हो सकती हैं । मंत्री महोदय ने जो इसके लिए दस लाख रुपया बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए निकाला है और इसी तरह से पांच लाख रुपया जो आंध्र प्रदेश की सरकार ने बोर्ड के लिए रखा है, वह भी सराहनीय है ।

जहां तक बोर्ड का ताल्लुक है, मैं मानता हूं कि यह अच्छी बात है कि गवर्नर साहब को उसका प्रधान रखा जाये । उनके पास समय भी होता है और ऐसे कामों के अन्दर गवर्नर साहब का इस्तेमाल भी सही होता है । जैसे शर्मा साहब ने कहा कि बावजूद हमारे नेताओं द्वारा अच्छे कामों के लिए चन्दे देने की अपीलें किये जाने के बाद भी लोग कम चन्दे देते हैं अगर यहां पर छोटे आदमियों को रखा जाता तो चन्दे न के बराबर ही मिलते । चूंकि गवर्नर साहब को और दूसरे बड़े बड़े आदमियों को इसमें रखने की तजवीज की गई है, वह चन्दे हासिल न करने में फायदेमन्द साबित हो सकती है । इसलिए मैं समझता हूं कि उनका इस बोर्ड में रहना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आप जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि पंजाब में तथा दूसरी जगहों पर भी जब पुरानी ताना-शाही थी या रजवाड़े थे, जागीरदार थे, तो उनको इस तरह की बातों का बड़ा शौक हुआ करता था और वे इस तरह की चीज़ें इकट्ठा किया करते थे जोकि आने वाली नसलों के लिए सबकआमेज़ हो सकती हैं। चूंकि देश बहुत बड़ा है इस वास्ते मैं समझता हूं कि हमारे इस मंत्रालय को इस तरह का प्रबन्ध करना चाहिये कि हर एक प्रदेश में एक एक या दो दो अजायबघर बनें ताकि लोगों को इनको देखने के लिए बहुत दूर के स्थानों पर न जाना पड़े।

मैं यह भी महसूस करता हूं कि जो भाई दूर दराज़ के स्थानों से अजायबघरों को देखने के लिए जायें रेलवे मंत्रालय की तरफ से उनके लिए किराये के अन्दर कुछ कमी की जानी चाहिये, थोड़े पैसों में उनको टिकट दिया जाना चाहिये ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग जा कर इन अजायबघरों को देख सकें और सबक हासिल कर सकें। कोई गलत इस्तेमाल उन टिकटों न करे, उसके लिए भी कोई न कोई रास्ता निकाला जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अजायबघर से निकलते ही उसको फिर गाड़ी पर बिठा दिया जाये ?

चौ० रणबीर सिंह : इस तरह की बात की जरूरत नहीं है। उससे टिकट खरीदवा ली जाये और देख लिया जाये कि वह अजायबघर देखने के लिए ही जाना चाहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं संगरिया मंडी में गया हूं जहां पर हमारे दूसरे सदन के एक माननीय सदस्य स्वामी केशवानन्द जी ने बहुत से अमूल्य ग्रन्थ इकट्ठा करके रखे हुए हैं। जहां इस देश के बहुत से नवाबों और राजाओं ने अजायबघरों के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके बहुत अच्छा काम किया है, वहां एक साधू ने भी बहुत बड़ा काम किया है और देश के दूसरे भागों में हो सकता है और लोगों ने भी किया हो। बावजूद इस बात के कि वह साधू हैं, आर्य समाजी हैं, उन्होंने बड़ी ही सद्भावना के साथ हस्तलिखित कुरान शरीफ जो बहुत ही दुर्लभ है, इकट्ठा किया है और साथ ही साथ गुरु ग्रन्थ साहब और इस तरह के हिन्दुओं के धर्म ग्रन्थ जो हैं, न जाने कहां कहां से कितने परिश्रम के साथ इकट्ठे किये हैं। यही नहीं और भी बहुत सी वस्तुऐं उन्होंने इकट्ठी की हैं। इस तरह के लोग जो काम करते हैं, उनको भी सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिये। मैं चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में कोई चिट्ठी निकाले, कोई अपील निकाले। आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी कमेटी ने उनको मकान आदि बनाने के लिए पांच लाख रुपया दिया है जोकि आज के दिन देना किसी के लिए भी आसान नहीं हो सकता है। बिना पैसे के कोई भी व्यक्ति या कोई भी इस्टीट्यूट चाहे वह कितना ही बड़ा स्वामी या साधू क्यों न हो, या कितना सी बड़ा वह इस्टीट्यूट क्यों न हो, किसी काम को जारी नहीं रख सकता है। इस तरह की जो चीजें इकट्ठी की जाती हैं, इनका लाभ देश को मिल सके, इसके लिए मैं चाहता हू कि सरकार एक अपील निकाले कि जिन जिन भाइयों के पास इस तरह के एग्जीबिट्स हैं जो देश के लिए बहुत अहम हैं, बहुत जरूरी है, उनके बारे में वे सरकार को खबर करें और उन्होंने जो उन एग्जीबिट्स को इकट्ठा करने पर खर्च किया है, उसमें से कुछ खर्चा सरकार उन्हें दे ताकि वे आगे भी अपने काम को जारी रख सकें।

श्री दी० चं० शर्मा जी ने कहा है कि सिनेमा फिल्म्ज़ का तथा हथियारों का भी अजायबघर बनना चाहिये। मैं न हथियारों का जिक्र करूंगा और न ही सिनेमाओं का जिक्र करूंगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और मैं चाहता हू कि कृषि मंत्रालय से मिल करके जगह जगह, हर प्रदेश में, एक-एक या दो-दो जो खेती में औज़ार काम में आते थे, या आते हैं, भिन्न-भिन्न प्रदेशों में, उनके अजायबघर खोले जायें। उनमें यह दिखाया जाये कि हमारा देश जोकि बहुत बड़ा देश है, उसके एक

[चौ० रणवीर सिंह]

हिस्से में कौन से औज़ार इस्तेमाल किये जाते हैं, दूसरे में कौन से किये जाते हैं या किये जाते थे, किस समय कौन से किये जाते रहे हैं तथा दूसरे देशों में कौन-कौन से औज़ार खेती के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं। अगर ऐसा किया गया तो खेती की तरक्की हो सकेगी और इसके साथ ही साथ लोगों को शिक्षा भी मिल सकेगी। मैं चाहता हूं कि ऐसे भी अजायबघर बनाये जायें।

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया मैं उनका आभारी हूं और मैं स्वर्गीय नवाब सालारजंग बहादुर को भी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं जिन्होंने राष्ट्र के लिए ऐसी अमूल्य निधि छोड़ी।

[**डा० सुशीला नायर** पीठासीन हुईं]

कुल पांच करोड़ रुपये का व्यय उन्होंने और उनके परिवार वालों ने किया है। विदेशी विद्वानों ने इस संग्रह की बड़ी प्रशंसा की है। हम उनके परिवार के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं क्योंकि उन्होंने मुकदमे बाजी किये बिना ही अपना दावा उस पर से छोड़ दिया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी इस काम में बड़ा योग दिया है।

जब इस सम्बन्ध में शुरू शुरू में कुछ चर्चा चली तो एक सुझाव यह था कि वह संग्रहालय किसी न्यास या राज्य को सौंप दिया जाना चाहिए। लेकिन हम ने इसे केन्द्र को सौंपे जाने को कहा। उसके बाद इसे राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया।

इस बीच राष्ट्रीय संग्रहालय पर भी चर्चा चली। श्री जाधव ने इस सम्बन्ध में हमारी नीति जाननी चाही। मैंने नीति की व्याख्या सभा में पहले कर दी थी और बताया था कि भारत जैसे विस्तृत देश में मात्र एक संग्रहालय का निर्माण उचित नहीं है। कई राष्ट्रीय संग्रहालय होने चाहिएं। अब डा० सामन्त सिंहार और श्री नरसिंहन को छोड़ कर बाकी सब लोगों की राय यही है। और तो और इंगलैंड जैसे छोटे से देश में भी कई राष्ट्रीय संग्रहालय हैं। अतः हमारे देश जैसे बड़े देश में अनेक राष्ट्रीय संग्रहालयों की स्थापना से ही काम चल सकता है। परन्तु श्री शर्मा उनके शिक्षणात्मक पहलू पर जोर देते रहे। यह काम तो तब भी पूरा नहीं हो सकता यदि एक एक शहर में भी संग्रहालय बना दिये जाएं।

इस विधेयक को केवल श्री नरसिंहन ने ही पसन्द नहीं किया। मुझे सभा की इच्छा या अनिच्छा, उनकी पसन्द से कहीं ज्यादा मान्य है। पुरातत्वशास्त्र के अनुसार हम उस चीज को पुरातत्वीय मानते हैं जो कम से कम १०० वर्ष पुरानी हो। इसी प्रकार सामान्य रूप से उनके विचार भी पुराने ही हो गये हैं।

उन्होंने यूनेस्को की रिपोर्ट से यह बताया कि संग्रहालय वह स्थान होता है जहां पुरानी वस्तुओं को सिलसिलेवार प्रदर्शित किया जाता है। भला इस चीज को कौन नहीं जानता। दूसरे वह कहने लगे कि जब विशेषज्ञों ने कहा है कि देश भर में केवल एक संग्रहालय होना चाहिए तो अनेक संग्रहालय क्यों बनाये जाये।

पर जहां तक मेरा विचार है विशेषज्ञों ने यह कहा था कि देश में एक राष्ट्रीय संग्रहालय होना चाहिए जिसका पुरातत्वीय विभाग दिल्ली में, वैज्ञानिक विभाग बंगलौर में, कृषि विभाग लखनऊ में और बाटैनिकल विभाग किसी और नगर में होना चाहिए। अब पता नहीं कि श्री नरसिंहन इसी तरह का संग्रहालय चाहते हैं या किसी और किस्म का मैं खुद यही चाहता हूं कि लोग एक ही स्थान

†मूल अंग्रेजी में

पर न जाये बल्कि वे घूमें फिरें और अनेक जगहों को देखें। परन्तु ऐसा संग्रहालय स्थापित करना ठीक नहीं। इसी कारण हमने इस सिफारिश को ठीक नहीं समझा था। हम ऐसी सिफारिश को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते।

श्री रंगा ने कई रोचक सुझाव दिये और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनकी राय एक बड़ी हद तक हमारे विचारों से मेल खाती है।

श्री विट्ठलराव ने सामान्यतया हमारा समर्थन किया पर एक दो चीजे ऐसी कहीं जो अद्यतन ज्ञान पर आधारित नहीं हैं उन्होंने कहा कि पांडुलिपियों की सुरक्षा के लिए और प्रयास किये जाने चाहिएं। इस चीज से मैं सहमत हूं और हमारी भी यही इच्छा है कि सारा काम बड़ी दक्षता से चलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ चीजें कम कलात्मक हैं जिन्हें रद्दी समझना चाहिए परन्तु उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। हर चीज का महत्व समयानुसार अलग हुआ करता है।

चित्रों की बात भी चली। एक सदस्य ने जो यह कहती हैं कि वे स्वयं भी अच्छी चित्रकार हैं कहा कि वे समकालीन चित्रकला से घृणा करती हैं। यह चीज अलग है पर इस आधार पर संग्रहालय चित्रों को परे नहीं फेंक सकता। साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में समय समय पर नवीन प्रवृत्तियां विकसित होकर पनपती हैं। इस कारण किसी चीज को रद्दी कह कर समाप्त करवा देना न्यायोचित नहीं है।

जहां तक भवन को निर्माण कराने का प्रश्न है उस सम्बन्ध में हम यह नहीं चाहते कि किसी प्रकार का विलम्ब हो। इसी कारण हमने यह काम राज्य सरकार को सौंप दिया है। पर हाल ही में हमने एक समिति बनाने का निश्चय किया है। इसके बन जाने पर यह सारा काम और भी आसान हो जायेगा। किसी भी हालत में दिसम्बर १९६३ तक भवन बन कर तैयार हो जायगा।

कुछ मित्रों ने यह भी कहा कि अजायबघर में प्रवेश शुल्क कम किया जाना चाहिए। मैं उस अजायबघर में अनेक बार विभिन्न समयों पर गया हूं और हमेशा मैंने वहां जनता की भीड़ देखी है। इससे सिद्ध होता है कि यह शुल्क ज्यादा नहीं है। पर फिर भी हम इस चीज का परीक्षण करेंगे। किन्तु माननीय सदस्यों को यह बात भी सोचनी चाहिए और ध्यन में रखनी चाहिए कि हम अजायबघर की हालत सुधारना चाहते हैं और उसके साथ ही उन कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के वेतन स्तर देना चाहते हैं जो पांच या सात रुपये मासिक पाते थे।

३१ मार्च, १९६० तक अजायबघर का सारा खर्चा अजायबघर की आमदनी से होता था और आय लगभग २ लाख रुपया हो जाती थी। पर हमने १९६०–६१ में ३.१० लाख की व्यवस्था की जिसे संशोधित अनुमान में ६.१५ लाख रुपया करना पड़ा। १९६१–६२ के बजट में ९ लाख रुपये की व्यवस्था है।

आमदनी से जो सहायता सरकार को मिले वही अच्छी है। यदि हम उसे न लें तो जनता पर आय कर लगाना पड़े। पर इन सब बातों के बावजूद भी हमने कुछ एक रियायत दी हैं। उदाहरण के लिए बच्चों का टिकट हटा दिया गया है।

कुछ सदस्यों ने बोर्ड के गठन की बात कही। वह खंड ५ से सम्बन्धित है। हमने इस बात पर काफी विचार किया है। मंत्रालय के सचिव को तो सदस्य बनना ही है क्योंकि अन्ततः संसद में विभाग को ही जवाब देने हैं। हमने यह व्यवस्था भी कर दी है कि यदि सचिव किन्हीं कारणों से वहां न जा सकें तो अपने स्थान पर वह किसी दूसरे को भेज सकता है। यह निर्णय भी सोच समझ

[श्री हुमायून् कबिर]

कर ही किया गया है । कारण यह है कि कोई बैठक नरतत्वीय विषय पर विचार कर रही है तो इस प्रक्रिया के अनुसार वहां इस विषय के विशेषज्ञ को भेजा जा सकता है । इससे बोर्ड के सदस्यों की संख्या भी नहीं बढ़ती । इसी कारण हमने दो तीन पदेन सदस्यों की भी व्यवस्था की है जैसे हैदराबाद निगम के मेयर और उस्मानिया विश्वविद्यालय के उपकुलपति के लिए ।

मेयर प्रति वर्ष बदल जाता है और उपकुलपति प्रति दूसरे या तीसरे वर्ष बदल जाता है । महालेखा परीक्षक भी प्रायः बदलता रहता है । अधीक्षक भी प्रायः बदलता रहता है । मगर आप इसे परिवर्तनशील नहीं कहते तो फिर किसे परिवर्तनशील कह सकते हैं । मेरा विचार है कि इस प्रकार का बोर्ड बनाना वांछनीय है । हम यह नहीं चाहते कि यह बोर्ड ऐसा हो जहां कि सदस्य हर बार बदलते रहे और जिन्हें इसकी पृष्ठ भूमि के बारे में कोई भी जानकारी न हो । हमने इन दोनों को मिलाने का प्रयत्न किया है और वहां हम कुछ विशेषज्ञों को रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये व्यक्ति संग्रहालय तथा पुस्तकालय सम्बन्धी बातों से अच्छी तरह से परिचित होंगे । इन व्यक्तियों में से तीन व्यक्तियों का नाम-निर्देशन तो केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा । जहां तक संसद को इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने की बात है अच्छा तो यह होगा कि संसद सदस्य अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर ही वहां आये । न कि संसद के प्रतिनिधित्व के रूप में किन्तु संसद को इस बोर्ड के मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर वैसे भी बहुत मिलेगा क्योंकि जब इसका प्रतिवेदन आयेगा तो वे सभी प्रकार की चर्चा कर सकते हैं , सुझाव दे सकते हैं ।

यह बात ठीक है कि वहां वस्तुओं को ठीक ढंग से नहीं रखा जाता लेकिन यह बात अब नहीं है पहले थी । अब हमने यह निर्णय कर लिया है कि इसे राष्ट्रीय संग्रहालय बना दिया जाये तभी वस्तुओं को वहां ठीक ढंग से रखा जा सकता है । अब वहां काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गये हैं । हमारे जो नये सहायक निदेशक हैं उन्होंने इसका रूप बनाना शुरू कर दिया है । अब हमारा विचार वहां छोटी मोटी प्रदर्शनियां छोटे छोटे उत्सव तथा तत्सम्बन्धी प्रकाशन करने का है ताकि इनके बारे में जनता को कुछ मालूम हो सके ।

एलबम निकालने का भी हम प्रयत्न कर रहे हैं । साथ ही साथ पोस्टकार्ड के नाप की तस्वीरें भी निकाल रहे हैं । लेकिन इस सब में समय लगेगा । सालारजंग संग्रहालय बहुत बड़ा संग्रहालय है जब हमने इसे लिया था तो इसमें २५,००० वस्तुएं थीं । इनमें और भी वृद्धि होती रहेगी ।

श्री यादव नारायण जाधव ने कहा है कि देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय संग्रहालय होने चाहियें । मंत्रालय की भी नीति यही है । उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया है कि अच्छी योग्यता प्राप्त कर्मचारी रखने चाहिये । जहां तक इन कर्मचारियों की बात है, ये लोग वहां बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और जब हमने यह संग्रहालय लिया था तो यह आश्वासन दिया था कि ये लोग अपने अपने काम पर बने रहेंगे । हम जानते थे कि ये लोग प्रशिक्षित नहीं हैं लेकिन फिरभी उनकी भूतपूर्व सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय किया । लेकिन नये कर्मचारी प्रशिक्षित एवं सुयोग्य ही लिये जायेंगे । देश में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये भी प्रयत्न किया जा रहा है । संग्रहालय सम्बन्धी जानकारी देने के लिए एक दो पाठ्यक्रम दिये जा चुके हैं और कुछ देने का विचार है ।

जहां तक संग्रहालयों को सरकार द्वारा लेने की बात है हम सभी संग्रहालयों को अपने हाथ में नहीं लेंगे । जिन संग्रहालयों की देख भाल स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अच्छी तरह की जाती है उनको सरकार नहीं लेगी । हम उनको सहायता अवश्य देते रहेंगे । पिछले दो वर्षों में प्रायः प्रत्येक राज्य को हमने काफी सहायता दी है ताकि वे अपने यहां संग्रहालयों की स्थिति सुधारे। हम तो

केवल उन्हीं संग्रहालयों को अपने हाथ में लेंगे जो राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व के हैं। सालारजंग संग्रहालय का प्रबन्ध तथा वहां वस्तुओं के रखने का ढंग पहले की अपेक्षा अब काफी अच्छा हो गया है। दिल्ली इत्यादि के संग्रहालय के प्रबन्ध में भी काफी सुधार हुआ है।

सालारजंग संग्रहालय का अपना नया भवन बन गया है और वहां वस्तुएं कलात्मक ढंग से सजाई जा रही हैं।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक इस संग्रहालय के हिसाब किताब की जांच कराने के उत्तरदायी होंगे। इसकी व्यवस्था हमने विधेयक में कर भी दी है। यह बात दूसरी है कि वह किसके द्वारा यह लेखा परीक्षण कराते हैं

श्री दी० चं० शर्मा ने सैनिक संग्रहालय बनाने का भी सुझाव दिया है जहां कि सैनिक अस्त्र शस्त्र रखे जा सकें। मैं बता देना चाहता हूं कि सालारजंग संग्रहालय में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हैं। जहां तक उनका दूसरा सुझाव है कि विज्ञान सम्बन्धी वस्तुएं भी वहां रखी जायें इस बारे मे हम प्रयत्न करेंगे। निरीक्षण समिति बनाने का सुझाव भी शर्मा जी ने दिया है। यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है जिस पर मैं विचार करूंगा। वैसे तो बोर्ड को यह अधिकार है कि वह अपने नियमों के अनुसार समय समय पर समितियों की नियुक्ति करे

यह कहा गया कि अगर बोर्ड में सालारजंग परिवार का कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बनाया गया तो क्या होगा मैं आशा करता हूं कि सभा इस बात से सहमत होगी कि इस बोर्ड में उस परिवार का एक सदस्य सदैव नाम निर्देशित किया जाये। श्री शर्मा का यह सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बोर्ड में संस्कृति और कला के मर्मज्ञों को भी प्रतिनिधित्व मिले। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। हम इस बात का पूर्णतः प्रयत्न करेंगे कि यह संग्रहालय न केवल राष्ट्रीय दृष्टि से ही महत्व का बने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो। रियायती टिकट देने की जहां तक बात है यह तो परिवहन तथा रेलवे मंत्रालयों का क्षेत्राधिकार है

अन्त में मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि हैदराबाद स्थित सालारजंग संग्रहालय को, सालारजंग पुस्तकालय सहित राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने वाले और उसके प्रशासन तथा तत्सम्बन्धी अन्य बातों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय :** खंड २ के बारे में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर :** पहली बात तो यह है कि मंत्रालय के सचिव, मेयर, उपकुलपति तथा महालेखापरीक्षक की नियुक्ति पद पर होने के कारण की जाती है न कि उनके व्यक्तिगत आधार पर । सरकारी प्रथा यह रही है कि सचिव सदस्य होता जरूर है लेकिन उसके स्थान पर संयुक्त सचिव ही बैठक में भाग लेता है । लेकिन उसको कोई अधिकारी नहीं होता लेकिन यहां हम उसको अधिकार देना चाहते हैं । इसलिये यह खंड आवश्यक है ।

कभी कभी प्राय ऐसा होता है कि उपकुलपति अथवा मेयर अपने काम में अधिक व्यस्त होते हैं और वे अध्यक्ष को इसकी सूचना दे देते हैं और अपने स्थान पर किसी को बैठक में भाग लेने के लिये भेज देते हैं । और हम इस प्रकार अध्यक्ष की पूर्वानुमति मिल जाती है ।

†**सभापति महोदय :** क्या माननीय सदस्य अपने संशोधनों पर जोर देते हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** मैं अपने संशोधन संख्या ११ पर जोर देता हूं ।

संशोधन संख्या ११ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**डा० सामन्तसिंहार :** मैं अपने संशोधन संख्या ५ पर ज़ोर नहीं देता ।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

†**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है :

"कि खंड ९ विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १०—(किसी कार्यविशेष के लिये बोर्ड में कुछ व्यक्तियों का अस्थायी तौर पर काम करना)

†**सभापति महोदय :** क्या डा० सामन्तसिंहार अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

†**डा० सामन्तसिंहार :** जी नहीं ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १० विधेयक का अंग बने;

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १० विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ११ से २० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड २१ —(लेखा तथा लेखापरीक्षा)

†**सभापति महोदय :** क्या डा० सामन्त सिंहार अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

†**डा० सामन्तसिंहार :** नहीं ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड २१ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २१ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २२ से २८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी ।

†**सभापति महोदय :** खड १ तथा अधिनियमन सूत्र में यह संशोधन है :—

संशोधन किया गया

पृष्ठ संख्या १, पंक्ति १ में

संख्या १ : "Eleventh year" (ग्यारहवां वर्ष) के स्थान पर "Twelfth year" (बारहवां वर्ष) रखा जाय । (१)

संख्या २ : पृष्ठ संख्या १, पंक्ति ५ में

"1960" (१९६०) के स्थान पर "1961" (१९६१) रखा जाय । (२)

[श्री हुमायून् कबिर]

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है कि

"खंड १, संशोधित रूप में, अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में और शीर्ष विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, संशोधित रूप में, अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में और शीर्ष विधेयक में जोड़ दिए गये ।

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** मैं प्रार्थना करता हूं कि अब शीघ्रातिशीघ्र विधेयक के बारे में अधिसूचना जारी की जाय और उसके बाद भवन का निर्माण भी यथाशीघ्र सरकार को करना चाहिए ।

†**श्री नरसिंहन् :** मेरी प्रार्थना है कि कलकत्ता जैसे नगरों के अजायबघरों के लिए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किये जाने चाहिएं ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"मोटर परिवहन कर्मचारियों के कल्याण की व्यवस्था करने और उनके काम की दशा को विनियमित करने का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।"

अधिकांश संशोधन औपचारिक हैं। किन्तु मैं एक संशोधन की व्याख्या करना चाहता हूं। मूल विधेयक में कोई तारीख निश्चित नहीं थी जिस तक इसके उपबंधों को राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। प्रवर समिति में ऐसा सुझाव आया था और मैंने ३१ दिसम्बर, १९६१ को स्वीकार कर लिया था। उस समय हमारा विचार था कि तब तक सब औपचारिकताएं पूरी की जा सकेंगी। किन्तु अब ६ मास तो वैसे ही समाप्त हो गये हैं। हम तो यही चाहते हैं कि विधेयक शीघ्रातिशीघ्र लागू हो। किन्तु राज्यों को कुछ व्यवस्था करनी है। इस कारण मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य हमारी बात को स्वीकार करेंगे।

†**सभापति महोदय** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : (कानपुर) : एक तो पहले ही इस विधेयक को देर से रखा गया और इस पर इसे लागू भी बाद में किया जा रहा है। इस कार्यवाही से सारे कर्मचारी निराश हो जायेंगे। सरकार को समय बढ़ाने के कारणों की व्याख्या करनी चाहिए।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** :(खम्मम) : श्रीमान् मैं इस संशोधन का विरोध करता क्योंकि त्रिपक्षीय समिति की बैठक के बाद ही विशेषज्ञ समिति बनी। राज्यों से सलाह ली गयी और फिर पांच साल के लम्बे अर्से के बाद इस विधेयक का मसौदा तैयार किया गया। तब संयुक्त समिति ने भी इस विधेयक पर विचार किया। फिर इसे पारित किया गया किन्तु इस पर भी सरकार इसकी कार्यान्विति का समय बढ़ाना चाहती है। यह अच्छी चीज़ नहीं है। इससे यही प्रकट होता है कि सरकार मोटर मालिकों के प्रभाव में है। मोटर मालिक न्यायालयों में हजारों रुपया खर्च कर देते हैं पर श्रमिकों को देते समय उनका दिल कांपता है।

†**श्री आबिद अली** : प्रभाव की बात कोरी कल्पना है। हमें इस सम्बन्ध में किसी ने भी पहुंच नहीं की। किसी राज्य सरकार ने भी ऐसा नहीं लिखा। यह हमारी अपनी राय थी। प्रवर समिति में इस मामले पर चर्चा चली थी और हमें आशा थी कि नवम्बर तक यह विधेयक दोनों सभाओं में पारित हो जायगा। यदि अब इस संशोधन को स्वीकार न किया गया तो आरम्भिक बातें पूरी न हो सकेंगी।

पहले मैंने राज्य सभा में भी १९६२ के बारे में कहा था किन्तु वहां भी सदस्यों ने कहा कि यह ज्यादा होगी इसलिये ३१ मार्च पर ही हम ठहरे। यह कहना गलत है कि हम पर मोटर मालिकों का प्रभाव है। हम ऐसी कार्यवाही नहीं करते। यह काम तो साम्यवादियों ने केरल में किया था यानी एक ऐसे उद्योगपति से समझौता किया था जो कर्मचारियों के हितों को समाप्त करना चाहते थे।

वैसे भी ३१ दिसम्बर, १९६१ और ३१ मार्च, १९६२ में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। इस प्रकार समय बढ़ाने में कोई ज्यादा हर्ज नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"मोटर परिवहन कर्मचारियों के कल्याण की व्यवस्था करने और उनके काम की दशा को विनियमित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

खंड २

संशोधन किया गया

(१) पृष्ठ ४, पंक्ति २–३ में "required to work or is engaged directly or through any agency, in a professional capacity on a transport vehicle or who attends" [जो व्यक्ति सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से व्यावसायिक हैसियत से किसी परिवाहक यान पर काम करता है या उसे देखता है] के स्थान पर यह शब्द रखे जायं :—

"Employed in a motor transport undertaking directly or through any agency whether for wages or not, to work in a professional capacity on a transport vehicle or to attend."

[किसी मोटर परिवहन उपक्रम में सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से, वेतन सहित या वेतन के बिना व्यावसायिक हैसियत में किसी परिवहन आदि पर जो व्यक्ति काम करे या उसकी देख रेख करे।] (४)

(२) पृष्ठ ४, पंक्ति ७ में "Time keeper" (टाइम कीपर) शब्द के बाद " Watchman" (वाचमैन) रखा जाय। (५)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १८

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ६, पंक्ति ३८ में "Each adult motor transport worker" (प्रत्येक वयस्क मोटर परिवहन कर्मचारी) के स्थान पर "motor transport workers" (मोटर परिवहन कर्मचारी) रखा जाय। (६)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २०

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ १० पंक्ति २३ में "holidays" (छुट्टियों) के स्थान पर "days of rest" (विश्राम के दिन) शब्द रखे जायं। (७)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २८

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ १३, पंक्ति ३ में "wages" (वेतन) शब्द के बाद "for the days on which he worked during the month immediately preceding his leave" (उन दिनोंके लिये जबकि उसने काम किया अपनी छुट्टी से तुरन्त पूर्व) (८)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ १, पंक्ति ६ में "1960" (१९६०) के स्थान पर "1961" (१९६१) रखा जाय (२)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ १, पंक्ति १० में "31st day of December 1961" (१९६१ के ३१ वें दिन) के स्थान पर "31st day of March" (मार्च के ३१ वें दिन तक) शब्द रखे जायें । (३)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ और पक्ष में १०२, विपक्ष में २१ मत ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अधिनियमन सूत्र

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ १, पंक्ति १ में "Eleventh year" (ग्यारहवां वर्ष) के स्थान पर "Twelfth year" (बारहवां वर्ष) शब्द रखे जायं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री आबिद अली :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति दी जाय ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा अप्रैल, १९५९ से मार्च १९६० तक के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर, जिसे १७ फरवरी १९६१ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री हेम बरुआ :** (गौहाटी): माध्यमिक शिक्षा का देश के लिये बहुत भारी महत्व है । इसे हल करने की पूरी कोशिश आयोग ने की है । परन्तु दुख की बात है कि आयोग को अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का अधिकार नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रकार इस आयोग की हैसियत एक डाक घर के समान हो गयी है जहां लोग जाते हैं और पंक्तियों में खड़े होकर सहायता के लिये धन ले आते हैं। इससे आगे कुछ नहीं।

आयोग ने कुछ मूलभूत समस्यायें उठायी हैं। पहली समस्या तो है विश्वविद्यालयों की कमी की। इस देश की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। विश्वविद्यालयों के अभाव के कारण बड़ी समस्या हमारे सामने है। आयोग ने यह सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालयों में परीक्षा द्वारा प्रवेश दिया जाय। यह भी व्यवहारिक नहीं। वस्तुतः हमारे देश की समस्या और है। लोग यहां आगे पढ़ना चाहते हैं। हमारी परम्पराएं ही ऐसी हैं। इसलिये जब तक लोगों की सामान्य मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता तब तक इसका यह हल नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारी सरकार भी अन्य मार्गों का निर्माण जनता के लिये नहीं कर सकी।

हमारे देश में इंजीनियरिंग संस्थायें बहुत कम हैं। सबसे पहले लोग अपने बच्चों को इंजीनियरिंग में भेजना चाहते हैं और फिर उसके बाद जब वहां जगह नहीं मिलती तब वे उन्हें आम कालेजों में भेजते हैं। इस प्रकार विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाती है। संख्या की वृद्धि के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों में गवेषणा और ज्ञान का व तावरण नहीं रहता। इसी से विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की वृद्धि होती है। विदेशी विश्वविद्यालयों में गवेषणा पर अत्यधिक जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के कारण रचनात्मक कार्य भी सम्भव नहीं है।

मेरा मत यह है कि आयोग ने अनुशासनहीनता को हल करने के लिये जो उपाय बताया है वह कहीं नहीं है। मैं उससे सहमत नहीं। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि अनुशासनहीनता के लिये केवल राजनीति ही उत्तरदायी है। यह देखा गया है कि राजनीतिक दलों मे सम्बन्ध के फलस्वरूप विद्यार्थियों में अधिक चेतना पैदा हो जाती है। देश की सामाजिक व आर्थिक स्थिति तथा विद्यार्थियों में पेशेवर नेताओं की उपस्थिति अनुशासनहीनता के लिये किसी सीमा तक उत्तरदायी है।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट में जो सुझाव दिये गये हैं वह महान प्रतिक्रियावादी हैं और मैं समझता हूं कि जो उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियुक्त करने का था वह उस से विफल हो जाता है। ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयाग देश के सामने जो संकट है उन का कोई हल नहीं ढूंढ़ना चाहता और यह कह कर कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है धन की कमी है इसलिये हम विश्वविद्यालय की शिक्षा की सुविधायें नहीं बढ़ा सकते हैं और चूंकि विश्वविद्यालय की शिक्षा की सुविधा बढ़ नहीं सकती इसलिये वह अप्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश पर रोक लगाना चाहते हैं।

एक सुझाव उन का यह है कि कोई इस तरीके की विधि अपनाई जाये जिस से कि विद्यार्थी लोग विश्वविद्यालयों में जा सकें। उनका सुझाव यह है कि जो एक किसी खास स्तर के हों उन्हीं को विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त हो और उस खास स्तर के नीचे के लोगों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश ही न दिया जाय। जब तक उन सब लोगों के लिये जो कि विश्वविद्यालय की शिक्षा चाहते हों, सिर्फ इसलिये कि कोई दूसरी शिक्षा का उन के लिये प्रबन्ध नहीं है या और किसी काम का उन के लिये प्रबन्ध नहीं है, किसी काम का या अन्य शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर दिया जाता है तब तक इस तरीके की बात पर विचार करना भी आज की परिस्थिति में देश के भविष्य में के लिये बहुत घातक होगा। इसलिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो इस तरह का सुझाव देता है कि कोई इस तरीके की विधि अपनाई जानी चाहिये जिस से कि विश्वविद्यालय के प्रवेश पर रोक लगा दी जाये मैं समझता हूं कि यह बहुत ही प्रतिक्रियावादी चीज है और इसे सरकार को ठुकरा देना चाहिये।

[श्री ब्रजराज सिंह]

मंत्री जी ने भी इस सदन में कभी कभी इस तरह के इशारे किये हैं कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को समूचा मान लेंगे। मंत्री जी के सामने अक्सर यह दिक्कत रहा करती है कि जितना धन उन्हें विश्वविद्यालय की शिक्षा के विकास के लिये चाहिये, उस को बढ़ावा देने के लिये चाहिये उतना धन उन्हें इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में मिल नहीं रहा है और इस कारण वह विश्वविद्यालय की शिक्षा का विकास और विस्तार नहीं रकर सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विद्वान प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि जिस समय बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिस समय अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थीं तव क्या धन का प्रश्न नहीं था? उस समय क्या मुल्क की आज जैसी हालत नहीं थी। लेकिन उस के बावजूद यह विश्वविद्यालय चले, स्थापित हुए, उन की उन्नति हुई और विकास हुआ। आज जब हमें विश्वविद्यालय की शिक्षा का विकास करने के लिये धन चाहिये, और धन की जो दिक्कत बताई जाती है उस दिक्कत का कोई न कोई हल ढूंढ़ना ही पड़ेगा। अब क्योंकि हमारे पास धन नहीं है इसलिये हम विश्वविद्यालय की शिक्षा के प्रवेश पर रोक लगा दें, मैं समझता हूं कि यह न तो उचित ही होगा और न देश के भविष्य के लिये हितकर होगा। इसलिये हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से तरीके अपनायें, कौन सा ऐसा माध्यम अपनायें, जिस से न तो देश में असन्तोष फैले और उन लोगों को जो कि या तो विश्वविद्यालय की शिक्षा लेना चाहते हैं या जबर्दस्ती उन को विश्वविद्यालय की शिक्षा लेनी पड़ती है क्योंकि उन के लिये अन्य कोई काम का माध्यम नहीं है, कोई नौकरी नहीं मिलती है और न ही उन्हें कोई टैक्नीकल और दूसरे तरीके की विशेष शिक्षा मिलती है और इसलिये वह विश्वविद्यालयों में जाते हैं तो जब तक कि आप उन के वास्ते अन्य कोई प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं तब तक मैं समझता हूं कि उन के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने पर रोक लगाने का प्रश्न नहीं होना चाहिये और सरकार को आयोग के इस सुझाव को ठुकरा देना चाहिये।

धन की कमी का प्रश्न उठता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस विश्वविद्यालय कोष स्थापित कर सकते थे और सर सैय्यद अहमद खां अलीगढ़ विश्वविद्यालय कोष स्थापित कर सकते थे तो क्या आज मुल्क में इस तरह के लोगों की कमी आ गयी है कि जो आवश्यक धन जुटा सकें? अब आज इस तरह क्यों सोचा जाता है कि सारा का सारा काम केवल सरकार के माध्यम से ही होगा? हम क्यों नहीं कोई ऐसा तरीका अपनायें जिस से लोगों में इस के लिये आगे आने की भावना पैदा हो, जिन के पास पैसा है और जिन का कि पैसा बेकार पड़ा हुआ है, गड़ा हुआ रक्खा है वह अपना पैसा इस काम को आगे बढ़ाने के लिये निकालें? मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कोई ऐसे तरीके निकाले जायें जिससे इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो १०० करोड़ रुपया विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिये रक्खा है उस के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भी रुपया इकट्ठा किया जाये। चंदे की बात मैं नहीं कहता। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि कोई उत्साह दिलाया जाय जिस तरह का उत्साह पंडित मदन मोहन मालवीय या सर-सैयद अहमद खां दिलाया करते थे, उस तरह का उत्साह विशेष रूप से उन लोगों को दिलाया जाय जिन की कि शिक्षा में रुचि हो सकती है तो देश में से काफी रुपया निकल सकेगा और विश्व-विद्यालय की शिक्षा के विकास कार्य में उसे लगाया जा सकता है।

अभी पिछले दिनों एक अन्दाजा लगाया गया था कि अगले चन्द सालों में विश्वविद्यालयों में जितने लोग जाने वाले होंगे उन सब को शिक्षा देने के लिये शायद देश में ४० नहीं अपितु २०० विश्व-विद्यालय चाहियें। अब एक तरफ तो यह अन्दाजा लगाया जाता है और दूसरी तरफ यह सुझाव आता है कि इन नये विश्वविद्यालयों के खुलने के बाद इन विश्वविद्यालयों में आज जितनी सीटें हैं जितनी जगहें हैं उतनी जगह भी नहीं रहनी चाहियें। कुछ दिनों पहले बनारस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यह सुझाव

देखकर आश्चर्य हुआ था कि वहां पर १०००० या ६००० विद्यार्थी न खपा कर ५००० या ६००० विद्यार्थी खपाये जायें क्योंकि अंधाधुंध सब को भरती कर लेने से शिक्षा का स्तर गिरता है। उससे शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं रह पाता है। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा का स्तर कुछ लोगों को ही उच्च शिक्षा देने से ऊंचा उठने वाला नहीं है। अगर हमें देश में कोई संकट पैदा नहीं करना है और इस तरीके का संकट पैदा नहीं करना है जिस का कि कोई हल न निकल सके तो उस के लिये लोगों को शिक्षा देनी ही पड़ेगी और उस के लिये वह सारी दिक्कतें और मुसीबतें जो कि हमारे मार्ग में आयेंगी उन्हें हल करना पड़ेगा। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि कोई विश्वविद्यालय के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रश्न नहीं उठना चाहिये और उस पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिये। जो नये विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं उस में युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को कोई रोक नहीं लगानी चाहिये।

अभी उस दिन हमारे पाटिल साहब ने ठीक ही तो कहा था कि युनिवरसिटी ग्रान्ट्स कमिशन कोई खुदा नहीं है कि जो कृषि विश्वविद्यालय हम खोलने जा रहे हैं उस पर वह रोक लगा दें। मुझे उन के मुंह से यह बात सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि केन्द्रीय सरकार के ही दो मंत्रियों में इस बारे में एक राय नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री महोदय का पाटिल साहब से मतभेद है और वह युनिवरसिटी ग्रान्ट्स कमीशन के इस सुझाव से सहमत होंगे कि कोई नया विश्वविद्यालय नहीं खुलना चाहिये। दूसरी तरफ हमारे खाद्य तथा कृषि मंत्री कहते हैं कि नहीं कृषि के विकास के लिये जैसे अमरीका में लैंड ग्रान्ट्स यूनिवरसिटीज हैं उसी प्रकार की विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के वास्ते कृषि विश्वविद्यालय हमारे देश में भी खुलने चाहियें। हमारे कृषि मंत्री महोदय उस प्रकार के विश्वविद्यालय यहां पर खोलने के पक्ष में हैं। बहरहाल जो कुछ भी हो विश्वविद्यालय की शिक्षा पर रोक लगाने का प्रश्न नहीं उठना चाहिये।

युनिवरसिटीज में प्रवेश पाने के लिये जो मैरिट के आधार पर सैलेक्शन करने का सुझाव आयोग ने दिया है वह भी मेरी राय में ठीक नहीं है। मैरिट के आधार पर अगर सैलेक्शन होता है तो उस का परिणाम यह होने वाला है कि वे लोग जो कि आज पिछले हजारों सालों से दबे हुए और पिछड़े रहे हैं उन के बच्चे युनिवरसिटी की शिक्षा पाने से वंचित हो जायेंगे और केवल वही लोग जो कि सैकड़ों और हजारों साल से आगे रहे हैं उन्हीं के बच्चे विश्वविद्यालय की शिक्षा पा सकेंगे। पिछड़े हुए वर्ग वालों के बच्चे उच्च शिक्षा पाने से वंचित रह जायेंगे और वह विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह सुझाव बहुत ही प्रतिक्रियावादी है और सरकार को उसे नहीं मानना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उस सुझाव के सम्बन्ध में है जिस के कि लिये उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप नियत किया है। इस तरह की वर्किंग टीम नियत करने की सरकार की आदत है। लेकिन सरकार के अलावा जो उसकी एक तरह से मातहत संस्थायें हैं वे भी वर्किंग ग्रुप नियत कर देती हैं। युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने एक वर्किंग ग्रुप नियत किया है जिसका कि नाम मीडियम औफ इंस्ट्रक्शन वर्किंग ग्रुप है। अब पता नहीं कि उस वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट छप कर सरकार के पास अभी तक आ पायी है कि नहीं लेकिन जब तक यह रिपोर्ट छपी और दाखिल की गई तब तक सरकार के पास उस की रिपोर्ट नहीं आई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उस सम्बन्ध में सुझाव देते हुए यह कहा है :—

> "क्षेत्रीय भाषा के मार्ग में सब से बड़ी रुकावट यह है कि उस में पर्याप्त पुस्तकें ही उपलब्ध हैं न पर्याप्त पढ़ाने वाले।"

[श्री ब्रजराज सिंह]

इस के बाद कुछ और दूसरी बातें कही गई हैं । अब यह तो एक चक्रव्यूह सा आपने बना रक्खा है । भारतीय भाषाओं में साहित्य आप पैदा नहीं करेंगे और चूंकि भारतीय भाषाओं में साहित्य नहीं है इसलिये अध्यापक भारतीय भाषा के माध्यम से विश्वविद्यालय में पढ़ा नहीं सकेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप इस तरह का चक्रव्यूह जारी रक्खेंगे कि चूंकि भारतीय भाषाओं में साहित्य नहीं है इसलिये उन में पढ़ाई नहीं चल सकती है और साहित्य आप पैदा करेंगे नहीं, उन को उन्नत बनायेंगे नहीं तब विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषायें कैसे बन सकेंगी ? वैसे मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह कहना कि हमारे अध्यापकों को भारतीय भाषाओं में अपने विचार प्रकट करने में कठिनाई पेश आयेगी, यह बिल्कुल गलत है । कोई भी भारतवासी अपनी मातृभाषा में ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकता, है, समझा सकता है । अध्यापक और विद्यार्थी दोनों को ही पढ़ाने और पढ़ने में अगर वह उन की मातृभाषा के माध्यम से की जाय तो उन के लिये सुविधाजनक होगा और उन को आसानी होगी । जितनी सहूलियत अपनी मातृभाषा के जरिये पढ़ाने और पढ़ने में उन को हो सकती है उतनी दूसरी भाषा में नहीं हो सकती है । इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि जो यह वर्किंग ग्रुप नियत किया हुआ है और जिस के कि पीछे यह भावना मालूम पड़ती है कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजी को हमेशा हमेशा के लिये रक्खा जाये और उसी के माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाय, यह बहुत ही प्रतिक्रियावादी चीज है । प्रतिक्रियावादी इसलिये नहीं कहता कि अंग्रेजी से मुझे कोई द्रोह है अथवा कोई वैमनस्य है । अंग्रेजी से मुझे कोई दुश्मनी है ऐसी बात नहीं है । लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी भारतवासी को किसी विषय का ज्ञान कराना है तो वह ज्ञान उस की मातृभाषा के द्वारा अधिक सरलता से कराया जा सकता है । एक विषय का ज्ञान कभी भी उस को एक ऐसी बाहरी भाषा के द्वारा आसानी से नहीं कराया जा सकता है जिस भाषा के लिखने और पढ़ने के सीखने में उसे १२ साल लगते हैं । हम सब जानते हैं कि उस के बाद भी हम सब—चाहे बच्चे हों, अध्यापक हों, पार्लिमेंट के मेम्बर हों या मिनिस्टर हों—ग़लतियां करते हैं । मैं समझता हूं कि इस में शर्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि आखिर वह हमारी मातृ भाषा नहीं है, वह एक विदेशी भाषा है और हम उस में प्रवीण और विद्वान नहीं हो सकते हैं । जब कोई गोरा कहता है कि "टुम कहां जाटा है ?", तो हमें हंसी आती है, लेकिन हम समझते हैं कि वह एक ऐसा व्यक्ति है, जिस की मातृ-भाषा यह नहीं है, इसलिये वह इस में ग़लती कर सकता है । उसी प्रकार अगर हम भी अंग्रेज़ी में, जो कि एक विदेशी भाषा है, कोई ग़लती करते हैं, तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है ।

अगर हम ने अपने देश के बच्चों को विषय शिक्षा देनी है, अगर हम ने उन के द्वारा आविष्कार कराने हैं, जैसे कि रूस और अमरीका में हुए हैं, जहां चंद्रमा को आदमी भेजने की बात चल रही है और स्पेस में आदमी भेजा भी गया है, तो वह तभी हो सकेगा अगर हम उन को विश्वविद्यालय की शिक्षा मराठी, तमिल, बंगाली, कन्नड़, असमिया, उड़िया, हिन्दी और पंजाबी में देंगे, अगर हम अपने विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम उन चौदह भाषाओं को बनायेंगे, जो कि कांस्टीट्यूशन में दी गई हैं । मैं साफ़ कहना चाहता हूं कि मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि विश्वविद्यालय की शिक्षा सिर्फ़ हिन्दी में दी जाये, क्योंकि उस का मतलब तो यह होगा कि हम दूसरी भाषाओं को दबाना चाहते हैं । आखिर शिक्षा का उद्देश्य और अर्थ क्या है ? शिक्षा का अर्थ भाषा का ज्ञान नहीं है, विषय का ज्ञान है । जो विद्यार्थी भाषा का ज्ञान चाहते हैं, वे विशेष रूप से उस का अध्ययन कर

सकते हैं। विषय का ज्ञान सिर्फ़ मातृ भाषा में सब से अच्छी तरह दिया जा सकता है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह इशारा बहुत ही प्रतिक्रियावादी है और सरकार को इस बारे में निश्चित कदम उठाने चाहिएं।

प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारतीय भाषाओं में साहित्य तैयार करने के लिये कौन सी कार्यवाही कर रहा है, उस पर कितना रुपया खर्च कर रहा है। रुपया उस के पास है, जो कि बिल्डिंग और तैरने के तालाब आदि पर खर्च किया जाता है, लेकिन वह रुपया भारतीय भाषाओं में साहित्य तैयार करने के लिये खर्च नहीं किया जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस पर सब से ज्यादा ध्यान दें कि अगर भारतीय भाषाओं को विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम बनाना है, तो सब से पहले उन का साहित्य तैयार होना चाहिये। अगर वह साहित्य तैयार न होगा, अगर हम कहते रहेंगे कि चूंकि भारतीय भाषाओं में साहित्य नहीं है, इसलिये अध्यापक उन में पढ़ा नहीं सकते हैं, तो हमारे देश में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई ठीक तरह से नहीं हो पायेगी और उन को विषयों का ज्ञान उचित रूप से नहीं हो सकेगा। नतीजा यह होगा कि हमारे बच्चों का सुचारु रूप से विकास नहीं हो पायेगा। जब भी अंग्रेज़ी को हटा कर उस के स्थान पर भारतीय भाषाओं को प्रतिष्ठित करने का सवाल आता है, तो कहा जाता है कि विश्वविद्यालयों और कालेजों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, वह अंग्रेजी में दी जाती है, इसलिये अंग्रेज़ी को नहीं हटाया जा सकता है। इसी प्रकार यह चक्रव्यूह चल रहा है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान को आज़ाद हुए चौदह वर्ष हो गये हैं, लेकिन इस बीच में इस बारे में कुछ नहीं किया जा सका है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहता है :—

> "हम अनुभव करते हैं कि शीघ्र ही इंग्लिश का स्थान किसी न किसी भारतीय भाषा ने लेना है।"

ये बड़े गोल शब्द हैं, क्योंकि "**एज़ मच एज़ पासिबल**" की कोई परिभाषा नहीं है। जब इतने सालों में इस विषय में कुछ नहीं हो पाया है और इस अवधि में हम भारतीय भाषाओं में साहित्य और अध्यापक तैयार नहीं कर सके हैं, तो इस प्रकार तो अंग्रेज़ी का माध्यम कभी भी खत्म नहीं हो सकेगा। सरकार को इस बारे में कोई सक्रिय कदम उठाना चाहिए और भारतीय भाषाओं में साहित्य तैयार कराने की व्यवस्था करनी चाहिए और उन के द्वारा पढ़ाई-लिखाई शुरू करनी चाहिए, अर्थात् शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषायें होनी चाहिएं। जब तक यह नहीं होगा, तब तक विश्वविद्यालय की शिक्षा के माने ये होंगे कि हम क्लार्क बनाते रहेंगे और हम साइंटिस्ट और विज्ञान-वेत्ता तैयार नहीं कर सकेंगे, जिनके द्वारा हमारे देश में खोजें हों, नये नये आविष्कार हों। यह कितने आश्चर्य की बात है कि हमारे देश के विद्यार्थी इस बात की खोज नहीं कर सके हैं कि हमारे देश में कुंओं से पानी किस तरह अच्छी तरह से और जल्दी निकाला जा सकता है, हालांकि यह प्रश्न इस देश की सत्तर प्रतिशत जनता से सम्बन्ध रखता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे ऐसा क्यों नहीं कर सके हैं। इस की खास वजह यह है कि हमारे विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान नहीं हो पाता है, वे भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में ही पड़े रहते हैं—बारह, पंद्रह साल तक अंग्रेज़ी का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहते हैं। क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात नहीं है कि रूस ने जो उन्नति की है, वह अंग्रेजी भाषा के द्वारा नहीं की है, बल्कि उस ने रूसी भाषा के द्वारा, अपनी मातृ-भाषा के द्वारा उन्नति की है और सारे संसार को विज्ञान का चमत्कार दिखाया है। दूसरे देशों में भी ऐसा ही हुआ है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस प्रतिक्रियावादी नीति को खत्म किया जाये। इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए और अगर इस के लिये कोई धन की आवश्यकता होती है, तो धन की जल्दी से जल्दी व्यवस्था कर के अधिक से अधिक मात्रा में भारतीय भाषाओं में साहित्य तैयार

[श्री ब्रजराज सिंह]

किया जाना चाहिए--क्योंकि यह देश के भविष्य को बनाने का सवाल है और इस के बिना देश का भविष्य नहीं बन सकता है--जिस से विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषायें बन सके और भारत के विद्यार्थियों का विकास उचित रूप से हो सके । इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज़ोर भाषा से हट कर विषय पर हो जाये, जिस से हिन्दुस्तान का सही विकास हो सके ।

अन्त में विद्यार्थियों में अनुशासन के सम्बन्ध में कुछ शब्द कह कर मैं समाप्त करता हूं । इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि राजनीतिक पार्टियां विद्यार्थियों के मामलों में दखल देती हैं, इसलिये विश्वविद्यालयों में अनुशासन टूटता है । मैं समझता हूं कि यदि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा दखल देने से अनुशासन टूटता हो, तो मैं पहला आदमी हूंगा, जो कहेगा कि राजनीतिक पार्टियों को विद्यार्थियों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनुशासन हमारे देश के लिये बहुत आवश्यक है । जिन प्रश्नों पर हम मत-भेद रखें, उन के बारे में हम खुल्लम-खुल्ला बातें करें, लेकिन अपने स्वार्थ के लिये हम विद्यार्थियों के अनुशासन को तोड़ें और उन को पढ़ाई-लिखाई न करने दें, यह उचित नहीं है । शिक्षा मंत्री कहते हैं कि वह राजनीतिक पार्टियों का एक सम्मेलन करना चाहते हैं, जिस में वह यह निश्चय करना चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां विद्यार्थियों के साथ सम्पर्क न रखें और अपनी पार्टियों के द्वारा उन को राजनीति में प्रविष्ट न करें । मैं सुझाव दूंगा कि जब तक सब राजनैतिक पार्टियां इस के लिये तैयार नहीं हो पाती हैं, तब तक जिस पार्टी से माननीय मंत्री महोदय सम्बन्ध रखते हैं, जो इस देश का शासन चलाती है और जो सब से बड़ी राजनैतिक पार्टी है, कम से कम उसको इस बारे में पहल करनी चाहिए और प्रधान मंत्री के कहीं जाने पर उन्हें "चाचा" कहने के लिये विद्यार्थियों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए और मंत्री जी का स्वागत करने के लिये उन की परेड नहीं करानी चाहिए, क्योंकि इस से उनकी प्रतिष्ठा और अनुशासन में कमी आती है । अगर इस सम्बन्ध में कोई काम करना है, तो उस की पहल माननीय मंत्री की पार्टी की तरफ़ से होनी चाहिए । अगर वह इस में पहल करेंगे, तो विद्यार्थियों में अनुशासन कायम किया जा सकता है ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं श्री देशमुख को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने भारत की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के लिए बहुत ही सुन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत की है । मुझे बड़े खेद के साथ यह बात स्वीकार करनी पड़ती है कि आज हमें स्वतन्त्रता मिले १४ वर्ष व्यतीत हो गये हैं परन्तु हम शिक्षा की दिशा में कुछ नहीं कर सके । देश की शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया । यदि कोई परिवर्तन हुआ भी है तो वह यह है कि शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे गिर गया है, विद्यार्थियों का नैतिक पतन हो गया है और उनमें बहुत ही बुरी तरह से अनुशासनहीनता की भावना पैदा हो गयी है । यह ठीक है कि विद्यार्थियों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है, परन्तु शिक्षा के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । मैं नहीं कह सकता कि यह किस का दोष है । शायद यह स्थिति इसलिए हो कि हमारे राजनीतिज्ञों के हृदयों में आज विचित्र प्रकार की अनिश्चितता पाई जाती है ।

आयोग की रिपोर्ट बहुत ही अच्छी है और हमें उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए । मेरा मत यह है कि विश्वविद्यालयों के प्रवेश पर किसी न्यायपूर्ण आधार पर नियंत्रण लगाना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा स्तर में कोई एकरूपता नहीं पाई जाती । मुझे यह खेद से कहना पड़ता है कि गांधी जी ने जिस बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी वह साकार

†मूल अंग्रेजी में

नहीं हो सकी । उस दिशा की ओर कोई प्रगति नहीं की गयी । जिस शिक्षा को बुनियादी कह कर हमारे सामने लाया गया है, उससे तो बिलकुल ही विपरीत परिणाम निकला है । उससे तो यह हुआ है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए अयोग्य हो गये हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे ।

†**श्री त्यागी** : अच्छी बात है ।

---

*भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : २० अप्रैल, १९६१ को, जो अतारांकित प्रश्न संख्या ३९२७ का उत्तर दिया गया था, उसमें जो कुछ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के बारे में कहा गया है, मैं उस सम्बन्ध में चर्चा करना चाहता हूं । मेरा विचार है कि जो अनुसंधान कार्य चल रहा है वह सन्तोष-जनक नहीं और जो धन उस पर व्यय किया जा रहा है वह भी व्यर्थ ही नष्ट किया जा रहा है । चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे प्रख्यात डाक्टरों आदि द्वारा जो योजनायें परिषद् को भेजी जाती हैं, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । मद्रास के एक डाक्टर रत्नवेलु सुब्रह्मण्यम्, जो हृदय रोग के प्रख्यात विशेषज्ञ हैं, ने सरकार को कुछ योजनायें प्रस्तुत की थीं, हम जानना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में क्या किया गया है । मैं यह चाहता हूं कि हमें यह बताया जाय कि परिषद् के संचालक मंडल और विभिन्न सलाहकार समितियों द्वारा किस प्रकार कार्य किया जाता है ।

१९६०–६१ में अनुसंधान की १९२ मदों पर खर्च के लिए ५० लाख रुपया स्वीकार किया गया है । हम यह जानना चाहेंगे कि अनुसंधान के परिणाम क्या हैं और क्या इस सम्बन्ध में जानकारी विभिन्न राज्यों को दी गयी है । हमें यह व्यवस्था करनी चाहिए कि विभिन्न केन्द्र अनुसंधान पर धन खर्च करें ।

प्राक्कलन समिति ने इस बात की आलोचना की है कि अनुसंधान के स्थान पर भवन निर्माण पर अधिक धन व्यय किया गया है । मैं चाहता हूं कि इस दिशा में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए । सदन को यह भी बताया जाय कि जठरान्त्र कोप (गैस्ट्रो-एन्टरिटिस) नाम के रोग पर कितना व्यय हुआ और उसका क्या परिणाम निकला है । इसी प्रकार हम यह भी जानना चाहते हैं कि ट्राकोमा नियंत्रण परियोजना के लिए जो धन रखा गया है वह किस प्रकार खर्च किया जा रहा है । मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हीं योजनाओं के लिये रुपया दिया जाये जिन में अनुसंधान करने की गुंजाइश है । एक अन्य बात की ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं । वह यह कि दक्षिण भारत में कहीं कहीं यह भावना प्रबल होती जा रही है कि धन अधिकतर मिशनरियों द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं को दिया जाता है । यह भ्रांति भी दूर की जानी चाहिए ।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं]

†**श्री धर्मलिंगम** (थिरुयन्नामलाई) : मैं तो केवल यह पूछना चाहता हूं कि १९६०–६१ के बीच चिकित्सा अनुसंधान के लिए कितनी राशि आवण्टित की गयी है और उस में से तामिलनाद को कितनी राशि दी जायेगी ? इस दिशा में योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

---

*आधे घंटे की चर्चा

†मूल अंग्रजी में

†श्री नरसिंहन् (कृष्णगिरि): मैं पूछता हूं कि हमें यह बताया जाय कि क्या ऐसा कोई उपाय अथवा कोई व्यवस्था है, जिस से देश के किसी भाग में महामारी फैलने की सूचना केन्द्र को तुरन्त दी जा सके। विचित्र बात है कि उत्तरी अरकाट जिले में बड़े पैमाने पर पेचिश का रोग फैला हुआ है और सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस चर्चा से मुझे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्राप्त हो गया है। आय व्ययक पर चर्चा के समय समयाभाव के कारण में अपेक्षित चर्चा नहीं कर सका था। जहां तक श्री नरसिंहन के प्रश्न का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि हमने मद्रास में फैले हुए रोग के संबंध में सूचना मांगी है। उस के प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा। इस के साथ ही मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अनुसंधान कार्य के लिए जो धन आवण्टन किया जाता है, वह क्षेत्रीय आधार पर नहीं होता। यदि ऐसा किया जायेगा तो इस के बड़े भयंकर परिणाम निकल सकते हैं। इस से देश के सामूहिक हित को हानि पहुंच जाने का भय है।

सदन की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि विभिन्न विषयों पर मत देने के लिए कई सलाहकार समितियां हैं; हर सलाहकार समिति योजनाओं पर विचार करती है और उन्हें वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सामने सिफारिश के लिए प्रस्तुत करती है। सब ओर से जब विचार और सिफारिशों का कार्य पूरा हो जाता है तो अन्त में योजनायें संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत होती हैं। सामान्यतया ये संस्थायें किसी भी योजना में हस्तक्षेप नहीं करतीं।

डा० रत्नवेलु सुब्रह्मण्यम् द्वारा भेजी गयी जिस योजना का उल्लेख श्री तंगामणि ने किया है, यदि वह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के पास आ गयी है तो उस पर पुनः विचार किया जायेगा। मेरा निवेदन है कि परिषद् की १९५०–५७ की अवधि के कार्य की समीक्षा पुस्तकालय में रख दी गयी है। उस के अध्ययन करने से किसी पर भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस ने कितना अच्छा और महत्वपूर्ण कार्य किया है। १९५८–५९ और १९५९–६० की भी रिपोर्ट मिल सकती है। उस से भी परिषद् की गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है। आगे से यह परिषद् प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने की व्यवस्था करेगी। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह आरोप निराधार है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अपना अधिकांश धन इमारतों पर ही खर्च कर दिया है। परिषद् के पास कोई बहुत अधिक इमारतें नहीं हैं। मैं यह भी सदन को बता देना चाहता हूं कि ट्रोकोमा की समस्या के सम्बन्ध में इस परिषद् ने बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान काम किया है; जिस के आधार पर सरकार ने इस रोग पर नियंत्रण रखने की एक पक्की योजना का निर्माण किया है।

माननीय सदस्य ने स्वास्थ्य सर्वेक्षण का उल्लेख किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनुसंधान कार्य को केवल चिकित्सक अनुसंधान तक सीमित रखना चाहते हैं। भारत जैसे देश में स्वास्थ्य सर्वेक्षण केवल चिकित्सा के क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अमरीका में जहां कि सभी साधन उपलब्ध हैं, वहां भी १९५२ में जा कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य

†मूल अंग्रेजी में

सर्वेक्षण हो पाया। स्वास्थ्य सर्वेक्षण के बारे में परिषद् ने जो काम किया है। वह मूल कार्य है। दिल्ली में हम ने बीमारियों का अध्ययन करना शुरू किया है। शुरू में डिस्पेन्सरी जाने वाले ५ हजार परिवार तथा व्यक्तियों को सर्वेक्षण के लिये लिया जाता है। स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के लिये इस प्रकार का सर्वेक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मदनापल्ली में क्षय का सर्वेक्षण किया गया था। एक माननीय सदस्य ने किसी एक और संस्था का उल्लेख किया है। परिषद को प्रसन्नता होगी यदि वह संस्था यह कार्य अपने हाथ में ले लेती है। कोई भी अच्छा काम जो इस क्षेत्र में होगा उसे प्रोत्साहन दिया जायेगा। हमारी सब से बड़ी कमजोरी एक यह है कि गांवों में पाखानों की व्यवस्था नहीं है। परिषद ने इस मामले की जांच की और वह एक सस्ते ढंग का पाखाना बनाने में समर्थ भी हुई और उस ढंग का पाखाना आज प्रत्येक गांव में पाया जाता है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के पाखाने गांव में बनाने के काम को प्रोत्साहन मिले। क्योंकि गांवों में यदि अच्छी सफाई और अच्छा पानी मिल गया तो समझिये की आधी जीत हो गई।

परिषद को इस बात से कोई संबंध नहीं है कि अमुक क्षेत्र में शराबबन्दी है अथवा नहीं।

†**सभापति महोदय:** अब सभा कल के ११ बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, ५ मई, १९६१/१५ वैशाख, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, ४ मई, १९६१

१४ वैशाख, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		६९३१—५९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८९९	केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा प्रविधिक जानकारी संस्था	६९३१–३२
१९०४	रूरकेला इस्पात कारखाना	६९३२–३३
१९०५	साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध	६९३३—३९
१९०७	नवानगर के जाम साहब का बालाछेदी महल	६९३९–४०
१९०८	तंजोर जिले में तेल	६९४०—४२
१९०९	अंकलेश्वर का तेल	६९४३—४६
१९१०	नाटय संगठनों को अनुदान	६९४६—४८
१९११	गोंडल के भूतपूर्व शासक की गिरफ्तारी	६९४९–५०
१९१४	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम	६९५१–५२
१९१५	आसाम के उपद्रवों की जांच करने के लिए आयोग	६९५२—५७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१६	सेना पदाधिकारी द्वारा आत्महत्या	६९५७—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		६९५९—७०२४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१९००	नई कम्पनियों के निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिये आवेदन	६९५९–६०
१९०१	बिटुमन (डामर) का निर्माण	६९६०
१९०३	मनीपुर में 'मेथे' लोग	६९६०
१९०६	गैर-सरकारी क्षेत्र में तेल शोधन क्षमता में वृद्धि	६९६०–६१
१९१२	वित्त मंत्रालय के संगठन तथा रीति विभाग का कार्य	६९६१
१९१३	बमवर्षक जेट विमान	६९६१

विषय

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी — पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या

१६१६	क्यूबा पर हुए आक्रमण के विरुद्ध दिल्ली में विरोध प्रदर्शन	६६६२
१६१६–क	केरल के बैंकों का विलय	६६६२
१६१७	आयल इंडिया लिमिटेड	६६६३
१६१८	पटयाला में चलते फिरते बैंक का बन्द किया जाना	६६६३
१६१६	सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन	६६६३–६४
१६२०	उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा	६६६४
१६२१	कांगो में भारतीय सैनिकों में क्षय रोग	६६६४–६५
१६२२	भुवनेश्वर (उड़ीसा) में जल संभरण	६६६५
१६२३	तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए जापान की सहायता	६६६५
१६२४	अनुसूचित बैंकों द्वारा चीनी के कारखानों को ऋण	६६६६
१६२५	चीनियों द्वारा भारतीय वायु-क्षेत्र का अतिक्रमण	६६६६

अतारांकित प्रश्न संख्या

४४६६	पंजाब में सम्पदा शुल्क	६६६६
४४६७	पंजाब में राजस्व संग्रह	६६६६–६७
४४६८	दिल्ली में प्रोढ़ शिक्षा के लिये स्कूल	६६६७
४४६९	पंजाब में करों की बकाया	६६६७
४४७०	उड़ीसा के कालिजों के होस्टलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थी	६६६७
४४७१	उड़ीसा सरकार से लिया गया ऋण	६६६८
४४७२	टैगोर जन्म शताब्दी समारोह	६६६८
४४७३	पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिये होस्टल की इमारत	६६६८–६९
४४७४	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय को होस्टल के लिये अनुदान	६६६९
४४७५	दिल्ली में अविवाहित लड़कियों का अपहरण	६६६९
४४७६	औषधीय जड़ी बूटियों का सर्वेक्षण	६६६९
४४७७	अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तियां	६६७०
४४७८	आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां	६६७०
४४७९	वर्ष १९६०–६१ में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया माल	६६७०
४४८०	इनामी बांडों की लाटरी	६६७०–७१

विषय

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी पृष्ठ

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४४८१	आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालयों को अनुदान . .	६९७१–७२
४४८२	आंध्र प्रदेश में विज्ञान मन्दिर . .	६९७२
४४८३	रीजनल इंजीनियरिंग कालिज, वारंगल के लिये इमारत .	६९७३
४४८४	आंध्र प्रदेश को इस्पात का आवंटन .	६९७३–७४
४४८५	आंध्र प्रदेश में भूतत्वीय सर्वेक्षण . .	६९७४
४४८६	आंध्र प्रदेश में स्मारक . .	६९७४–७५
४४८७	आंध्र प्रदेश में हिन्दी .	६९७५–७६
४४८८	आंध्र प्रदेश में खेलों के लिये अनुदान . . .	६९७६
४४८९	आंध्र प्रदेश में स्कूलों और कालेजों में खेलों के मैदानों के लिये अनुदान	६९७६
४४९०	उत्तर प्रदेश में कोयले का कम संभरण	६९७६–७७
४४९१	लडलो कैसल दिल्ली के पास स्कूल कैम्पस .	६९७७
४४९२	सेना अधिनियम . . .	६९७७
४४९३	फिरोजाबाद में आय कर अनुमान	६९७७–७८
४४९४	विदेशों में सिंचाई की शिक्षा .	६९७८
४४९५	लोहे और इस्पात का आयात	६९७८–७९
४४९६	विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन . . .	६९७९
४४९७	दूसरी लौटरी में इनाम वाले बांड .	६९७९–८०
४४९८	न्यायाधीशों की नियुक्ति . .	६९८०
४४९९	पंजाब में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये अनुदान .	६९८०
४५००	मदुरै में जैन स्मारक . .	६९८०–८१
४५०१	भारतीय सीमा के साथ प्रतिरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा .	६९८१
४५०२	सोने का तस्कर व्यापार . . .	६९८१
४५०३	एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन .	६९८२
४५०४	मनीपुर नृत्य कालेज और होस्टल की इमारत	६९८२
४५०५	मनीपुरी भाषा का विकास . .	६९८२–८३
४५०६	मनीपुर में आदिम जातीय नेताओं का सम्मेलन	६९८३
४५०७	अमरीका में आर्थिक कार्य के लिये महा आयुक्त .	६९८३
४५०८	सरकारी कर्मचारियों के लिये बस की सुविधायें . .	६९८३–८४
४५०९	दिल्ली की रोहतक रोड पर चमड़ा रंगने के कारखाने .	६९८४

विषय

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या

४५१० भारत में मलाया के विद्यार्थी . . . ६९८४
४५११ मद्रास राज्य में राजस्व की वसूली . . ६९८४—८५
४५१२ मद्रास राज्य की लोहा और इस्पात की आवश्यकतायें . ६९८५
४५१३ प्रतिरक्षा सेवाओं में गुप्त रोग के मामले . . ६९८६
४५१४ हांग कांग में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा . ६९८६
४५१५ राज्य व्यापार निगम द्वारा कोयले का निर्यात . . ६९८६—८७
४५१६ उड़ीसा के भूतपूर्व मंत्रियों के लिये कारों के लिये अग्रिम राशियां ६९८७
४५१७ आसाम में बंगला को एक राज्यीय भाषा के रूप में स्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन . ६९८७
४५१८ उपभोक्ता मूल्य देशनांक में वृद्धि . ६९८७—८८
४५१९ बर्मा आयल कम्पनी के साथ बातचीत . . ६९८८—८९
४५२० केरल के बैंकों की पुनर्व्यवस्था . . . ६९८९
४५२१ विशेष धातुमिश्रित इस्पात का उत्पादन . . . ६९८९—९०
४५२२ सरकारी संगठनों में फेरबदल के संबंध में डा० एप्पलबी के सुझाव ६९९०
४५२३ दक्षिण पूर्वी एशियायी देशों को सांस्कृतिक शिष्टमंडल ६९९०—९१
४५२४ दम दम में चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना . ६९९१
४५२५ सरकारी गाड़ियों के लिये भाड़ा . . ६९९१
४५२६ सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को आगे भेजना . ६९९१
४५२७ कैम्बे से आने वाले अशोधित तेल का संशोधन . . ६९९२
४५२८ पालम हवाई अड्डे पर अमरीकन पत्रकार का फोटो लेते हुये पकड़ा जाना ६९९२
४५२९ राजस्थान में जस्ता पिघलाने का कारखाना . . ६९९२—९३
४५३० अनुशासन संबंधो कार्यवाहियों के संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशें ६९९३
४५३१ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देर तक काम करने का भत्ता . ६९९३
४५३२ परिवहन सुविधाओं के संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशें ६९९४
४५३३ सार्वजनिक छुट्टियों के संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशें ६९९४
४५३४ सैलम में लौह अयस्क के निक्षेप ६९९४
४५३५ दिल्ली में 'शुष्क पत्तन' . . ६९९४—९५

विषय

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या		
४५३६	केन्दू के पत्तों के लाइसेंस जारी करने में भ्रष्टाचार	६९९५
४५३७	उड़ीसा का आदिम जाति तथा ग्राम कल्याण विभाग	६९९५
४५३८	दिल्ली प्रशासन में औद्योगिक निरीक्षक	६९९६
४५३९	चांदमारी से दुर्घटनायें	६९९६–९७
४५४०	सेना के ट्रकों से दुर्घटनायें	६९९७
४५४१	श्री मिलखा सिंह का सेना से त्यागपत्र	६९९७–९८
४५४२	विस्थापित व्यक्तियों को शैक्षणिक प्रमाणपत्र	६९९८
४५४३	एयर फोर्स हैड क्वार्टर्स में अपर डिविजन क्लर्क	६९९८
४५४४	हिन्दी का राजभाषा के रूप में प्रयोग	६९९८–९९
४५४५	मनीपुर में दांडिक मामले	६९९९
४५४६	मनीपुर के लिये नालीदार लोहे की चादरें	६९९९–७०००
४५४७	स्टाम्प शुल्क	७०००
४५४८	दिल्ली में ईंटों का संकट	७०००
४५४९	केरल में सरकारी कर्मचारियों द्वारा लेख याचिकायें	७०००–०१
४५५०	मंत्रियों आदि को भत्ता	७००१
४५५१	फार्मों का हिन्दी में छापा जाना	७००१
४५५२	उत्तर प्रदेश में राज्य बैंक की शाखायें	७००१–०२
४५५३	तिनसोंग, मनीपुर में रुपये के गबन के मामले	७००२
४५५४	वेतन आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति	७००२–०३
४५५५	सर्वे आफ इंडिया के वर्ग ३ के कर्मचारी	७००३
४५५६	सर्वे आफ इंडिया के अर्ध कुशल तकनीकी श्रमिक	७००३
४५५७	हिन्दी शीघ्रलिपि में प्रशिक्षण	७००४
४५५८	भूतपूर्व सैनिक संस्था, कपूरतला	७००४
४५५९	नौसेना का सूखी गोदी	७००४–०५
४५६०	बेंजाइल क्लोराराइड	७००५
४५६१	गोहाटी तेल शोधनशाला	७००५–०६
४५६२	आसाम के लिये नालीदार लोहे की चादरों का आवंटन तथा समाहार	७००६–०७
४५६३	भारत में विदेशी विनियोजन	७००७
४५६४	मिलिटरी एस्टेट, आगरा	७००७

विषय

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी) पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या		
४५६५	दर्शन शास्त्र आदि पर पुरातन भारतीय पुस्तकें	७००७-०८
४५६६	हिन्दी स्टेनोग्राफर	७००८
४५६७	आंध्र प्रदेश में 'पासी' समुदाय	७००८
४५६८	उड़ीसा में देवगढ़ हाई स्कूल	७००९
४५६९	क्यानाइट अयस्क . .	७००९
४५७०	उड़ीसा सरकार सेवा में आदिवासी तथा अनुसूचित जातियां	७००९
४५७१	कवि सूरदास का स्मारक	७००९
४५७२	गच एंड शैल फेक्टरी	७०१०
४५७३	दिल्ली में बाल अपराध .	७०१०
४५७५	गोल गुम्बद, बीजापुर के चारों ओर बाग	७०१०-११
४५७६	बीजापुर के निकट बेगम तालाब के निकट वन	७०११
४५७७	गिरिडीह कोयला खान	७०११-१२
४५७८	५०५ आर्मी बेस वर्कशाप .	७०१२
४५७९	सिंधी भाषा का विकास . .	७०१२
४५८०	सीमा पर स्थित सैनिकों के लिये क्वार्टर .	७०१३
४५८१	दिल्ली में राजस्व के रिकार्ड का गुम होना	७०१३
४५८२	केन्द्रीय शिक्षा संस्था में वेतनक्रम .	७०१३
४५८३	केन्द्रीय शिक्षा संस्था का प्रयोगात्मक बुनियादी स्कूल	७०१३
४५८४	केन्द्रीय शिक्षा संस्था में अनुसंधान कार्य	७०१४
४५८५	केन्द्रीय शिक्षा संस्था . .	७०१४
४५८६	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था की इमारत . . .	७०१४
४५८७	दिल्ली की सड़कों पर पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों पर प्रतिबन्ध . .	७०१४-१५
४५८९	भारत-नेपाल सीमा पर मुद्रा की कमी . . .	७०१५
४५९०	सशस्त्र सेनाओं के मुख्य कार्यालय में अर्द्ध स्थायी लोअर डिवीजन क्लर्क . .	७०१५
४५९१	प्रतिरक्षा मंत्रालय में कल्याण अधिकारी	७०१६
४५९२	सरकारी नौकरियों में राजनैतिक पीड़ित .	७०१६
४५९४	दिल्ली में निःशुल्क शिक्षा	७०१६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४५९५	सेना मुख्यालय के अनुवादकों के वेतनक्रम	७०१७
४५९६	बोकारो इस्पात संयंत्र	७०१७
४५९७	साहित्य अकादमी . . .	७०१७–१८
४५९८	'मरली मन्निज' नामक कन्नड़ पुस्तक . .	७०१८
४५९९	खान और ईंधन विभाग के अधिकारियों का मुअत्तल किया जाना	७०१८–१९
४६००	भारतीय शिक्षा सेवा को पुनः चालू करना .	७०१९
४६०१	'नाइट रनर्स आफ बंगाल' नामक उपन्यास .	७०१९
४६०२	मद्रास में स्मारकों की देखभाल . . .	७०१९–२०
४६०३	गणतन्त्र दिवस को परेड के लिये राज्यों को प्रदत्त धन	७०२०
४६०४	चीनी उद्योग के लिये ऋण नियंत्रण	७०२०
४६०५	मनीपुर में कैदी	७०२०
४६०६	केन्द्रीय एजेंसी	७०२१—२३
४६०६-क	मजदूरों की शिक्षा .	७०२३
४६०६-ख	कलिंग उद्योग लिमिटेड . .	७०२३–२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ७०२५–२६

श्री भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के दौला रघुबीर दयाल गांव में ठाकुरों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के ८० घरों को आग लगा देने की कथित घटना की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) ने उस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ७०२६—२८

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिये सरकारी टेलीफोन बोर्ड लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(२) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में प्रचलित पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ के हिमाचल प्रदेश गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या टी० १०२-४१/५७ की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

(३) राष्ट्रपति द्वारा उड़ीसा राज्य के संबंध में जारी की गई दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की उद्घोषणा के खंड (ग) (४) के साथ पठित उड़ीसा बिक्री कर एक्ट, १९४७ की धारा २९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ के उड़ीसा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ९७६-सी० टी० ए०-७/६०-एफ ।

(दो) दिनांक २० फरवरी, १९६१ के उड़ीसा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ५०८१-सी० टी० ए०-३५२/६१-एफ० ।

(तीन) दिनांक ८ मार्च, १९६१ के उड़ीसा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ६६२५-सी० टी० एस०-५९/६०-एफ० ।

(चार) दिनांक १४ मार्च, १९६१ के उड़ीसा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ६६२७-सी० टी० ए०-५९/६०-एफ० ।

(४) २४ अप्रैल, १९६१ को नई दिल्ली में हुये कोयला-खानों के अतिरिक्त अन्य खानों संबंधी औद्योगिक समिति के दूसरे अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति ।

(५) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० ५४४।

(ख) दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० ५४५ ।

(६) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० ५४२ ।

(ख) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० ५४३ ।

विषय पृष्ठ

(ग) दिनांक २२ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० ५४६ जिसमें दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० १८८ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(७) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक २० अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५८२ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (छठा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(८) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८५९ में प्रकाशित निर्वाचनों का संचालन नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(९) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की तेरहवें सत्र में हुई बैठकों (सतहत्तर से पिच्चास्सीवीं) के कार्यवाही-सारांश ।

(१०) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की तेरहवें सत्र में हुई बैठकों (इकत्तीसवीं और बत्तीसवीं) के कार्यवाही-सारांश ।

(११) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की तेरहवें सत्र में हुई बैठकों (तेईसवीं और चौबीसवीं) के कार्यवाही-सारांश ।

राज्य सभा से सन्देश ७०२९

सचिव ने राज्य सभा से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा, लोक-सभा द्वारा पारित रूप में अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा पारित रूप में औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक, १९६१ के बारे में कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ७०२९

ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक—पारित . . . . . ७०२९—५३

सालारजंग संग्रहालय विधेयक, राज्यसभा द्वारा पारित रूप में, पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई तथा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा के बाद विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

सदस्य को सजा . . . .

उपाध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें कालीकट के पुलिस इन्स्पैक्टर से दिनांक ३ मई, १९६१ का एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें

विषय **पृष्ठ**

यह बताया गया है कि लोक-सभा के सदस्य श्री कुट्टिकृष्णन् नायर को कालीकट के प्रिंसिपल सब-मिजस्ट्रेट ने दस रुपये जुर्माने या जुर्माना न देने पर एक सप्ताह की सादी कैद की सजा दी थी। उन्हें 'बी' श्रेणी दी गई है और कन्नूर की सेंट्रल जेल में रखा गया है।

विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति . . ७०५४—५६

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि मोटर परिवहन कामगर विधेयक, १९६० पर राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति प्रकट की जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में प्रस्ताव . . . ७०५६—६३

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने प्रस्ताब प्रस्तुत किया कि सभा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग १९५९–६० के प्रतिवेदन पर विचार किया जाय। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा . . . . ७०६३—६५

श्री तंगामणि ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या ३६२७ के २० अप्रैल, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठायी।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

शुक्रवार, ५ मई, १९६१/१५ वैशाख, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक १९६१ को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा।

GIPND—LSIII—582 (ai) LSD—7 7-61—125

PLS. 41. LV. 60 61.
125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।